राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम सत्र, १९६५ का ९वां दिवस [संख्या ७

गुरुवार, दिनांक ४ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, जन-स्वास्थ्य, उपनिवेशन, स्वायत्त शासन, सिंचाई, गृह एवं खाद्य–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १४७

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४८

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४९

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

मीठड़ी नदी पर बान्ध

१५०. श्री मोहनराज (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बाली तहसील में मीठड़ी नदी पर एक बांध बनाने की योजना काफी अर्से से सरकार के विचाराधीन है ?

(२) इस बांध का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायगा व इसके निर्माण में कुल कितना रुपया लगने की सम्भावना है ?

Page No 2

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य के द्वारा दी जा चुकी है एवं कार्य के शीघ्र शुरू होने की आशा है। इसके निर्माण में लगभग ६,७८,००० रुपया खर्च होने की सम्भावना है।

श्री मोहनराज : यह कब तक तैयार हो जावेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह प्रश्न पूछने वाले को मालूम है।

श्री मोहनराज : मालूम नहीं है, इसीलिये तो पूछ रहा हूं।

श्री दिनेशराय डांगी : अगले वित्तीय वर्ष में बरसात के बाद काम शुरू कर दिया जावेगा।

कस्बा चौमू की नल योजना

१५१. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कस्बा चौमू के लिये नल योजना मन्जूर हो गई है ? यदि हां, तो वहां पर नल लगाने का कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा और कब तक नल लग जावेंगे ?

उप-मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सरकार द्वारा अभी स्वीकृति नहीं की गई है। जब वांछित धनराशि उपलब्ध हो जावेगी तब तक नल लग जावेंगे। निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : इस योजना को लागू किये काफी टाइम हो गया है, अभी तक भी माननीय मन्त्रीजी ऐसा ही कह रहे हैं कि धनराशि प्राप्त होने के बाद किया जावेगा। कम से कम कोई अवधि तो होगी ? कब तक धनराशि प्राप्त हो जावेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : निश्चित अवधि देना सम्भव नहीं है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : यह स्कीम कौनसी स्टेज पर है ?

मन्त्रि जन-स्वास्थ्य (श्री बरकतुल्लाखां): इस साल के फरवरी में भारत सरकार की तरफ से सब्जेक्ट टू टैक्निकल एप्रूवल पर यह स्कीम लौट कर आई है। इसके अब आने के बाद यह स्कीम फाइनेन्स में जाकर पास हो जावेगी तो उसको पूरा करेंगे और हमें इसको पूरा करने में दो दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले दिक्कत मैटीरियल की है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता और दूसरी जो कठिनाई आती है वह यह आती है कि हम इसको कैसे ट्रैस करें। फिर भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सेन्ट्रल मिनिस्ट्री ने एग्री कर लिया है। हम कोशिश करेंगे कि फाइनेन्स से एप्रूव हो जावे तो फिर हाथ में ले लेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सर्वे हो गया कि नहीं इसका ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सर्वे हो गया तो टैक्निकल एप्रूवल मिल ही जाना चाहिये ।

श्री बरकतुल्लाखां : हम जब सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के बाद गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को भेजते हैं और वे अपने एक्सपर्टो से स्क्रूटिनी करवाते हैं और फिर हमारे पास भेजते हैं ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : इसकी नल और बिजली योजना दोनों को मन्जूर हुए काफी टाइम हो गया ।

प्रश्न संख्या १५२

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

राज्य में क्षय रोग की रोकथाम

१५३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्षय रोग की सर्वे राज्य में अभी तक की गई या नहीं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्षय रोग की रोकथाम के लिये जिलेवार योजना किस आधार पर बनाई गई है ?

(४) क्या यह सही है कि सर्वे करने के लिये मोबाइल एक्सरे यूनिट की आवश्यकता पड़ती है ?

(५) यदि हां, तो मोबाइल एक्सरे युनिट राज्य में कितने हैं ?

(६) यदि युनिट नहीं है तो अब तक क्यों नहीं उपलब्ध किये गये ?

(७) क्या यह सही है कि राज्य में जानवरों के लिये मोबाइल एक्सरे युनिट है, पर मनुष्यों के लिये नहीं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभामिश्रा): (१) (२) व ३ क्षय रोग की सर्वे अभी तक राज्य में नहीं की गई है । इसके मुख्य कारण दो हैं :—

(अ) एपेडेमेयोलोजिकल युनिट का अभाव ।

(ब) मोबाइल एक्सरे युनिट का उपलब्ध न होना ।

(२) क्षय रोग की रोक-थाम के लिये जिलेवार योजना का आधार भारत सरकार द्वारा बनाई गई नेशनल टी. बी. कन्ट्रोल प्रोग्राम है । यह योजना १९५६-५८ में किये गये नेशनल सेम्पल सर्वे पर निर्भर है । इसके बनाने में डब्ल्यू. एच. ओ. तथा नेशनल टी. बी. इन्स्टीट्यूट बेंगलोर ने भारत सरकार को सलाह दी है ।

(४) जी हां, सर्वे करने को मोबाइल एक्सरे युनिट के अलावा एक एपेडेमेयोलोजिकल युनिट की भी आवश्यकता है ।

Page No 4

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(५) राज्य में अभी तक एक भी मोबाइल एक्सरे युनिट नहीं है।

(६) राज्य में मोबाइल युनिट उपलब्ध न होने का मुख्य कारण धन का अभाव रहा है।

(७) जी हां, एनीमल हस्बेन्डरी विभाग में एक मोबाइल एक्सरे युनिट है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: जानवरों के लिये तो उपलब्ध हो गया पर मनुष्यों के लिये क्यों नहीं हुआ ?

श्री बरकतुल्लाखां: इस डिपार्टमेंट को जिस तरह धनराशि उपलब्ध होती है उसी के अनुसार आॅर्डर देने पड़ते हैं। हमारे पास दूसरे कार्यों में ज्यादा रुपया लग गया इसलिये मोबाइल एक्सरे युनिट नहीं ले सके।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: प्राइमरी हैल्थ सेन्टर वगैरह में पैसा मिलता है और उसका काफी बड़ा भाग लैप्स होता है। उस रकम में से क्यों नहीं खरीद किया गया ?

(अल्प-विराम के अनन्तर) उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां: हमारा बजट हमेशा ज्यादा स्ट्रेच करके मैग्ज़िमम यूटीलाइजेशन हमने उसका किया है। इसके अन्दर जो रुपया बच जाता है वह भी किसी न किसी तरीके से उपयोग में आ जाता है। ऐसा नहीं कि इस तरह से लैप्स होता हो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: आप बता दीजिये दो सालों में कितना रुपया लैप्स हुआ ?

श्री बरकतुल्लाखां: यह अलग से सवाल है। फिर बजट के आंकड़े आप देख लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: मैंने सुना नहीं। आप माइक से उधर मुंह रखते है। उधर मुंह न रखकर इधर रखें तो ठीक है।

श्री बरकतुल्ला खां: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी तरफ मुंह रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैडिकल बजट का जहां तक ताल्लुक है बहुत कम रुपया लैप्स हुआ है और उसमें से भी ज्यादातर इस्तेमाल हो चुका है और यूटीलाइज़ कहीं अधिक किया जा चुका है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: बहुत कम कितना हुआ है ? मोबाइल एक्सरे यूनिट आ जाये उतना हुआ या नहीं, जरा आंकड़े बता दें।

श्री बरकतुल्लाखां: यह ऐसा सवाल है कि बजट के जनरल डिस्कशन में लायें तो बता सकूंगा। लेकिन इस समय यह इस सवाल से संबंधित नहीं है बल्कि मैं यह कहूँ कि कहीं-कहीं तो यह हुआ है कि प्लान का जो सीलिंग है उससे एक्सेस में हमने खर्चा किया है अण्डर में नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन।

Page No 5

भूमी—आवंटन में प्राथमिकता

१५४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन (कोलोनाइज़ेशन) मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राजस्थान राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों के किसानों को जिन्हें प्रति वर्ष अकाल का सामना करना पड़ता है तथा राज्य के अन्य भागों के अलाभकारी जोत एवं भूमिहीन किसानों को राजस्थान नहर, भाखरा एवं अन्य सिंचित क्षेत्रों में कृषि भूमि एलॉट करने में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, उपनिवेशन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं, राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें उपरोक्त प्रकार के किसानों को प्राथमिकता देने का प्रश्न हो।

श्री भीमसेन : सवाल यह है कि विचाराधीन नहीं है तो क्या सरकार इस तरह के भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान नहर में प्रायोरिटी देना उचित नहीं समझती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला कई बार सदन में उठ चुका है और इस पर कहा गया था कि राजस्थान कैनाल की सारी कालोनाइज़ेशन पॉलिसी क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में उठानी है इसलिए इस संबंध में अभी इस स्टेज पर मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भीमसेन : यह मामला केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में विचाराधीन है, यह तो ठीक है; लेकिन क्या सरकार इसको वाजिब नहीं समझती कि भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि देने के लिए हमारी सरकार भारत सरकारपर जोर डाले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि कोलोनाइज़ेशन पॉलिसी जसा कि इसके कई आस्पेक्ट्स कॉर्पोरेशन बनाने के और दूसरे, ये सारे मामले अभी तक अनिर्णीत हैं इसलिए जब तक सारी बातें फाइनल नहीं हो जातीं उस वक्त तक किसी भी चीज को कमिट करना ठीक नहीं हैं।

श्री भीमसेन : फाइनल कब तक हो जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी यह राजस्थान कैनाल भारत सरकार की १ अप्रेल से जावेगी और फाइनल करने में जो विचार राज्य सरकार को रखने चाहिए वे विचार सब वहां पर कन्सीडर होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने और मुख्य मंत्री महोदय ने पहले यह भी जवाब दिया है कि भूमिहीनों को राजस्थान नहर में आवंटन किया है····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिलकुल अलग से प्रश्न है। जिन हिस्सों में राजस्थान कैनाल में पानी आ गया उन हिस्सों में एक साल के लिए जमीन एलॉट टेम्पोरेरी तौर पर की गई है।

Page No 6

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन हिस्सों में पानी आ गया और उनमें भूमिहीन किसान नहीं हैं तो अड़ोस-पड़ोस में भूमिहीन किसान हैं तो भूमिहीनों को भूमि देने में प्राथमिकता देने के नियम बने हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : न तो कोई इस प्रकार के नियम हैं और न इस प्रकार का प्रश्न आया कि वहां पर भूमिहीन किसान रहें ही नहीं और बाड़मेर या जैसलमेर से मंगवाने पड़े हों।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीकानेर से जा सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लोग भूमिहीन वहीं बहुत हैं जिनको आवश्यकता थी और जिस जगह पानी पहुँच सकता था उस भूमि को एक साल के लिए टेम्पोरेरी तौर पर अलॉट किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस जगह भूमि है और उस जगह के भूमिहीन किसान मांग नहीं कर रहे हैं और उस जिले के भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या पड़ौसी जिले के भूमिहीन किसानों को जमीन दी जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हाइपोथेटीकल प्रश्न है। ऐसी समस्या हमारे सामने आई ही नहीं और फिर यह मामला जब तक फुल्ली तय नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का कमिटमेन्ट नहीं किया जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जो प्रार्थना-पत्र कोलोनाइज़ेशन दफ्तर में पड़े हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ करने की क्या नीति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो क्या था और आपने सारी दुनिया भर के कोलोनाइज़ेशन दफ्तर में कितने प्रार्थना पत्र हैं और उनको डिस्पोज़ ऑफ करने का क्या किया, यह बिल्कुल वेग प्रश्न है। कोलोनाइज़ेशन के दफ्तर में जितने प्रोजेक्ट्स हैं; भाखरा भी है, यह भी है सभी जगह के हो सकते हैं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि उनके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि अलॉटमेन्ट के सिलसिले के बारे में सारी कोलोनाइज़ेशन की पॉलिसी फाइनल रूप से तय नहीं हो जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपको यह सूचना में है कि पंजाब सरकार को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर अपने प्रयत्न राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि लेने का आरम्भ कर चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हमारी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई कोऑपरेटिव सोसायटीज़ बनाई हों और यह भी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई प्रयास किया हो क्योंकि जमीन देंगे, नहीं देंगे, कितनी देंगे, कब देंगे और देंगे वह राजस्थान कैनाल की राजस्थान के हिस्से में है इसलिए उस प्रयास का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो किसी ने कदम नहीं रखा राजस्थान की भूमि में। इस एलॉटमेंट के तहत आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी बनाने के संबंध में कदम उठाए हैं और पंजाब सरकार इस संबंध में कदम उठा चुकी है ? अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पंजाब वाले प्रॉयोरिटी में लाकर खड़ा कर देंगे इसलिए आपने कोई कदम उठाये या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने क्या किया है, हमें पता नहीं है और पंजाब के जो भी किसान हैं ; कौन किसान प्रायोरिटी पायेगा इसका हमारे दिमाग में आइडिया नहीं है । इसलिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, इस आधार पर उसको जमीन मिले ; आज यह सम्भव नहीं हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन किसान प्रायोरिटी पायेगा, इसका क्या आइडिया है, आप बतायें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो इवेक्वीज़ हैं वहां के राजस्थान कैनाल में, जिनके खेत और जमीन गये हैं उनको जमीन देने के अन्दर हमारा कमिटमेन्ट है । अगर वह जमीन कमिटमेन्ट के अनुसार देनी पड़ी तो वे लोग पा सकते हैं । पंजाब के हर भूमिहीन किसान को जमीन देने का प्रश्न चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कुछ भी हो उठता ही नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो सन् ५५ से पहले काश्तकार हैं, जिनको खातेदारी पट्टे नहीं दिये हैं वे आपके दिमाग में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिमाग में तो सब हैं, लेकिन जब तक सारी चीजें फाइनेलाइज़ नहीं हो जातीं तब तक कुछ नहीं कह सकता ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : आप जो बाद में अलाटमेन्ट करेंगे उसमें कोई प्रावधान रखा है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब तक पॉलिसी का निर्णय फाइनल रूप से नहीं हो जाये और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया तय नहीं कर दे तब तक इसके लिए क्या रखा है क्या नहीं, यह बताना असम्भव है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी, सरकार अभी से देने का विचार नहीं करेगी तो वहां के लोग लैंडलैस लेबर रहेंगे और दूसरे लोग जमीन लेकर हमेशा के लिए वहां किरायेदार की तरह से रहेंगे । इसलिए उनके राइट्स के बारे में सरकार को प्राथमिकता देने का विचार करना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह सब आपके ख्याल हैं । वहां क्या होगा, क्या नहीं होगा । जब तक इसके लिए अन्तिम रूप से फैसला नहीं हो जाये तब तक मैं जवाब देने में असमर्थ हूं । चाहे आप किसी भी रूप में कितनी ही बातें पूछें ।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर जो भूमिहीन किसान हैं उनको गत वर्षों में भूमि नीलाम की गई है ? क्या भविष्य में भी

(श्री मनफूलसिंह)

भूमिहीन किसानों की जमीन नीलाम की जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भूमि कभी नीलाम नहीं की गई।

श्री मनफूलसिंह : रेन्ट नीलाम हुई तो क्या आगे भी रेन्ट नीलाम होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के बीच में क्या निर्णय होगा, उसके ऊपर डिपेन्ड करेगा। मैं उस पर विचार करूंगा कि क्या होगा ?

श्री भीमसेन : भूमिहीन किसान यहां बहुत हैं। अगर आप बाहर के काश्तकारों को लायेंगे तो यहां के कहां जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाहर के काश्तकारों को लाने का प्रश्न भी दिमाग में आया कैसे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी नीतियों को देख देख-कर आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्थितियां इस प्रकार की होती जा रही हैं। आप भूमि देते नहीं। टेम्पोरेरी ऐलॉटमेन्ट के लिए रेन्ट ऑक्शन पर देते हैं और इसको कोई गरीब ले नहीं पाते क्योंकि सौ-सौ और सवा-सवा सौ पर रेन्ट ऑक्शन की बोली जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण न दें।

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई): क्या यह सही है कि हमारे यहां के मुख्य मन्त्री ने पंजाब के मुख्य मन्त्री को एक लाख आदमियों को बसाने के लिए आश्वासन दिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई आश्वासन नहीं दिया। शायद आपके दिमाग में गलतफहमी होगी।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : यहां भूमि दी जायेगी, नेफा के दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरा प्रश्न है डिसएबल्ड सर्विसमैन जो फ्रन्टियर पर और दूसरी सीमाओं पर लड़ रहे हैं और मरे है उनके डिपेन्डेन्ट्स के लिए या डिसएबल्ड पर्सन्स के लिए पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों में रिज़र्वेशन किया गया था, उसके बारे में घोषणा की थी। पंजाब के आदमियों को बसाने की योजना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और न कोई ऐसी योजना ही है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, हमारी यह आशंका है कि राजस्थान में बाहर के पंजाब के लोग हजारों की तादाद में आते हैं और जमीन लेते हैं। ये आंकड़े राजस्थान सरकार की सेन्सस के आंकड़े हैं। वह यह सबूत है कि पिछले १० सालों में गंगानगर जिले की आबादी ६४ परसेंट इन्क्रीज़ हुई है। वह इस बात का सुबूत है कि किस तरह से राजस्थान में बाहर के काश्तकार भूमिहीन बन गये और उन्होंने

(श्री भीमसेन)

जमीन प्राप्त कर ली और वह जमीन राजस्थान सरकार ने दी है। इस तरह से यह आशंका है कि पंजाब के लोग यहां के भूमिहीन बनकर राजस्थान में जमीन प्राप्त करेंगे। इसलिए हम वह प्रोटेक्शन चाहते हैं कि राजस्थान के काश्तकारों को राजस्थान में प्रायोरिटी दी जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाचना तहसील में कई फर्जी एन्ट्रीज़ करवाई गई हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सारे प्रश्न में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि १ अप्रेल से राजस्थान नहर भारत सरकार के आधीन जा रही है। भारत सरकार के बजट में इसका प्रोवीज़न भी हो गया है। हम यह चाहते हैं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजस्थान में जो १५ अक्टूबर, १९५५ को जिनका जमीन पर कब्जा था उनको खातेदारी हकूक दिये जायं। राजस्थान सरकार वे हकूक नहीं दे रही है और १ अप्रेल के बाद में दूसरी पॉलिसी भारत सरकार अगर लागू कर दे, तो जो काश्तकार कानून की दृष्टि में खातेदार नहीं बन गये हैं वे उस जमीन से महरूम हो जायेंगे वे भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेंगे। इसलिए कम से कम १ अप्रेल से पहले पहले राजस्थान सरकार उनकी खातेदारी दर्ज करवाये जिनको राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये हैं। क्योंकि एलॉटमेंट की पॉलिसी स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सदन के इस सत्र में ४-५ बार प्रश्न उठाया जा चुका है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि तीनों सरकारें बैठ कर सोचेंगी और ढाई साल से वे यह रट लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार को फुरसत नहीं है और दूसरी सरकारें इस बारे में सोच रही हैं और शीघ्र ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भूमिहीनों की बना रहे हैं और राजस्थान में यह स्थिति है कि आज भूमिहीनों को कोऑपरेटिव बनाने तक की ताकत नहीं हैं। वे कोऑपरेटिव बनाने जाते हैं, माथुर साहब सुनिये, तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार यह कहते हैं कि जब तब डाइरेक्टर ऑफ कोलोनाइज़ेशन यह न कहें कि किस जगह भूमि खाली है और उनको भूमि दी जा सकती है तब रजिस्ट्रेशन करेंगे और भूमिहीन धक्के खाते फिरते हैं।

सहकारी मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : बिल्कुल ठीक कहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह राजस्व मंत्री भी सुन रहे हैं। ये काश्तकारों के नेता हैं। राजस्थान के भूमिहीनों की कोऑपरेटिव्ज़ आज बन नहीं पा रही हैं और पंजाब के भूमिहीन कोऑपरेटिव्ज़ बना रहे हैं और उनको प्रायोरिटी मिलेगी। उस प्रायोरिटी का नतीजा यह होगा कि राजस्थान के भूमिहीनों का नम्बर जमीनों के एलॉटमेंट में दूसरा आयेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सारे प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से निर्णय करें, या अध्यक्ष महोदय एक घन्टे का डिस्कशन राजस्थान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहर में जमीनों की एलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में तय कर दें ताकि इस सदन की भावना सरकार के समक्ष आ सके ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, स्थिति की गम्भीरता इस चीज को लेकर आ जाती है कि टेम्पोरेरी एलॉटमेंट सरकार भी नहीं करती है। जब एलॉटमेंट का समय आता है तो रेन्ट का ऑक्शन किया जाता है और जो ५५ के पहले के भी काश्तकार हैं अगर उनकी जेब में पूंजी है तो वे ऑक्शन में खड़े हो सकते हैं। जब राजस्थान नहर लाई गई तो नवाना सरदारगढ़ में ऐसे काश्तकार मौजूद हैं जो कि १०–१० मुरब्बा जमीन पर १०–१५ साल से काश्तकार थे उनकी जमीनें ऑक्शन में ले लीं। खुद राजस्व मंत्री इस बात को जानते हैं और वे उस स्थान पर गये हैं। वहां पर जबरदस्त स्थिति यह हुई है कि उनका कब्जा तोड़ दिया गया है और गिरदावरियां तोड़ी गई हैं। इस सारी गम्भीर स्थिति पर गम्भीरता से विचार करें। जो १५-१५ साल से बंजर को तोड़े बैठे हैं उनका क्या कुसूर है ? क्या उनको प्रोटेक्शन पाने का अधिकार नहीं है ? बुरे दिन उन्होंने देखे हैं तो अच्छे दिन भी उनको देखने देना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर विषय है । इस पर दो ढाई घन्टे का समय विचार करने के लिए सदन में दिया जाय।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : इस प्रश्न का आशय यह है कि जो भूमिहीन किसान हैं राजस्थान केनाल एरिया में और जिस गांव से नहर जा रही है; तो सबसे पहली प्राथमिकता आवंटन के अन्दर उन किसानों को दी जाय और नीलाम नहीं करके जमीन उनको वैसे ही दे दी जाय। एक साल के लिए जब तक कि रूल्स परमानेन्ट नहीं बन जाते तो इस पर सरकार पूरी तरह से क्या निर्णय देती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया........

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी भी तो कुछ कहें इस बारे में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ....वहां के रहने वाले....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये कानून की बात कहेंगे और हम पॉलिसी की बात सुनना चाहते हैं। वे यही कह सकते हैं कि नियम में यह लिखा है और कानून में यह लिखा है । लेकिन क्या पॉलिसी बना रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम भविष्य जानना चाहते हैं राजस्व मंत्री से कि राजस्थान नहर का क्या भविष्य है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान नहर का भविष्य....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां पर बसने वालों का क्या भविष्य है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान....

राजस्व मन्त्री (कुम्भाराम आचार्य) : जो सारा प्रश्न उपस्थित किया है उसके बारे में बैठ कर उनसे आज ही मैं बात कर लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

कस्बों तथा नगरपालिकाओं को भवन-निर्माण के लिए ऋण देने के आधार

१५५. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बे तथा नगरपालिकाओं के उनकी सीमा में निवास करने वाले व्यक्तियों को माध्यम एवं अल्प आय भवन योजना ऋण (मिडल) व लो इन्कम हाउसिंग स्कीम लोनस्वीकृत करने हेतु चयन करने का माप दण्ड क्या है ?

(२) यह लाभ वर्तमान में राजस्थान के किन किन कस्बों तथा नगरपालिकाओं को कब कब से मिल रहा है ? उनकी जनसंख्या तथा इन नगरों के सम्बन्ध में अन्य विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी नगरपालिका ने भी सरकार से उसे ऋण दिये जाने हेतु अनुरोध किया है तथा वर्तमान में जिन अन्य नगरों को ऐसा ऋण दिया जा रहा है, उनसे उनका दावा अपेक्षाकृत श्रेष्ठतर है ?

(४) सरकार ने रामगंज मंडी को हाउसिंग ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही क्यों नहीं की तथा अब इस नगरपालिका को कब तक ऋण स्वीकृत हो जाने की आशा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परस राम मदेरणा) : (१) अल्प व माध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजनाओं को किसी कस्बों व नगर में लागू करने का मापदण्ड निम्न प्रकार से हैं:—

१. ऋण देने के लिए पर्याप्त धनराशि होना।

२. बढ़ती हुई आबादी के कारण मकानों की कमी।

३. ऋण के लिए मांग।

४. कस्बे की महत्वता उदाहरणार्थ-पर्यटकों के देखने योग्य स्थान, जिले व डिविज़न के केन्द्रीय कस्बे या नगर, औद्योगिक नगर अथवा कस्बे या अन्य किसी कारण से महत्वता।

५. नगरपालिकाओं के भवन में घरों की अनुमानित निर्माण धनराशि का २० प्रतिशत व इससे अधिक करने की क्षमता।

६. मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के लागू करने के लिए आय कर देने वाले मनुष्यों की संख्या।

श्री परसराम मदेरणा ।)

(२) वर्तमान में राजस्थान के जिन कस्बों व नगरपालिकाओं को इन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण मिल रहा है उनको चालू करने का वर्ष जनसंख्या आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) नगरपालिका रामगंज मंडी की ओर से इस वर्ष कोई मांग ऋण हेतु प्राप्त नहीं हुई इसलिए अन्य कोई प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न ३ में वर्णित परिस्थिति के कारण से प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है नगरपालिका रामगंज मंडी की ओर से ऋण के लिए मांग हुई है फिर भी मंत्री महोदय ने अभी यह जवाब दे दिया है और इसी आधार पर नामन्जूर कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं हुई है तो मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी तरफ से मांग हुई है या आगे होने वाली है और बताई हुई शर्तों को पूरा करने की क्षमता उस नगरपालिका में है तो भविष्य में उसको ऋण देने की योजना करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर उन्होंने इस प्रकार की मांग कलेक्टर के पास की है, जैसा कि मेरी जानकारी में है कि मांग नहीं की है ऋण के सम्बन्ध में, लेकिन सब शर्तो को पूरा करते हैं लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि पर्याप्त धनराशि गवर्नमेंट के पास हो। अगर धनराशि नहीं हुई तो उस वक्त यह देखा जायगा कि आया अर्थाभाव में हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब यह सामने आयेगा और मांग होगी तभी उचित निर्णय लिया जा सकता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह अर्थाभाव केवल रामगंज मंडी के लिए ही होगा क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्थाभाव है और मांग सब जगह से आ रही है बराबर और हम सब जिलों की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए रामगंज मंडी के साथ में नहीं हो लेकिन अर्थ का अभाव तो है ही, क्योंकि बराबर चेतना बढ़ती जा रही है जनता में, कि मकान बनाना है और इतना पैसा हम नहीं दे सकते हैं।

जहां तक प्लानिंग का सवाल है हम कुछ विदिन सीलिंग ऑफ दी प्लान देते हैं और आउटसाइड दी सीलिंग लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन देती ही है, लेकिन दोनों के होते हुए भी हम लोगों की डिमाण्ड को पूरा नहीं कर सकते हैं।

मीडियम इन्कम ग्रुप वालों को इस पोइन्ट पर एग्ज़ामिन करा रहे हैं। उनकी यदि मांग हो तो आप कृपया भिजवा देवें हम इसको एग्ज़ामिन करा लेंगे और टाउन की महत्वता को देखते हुए और धन उपलब्ध रहा तो कुछ मकानों के बनाने के लिए राम गंज मंडी की डिमान्ड पर कन्सीडर किया जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : अर्थाभाव के बावजूद भी यह मान कर चलें कि आपने लो इन्कम और मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ न कुछ प्रावधान बजट में रखा होगा तो मैं जानना चाहूंगा कि जितना भी धन है उसमें रामगंज मंडी अगर सब शर्तों को पूरा कर सकती है तो मानने को तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बड़े इच्छुक जान पड़ते हैं इसलिए मैं उनको एश्योरेन्स देना चाहता हूं कि लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोन देने की जो योजना है और इस बात की मांग आयेगी तो रामगंज मंडी पर लागू कर दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न संख्या (१) के उत्तर में जो माप-दण्ड निर्धारित किया है वह किसने किया, केन्द्र ने या राज्य सरकार ने ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार का मापदण्ड मुकर्रर करने के लिये प्लानिंग कमीशन से हिदायत आई है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार का माप-दंड निर्धारित करने के लिये विभिन्न प्रकार के नगर या कस्बों को ही इस स्कीम में लिया जाय, इस बारे में हिदायत प्लानिंग कमीशन से आई है क्या ?

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : प्लानिंग कमीशन से इस सिलसिले में हिदायत नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार को जो धनराशि उपलब्ध होती है उसको मुद्दे नजर रखते हुए इस स्कीम को पहले बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स में लागू किया उसके बाद ज्यों ज्यों धनराशि बढ़ती है त्यों त्यों दूसरी जगह भी लागू करते हैं लेकिन इसमें पोपुलेशन को मेन रखा है और डिमान्ड को भी ध्यान में रखते हैं।

सावां नदी पर बांध

१५६. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील बसवा में मेडया चांदेरा के पास नदी सावां को रोक कर बंध बनाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सर्वे होकर स्वीकृति हो चुकी है ?

(२) क्या इस बंध की स्कीम को चालू करने के लिये पंचायत समिति बांदीकुई की ओर से प्रार्थना की गई है और क्या इस तहसील में उत्पादन बढ़ाने की नजर से शीघ्र ही इस योजना को कार्यन्वित किये जाने का सरकार का विचार है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) सर्वे के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकेगा।

Page No 14

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह सही है कि इस एरिया की कम्प्लीट स्कीम बना कर तैयार की गई थी, लेकिन इसको इसलिये रोक दिया गया था कि भरतपुर में पानी का नुकसान होगा। गत वर्ष आपके यहां से यह बताया गया था, लेकिन आज आप कहते हैं कि स्कीम नहीं है। स्कीम पहले से ही थी। भूतपूर्व जयपुर स्टेट के टाइम में कम्प्लीट सर्वे होकर नक्शा बना था उस पर नोटिंग हुआ। इसके बाद राजस्थान में स्कीम बन कर सर्वे हुआ और मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सर्वे कर लिया गया है लेकिन इसका असर भरतपुर पर पड़ेगा इसलिये बांध नहीं बनाया जायगा।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, पुरानी जयपुर स्टेट में सर्वे हुआ था तो उसका रेकार्ड हमारे पास नहीं है लेकिन इस विभाग द्वारा सर्वे नहीं किया गया है। इनकी अर्जी आने के बाद और इनके कहने के बाद अगर स्कीम फिजीबल होगी तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपका राजस्थान बनने के बाद इसके कागजात बने, सर्वे हुआ और इससे सम्बन्धित कागजात आपके यहां हैं। गत टाइम मेरे सवाल के उत्तर में यह बताया गया था कि भरतपुर पर असर पड़ता है, इसलिये बांध बनाने को तैयार नहीं हैं। इस समय पंचायत समिति ने भी लिखा है। आपको मुगालता हुआ है, आपके यहां से जो नोटिंग हुआ है वह गलत है।

श्री दिनेशराय डांगी : इस समय जो सूचना मुझे दी गई है वह मैंने माननीय सदस्य के सामने रखी है। आप जैसा फरमाते हैं उसकी जानकारी और करवा लेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अजीब चीज है। आपके सामने सारा सवाल है। दफ्तर से आपको गलत सूचना मिलती है। जब पिछले टाइम लोबी में चीफ इंजीनियर के सामने बताया है फिर भी आज गलत इनफोर्मेशन देते हैं कि स्कीम नहीं है। मैंने जो सवाल गत वर्ष दिया था उसके उत्तर में आपने बताया है :

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने यह नहीं कहा कि स्कीम नहीं है। स्कीम हो सकती है फिर भी आदेश दिया जा सकता है। सर्वे किया जाकर फिजीबल हुआ तो हाथ में लिया जायगा।

नगरपालिका कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता

१५७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो यह प्रश्न किस स्टेज पर है तथा अन्तिम निर्णय होने में कितना समय लगेगा ?

उप-मन्त्री, स्वायत्तशासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिस सिद्धान्त के अनुसार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया है उसी के आधार पर क्या आप उचित नहीं समझते कि म्युनिसिपल कर्मचारियों के वेतन में भी मंहगाई भत्ता मिलाया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखता है और इस संदर्भ में भी विचार किया जा सकता है इसलिये उत्तर दिया है, 'जी नहीं'।

श्री रामानंद अग्रवाल: क्या आप यह चाहते हैं कि कर्मचारियो की तरफ से जह प्रश्न उठे, यदि सरकार यह चाहती है कि म्युनिसिपल बोर्डो के कर्मचारी बार बार झगड़ा उठावें तो वे बार वार इस बात को उठा रहे हैं। जिस आधार पर सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को इसमें शामिल किया है उसी आधार पर सरकार अपने स्तर पर विचार करके निर्णय क्यों नहीं लेती। फाइनेन्सेज़ के लिये सरकार किसी हद तक सप्लीमेन्ट करने को तैयार है तो इस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं किया?

श्री दौलतराम सारण : मैं तथ्य अवगत करा चुका हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लोकल बोडिज में पंचायत समितियां भी हैं वहां के कर्मचारियों के वेतन में भत्ता जुड़ा हुआ है। म्युनिसिपेलिटीज़ भी लोकल बोडीज़ हैं। एक तरह की लोकल बोडीज़ के कर्मचारियों के वेतन के साथ भत्ता जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरह की लोकल बोडीज़ के कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ता क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकाएं खुद टैक्स लगाती हैं और पंचायत समितियों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है यह भेद है। मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति है। आपने जो सूचना चाही वह मैंने निवेदन कर दी।

प्रश्न संख्या १५८

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

जनता के लिये उपयोग भूमि का व्यक्ति विशेष को आवंटन

१५६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में कलेक्टोरेट के पास दिल्ली दरवाजे बाहर अशोक नगर जाने वाली सड़क के करीब एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली है और उसमें जानवरों के पानी के लिये व्यवस्था है और एक छतरी भी बनी हुई है ?

Page No 16

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह सही है कि प्लॉट जनसाधारण के लिये बहुत उपयोगी है और इस पर मोटर तांगे आदि ठहरते हैं और बाहर गांव से आने वाले किसान भी यहां ठहरा करते हैं?

(३) क्या यह सही है कि यह प्लॉट बिना नीलामी के किसी को एलॉट कर दिया गया है ?

(४) क्या सरकार इस प्लॉट के सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस एलॉटमेन्ट को कैंसिल करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन(श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। तांगे प्लॉट के बाहर ठहरते हैं और किसान भैरवजी के मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री जोधसिंह चौहान : यह जमीन प्लॉट कैसे कर दी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, बीकानेर ने सिफारिश की थी, उस पर गवंनमेन्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन को एलॉट की है।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या वहां पर मोटर, तांगे और गांव वाले आकर नहीं विश्राम करते हैं जो कलेक्टोरेट में आते हैं पेशी पर ? फिर भी यह जमीन एलोट कर दी।

श्री परसराम मदेरणा : भैरूजी के मंदिर के आस पास की भूमि छोड़ दी है जिनके दर्शनार्थ लोग आते हैं उनको असुविधा न हो।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही नहीं है कि वहां पर छतरी को तोड़ दिया गया है सिनोटाफ और सारी जगह डिमोलिश कर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : छतरी सिनोटाफ नहीं है, वहां पर पीने का पानी रहता था उसके बजाय दूसरी प्याऊ बना दी ताकि लोगों को तकलीफ न हो।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या इस जमीन को एलॉट न करके नीलाम करते तो सरकार को ज्यादा आमदनी नहीं होती ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार महसूस करती है कि नीलाम करते तो भी १ लाख २५ हजार से ज्यादा आमदनी नहीं होती और १ लाख २५ हजार रुपये में लाइफ इन्श्योरेन्स कोर्पोरेशन को दी गई है। यह जमीन कलेक्टोरेट के सामने है और इसके पास में जो दूसरी बिल्डिंग है वह खूबसूरत है और हम चाहते थे कि इस पर भी जो इमारत बने वह खूबसूरत हो और एल. आई. सी. की मांग थी कि हमारी बिल्डिंग मौके पर बनाना चाहते हैं जो कांस्पीकुअस जगह पर हो। यह एक बहुत बड़ा इन्स्टीट्युशन है इसलिए इसको दी है व्यक्ति विशेष को नहीं दी है।

Page No 17

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या नजूल रूल्स के अनुसार बिना नीलाम किए कोई प्लॉट एलॉट नहीं हो सकता ? यदि यह गलती हुई है तो किस तरह से हुई ?

श्री जोधसिंह चौहान : बताइये कि यह जमीन कितनी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने एलॉट नहीं किया है, यू. आई. टी ने हमारे पास रिकमेन्डेशन भेजी थी कि क्या गवर्नमेन्ट एप्रूव करती है कि यह जमीन एल. आई. सी. को दी जाय इस पर हमने उनको सैंक्शन दे दी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नजूल रूल्स सन् ६१ में बने थे उनके अनुसार जमीन केवल नीलाम ही हो सकती है, लेकिन एलॉट करने का अधिकार न तो सरकार को है न यू. आई. टी. को, तो फिर कैसे सरकार द्वारा इस पर मन्जूरी हुई और कैसे इसको एलॉट किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स के बारे में मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता कि जमीन किसी को एलॉट नहीं कर सकते या कर सकते हैं, लेकिन जगह जगह एलॉट की गई है, कुछ नीलाम करते हैं। ट्रस्ट के एक्ट की धारा ३२ के नीचे स्कीम बनती है और दफा ३८ के माफिक उसका फाइनल एप्रूवल गवर्नमेन्ट का होता है। स्कीम के अनुसार सेक्टर बनते हैं, उनमें से कुछ को नीलाम करते हैं और कुछ को एलॉट करने हैं उसी के अनुसार यह जमीन एलॉट की गई।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि रूल्स आपके साफ हैं। आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्सटीट्यूशन्स की तरफ से इन रूल्स की पाबन्दियां होती हैं—कुछ म्यूनिसिपैलिटी में तो यह है कि वह नीलाम नहीं कर सकतीं और कुछ में एलॉटमेंट बिल्कुल बन्द है। फिर आप किसी एक पर्टीक्यूलर केस में, पर्टीक्यूलर यू. आई. बी. या म्यूनिसिपैलिटी को यह इजाजत दें उसको करने की और अपने नियम के विरुद्ध मंजूरी देते हैं-तो आप अपने रूल को कुछ कैसेज़ में कैसे तोड़ते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : म्यूनिसिपैलिटी का प्रश्न नहीं है, इसमें ट्रस्ट ने एलॉट किया है। इसमें कानून तोड़ने का सवाल नहीं है। उनकी रिकमन्डेशन पर यह किया गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नजूल रूल्स में सबके लिए पाबन्दी आपने की है। आपके ही बनाये हुए १९६१ के रूल्स हैं।

श्री स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : एल. आई. सी. एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है। इसमें किसी इन्डीविजुअल को देने का प्रश्न नहीं है जिसको कोई प्रोफिट मिले। इसलिए एल. आई. सी. को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वह उसको एक सेमी--गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन के रूप में दिया जा रहा है। जो जमीन दी गई है वह प्लानिंग की दृष्टि से दी गई है। यह जमीन नजूल की जमीन है, सरकार की जमीन है, सरकार अपने आपको या सेमी-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकती है। इसके अन्दर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या आप इन रूल्स को अमैंड करायेंगे कि इन इन्स्टीट्यूशन्स को दी जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

महेश टॉकीज़ गंगापुर को एलॉट की गई जमीन

१६०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगापुर में महेश टॉकीज़ के नाम से जो सिनेमा चल रहा है उसकी जमीन कब कितनी तथा किस रेट पर एलॉट हुई है ?

(२) इस जमीन के लिए कितनी धनराशि किस तारीख को जमा कराई गई है ?

(३) क्या यह सही है कि यह जमीन टाउन इम्प्रूवमेंट एरिया में है ? क्या किसी और को भी टाउन इम्प्रूवमेंट के एरिया में जमीन एलॉट हुई है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) गंगापुर में महेश टॉकीज नाम से जो सिनेमा चल रहा है उसको जमीन २६-४-४८ को एलॉट हुई है जिसका क्षेत्रफल ३४३८ वर्ग गज है।

(२) अभी तक पार्टी ने कोई धनराशि जमा नहीं कराई है।

(३) जी हां। जिन व्यक्तियों को टाउन इम्प्रूवमेंट एरिया में जमीन एलॉट हुई है उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें पहले प्रश्न में यह पूछा कि किस रेट पर एलॉट हुई है, वह इसमें मंत्री महोदय ने नहीं बताया। इसके अलावा १९४८ के अन्दर जमीन एलॉट हुई है और आज तक धनराशि जमा नहीं हुई है-इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, फॉर्मर स्टेट के वक्त में यह जमीन एलॉट हुई थी और उस वक्त एलॉट करके मूल्य निर्धारण का प्रश्न ओपन छोड़ दिया था। क्योंकि मूल्य निर्धारित नहीं हुआ इसलिए धनराशि जमा नहीं हुई। इसके संबंध में यह फाइल कई स्टेजेज में से निकलती हुई आई है और अब चूंकि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बन गया है इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में यह चीज रहने से वही मूल्य निर्धारण करेंगे, जमीन की कीमत तय करेंगे। इसके अलावा यह प्रश्न आया है, इसमें जहां तक देरी का प्रश्न है I am Sorry for the delay.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक सन् १९४८ से आज तक मूल्य निर्धारण नहीं हुआ है यह बात सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो निवेदन किया है।

Page No 19

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्य सरकार ने अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के मुकर्रर होने से पहले क्या मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई कदम उठाये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कदम उठाने का एक लम्बा-चौड़ा इतिहास है और उसमें मैं नहीं जाना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वह फेल्योर का इतिहास ही है ना !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया है कि इसमें देरी किस वजह से हुई है, उनको मैं स्वयं देख रहा हूँ कि देरी के लिए कौन जिम्मेदार है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इसमें जो ३४३८ वर्ग गज जमीन की जो सीमा बतलाई है वह कम है और दूसरे वह जमीन उनके कब्जे में अधिक है और वह जमीन १९४८ से उनके कब्जे में है, पजेशन में है और उसका पैसा जमा नहीं कराया है। इसके अलावा जो १७ और १८ में लिखा है-उसमें दो आदमियों को जमीन एलॉट हुई है-एक तो सैयदअली, एडवोकेट और हरचरन एडवोकेट। लेकिन उनके पहले दो हजार आदमियों की एप्लीकेशन्स पड़ी हुई थीं, लेकिन उनको जमीन एलॉट नहीं की गई है और केवल दो को की गई हैं। उनको जमीन देने के बाद भी उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया है, जब कि दूसरे लोग जो पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं, उनको नहीं दे रहे हैं-इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : दो लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया है। इसी तरह से ग्यारह मकानों को तोड़े जाने के आदेश जारी कर रखे हैं। सरकार से उसका एक डेपूटेशन भी मिला था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिनके मकान बने हुए हैं उनको जमीन दे दी गई है और पैसा जमा नहीं करवाया गया है। इस तरह से कब तक चलता रहेगा। उनको १९४४ में जमीन दी गई थी, अब यह १९६५ हो गया है, यानी २१ साल हो गये हैं लेकिन अभी वैसे ही चल रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पैसा वसूल करने का सवाल है इसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया। बाकी कैसेज ऐसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरिजन कोलोनी, रिफ्यूजी कोलोनी...

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : इनको रहने दीजिये, यह तो गवर्नमेंट को एलॉट की गई हैं। जो वह तीन नामों से की गई हैं- रिफ्यूजी कोलोनी, हाई स्कूलों के लिए आपत्ति नहीं है वहां तो सरकारी बिल्डिंग बनी हैं लेकिन जो तीन आदमियों को जमीन एलॉट की है उनको ही क्यों एलॉट की गई बाकी और लोगों को क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जमीन १९५८ या ५७ के अन्दर की गई थी। आपने चूंकि पूरी लिस्ट मांगी थी इसलिए लिस्ट दे दी है। इनको क्यों की गई और

Page No 20

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्यों नहीं की गई-वह तो पूरी फाइल देखने से ही मालूम हो सकता है। आपका क्वेश्चन स्पेशली टॉकीज के मामले में था और लिस्ट मांगी थी, वह आपको दे दी गई है, अब किन परिस्थितियों और किन कारणों से दी गई-यह १९४८ से लेकर १९५८ तक जिन दस-ग्यारह, जो भी हैं, को दी गई उनके बारे में बिगतवार मैं स्थिति नहीं बता सकता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है कि उनको जमीन एलॉट की गई है और उनसे अभी तक पैसा वसूल नहीं किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। क्योंकि इसके आदेश में जो डिप्टी कमिश्नर १९४८ में थे, उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि इसका मूल्य जो गवर्नमेंट निर्धारित करे वह इन्हें देना होगा। इस प्रकार की शर्त पर जमीन दी गई है इसलिए यह नियमों के विपरीत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें जो संख्या १७ और १८....

वैद श्री गोविन्दसहाय : मंत्री महोदय क्या यह बताने की...

श्री रामानन्द अग्रवाल : में लिखे जिन दो व्यक्तियों को जमीन दी है इनसे कीमत वसूल नहीं होने के क्या कारण हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, इसमें जिन १७-१८ व्यक्तियों को दी है, जिसकी लिस्ट आपने मांगी थी उनको किन परिस्थितियों और किन शर्तों पर दी गई, उसकी कितनी कीमत तय की या नहीं तय की-यह डिटेल्स में जानकारी देने का प्रश्न है, उनका संदर्भ आज नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १७ और १८ संख्या वालों से कीमत वसूल हुई है या नहीं, यह बता सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कीमत वसूल की है या नहीं की है-इसकी इस समय जानकारी नहीं है। आपने लिस्ट मांगी वह दी मैंने कि इतने अर्से में किन किन को दी। अब इनसे कीमत वसूल की है या नहीं, मूल्य निर्धारण करना बाक़ी है या नहीं-इस बारे में तहकीकी तौर पर नहीं कह सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका फैसला कितने दिनों में कर लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब फैसला गवर्नमेंट के करने का नहीं रहा है क्योंकि टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, गंगापुर में बन गया है एक साल के पहले। इसलिए सारे मामले मूल्य निर्धारण और भूमि के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वही करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उनको डाइरेक्शन दे सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह डाइरेक्शन अवश्य दे देंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले में मूल्य-निर्धारण का फैसला किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : एक निवेदन करना है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : वैसे तो आपके आदेश को मानने को तैयार हूं ....

श्रीअध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! अभी बहुत से प्रश्न बाकी हैं।

श्री गणपतिलाल वर्मा।

अनवासा बांध की योजना

१६१. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील में अनवासा नामी बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी और उसकी सर्वे भी कराई गई थी ? यदि हां, तो अब इसका कार्य कब से शुरू किया जाने वाला है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी हां, इसका सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है व तखमीना भी बनाया जा चुका है। तकनिकी दृष्टि से उसमें कुछ हेर फेर की आवश्यकता थी। अतः उसकी फिर से जांच की जा रही है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य आरम्भ हो सकेगा।

श्री गणपतिलाल वर्मा : यह कब तक हो जायगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : सही समय तो नहीं बता सकूंगा, जल्दी बनाया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह मालूम ही नहीं है कि बांध कहां है, यह काम हो गया है या दो महीने में होने वाला है ? इस्तीफा आप कब देने वाले हैं ?

एक माननीय सदस्य : वह भी जल्दी होगा।

श्री दिनेशराय डांगी : यह कार्य छः महीने में शुरू कर दिया जायगा।

कई माननीय सदस्य : क्या फर्माया ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा कार्य छः महीने में शुरू कर दिया जायगा ?

श्री योगेन्द्रनाथहांडा (रायसिंहनगर) : इस्तीफे का काम या बांध का काम ?

श्री दिनेसराय डांगी : जिससे मांगना चाहिए, उससे मांग नहीं सकते। आप में ताकत नहीं है इस बात की।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन का एलॉटमेंट

१६२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हिण्डौन म्युनिसिपैलिटी के प्रशासक ने हिण्डौन स्टेशन के पास म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन को बिना नीलाम किये एलॉट कर दिया है ?

(२) क्या यह सच है कि उस जमीन को अन्य लोग २०) रु० गज के हिसाब से खरीदने को तैयार हैं ? यदि हां, तो उनको क्यों नहीं नीलाम की गई ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) प्रार्थी को अन्य ली गई भूमि के बदले में यह भूमि एलॉट की गई है। अन्य की जानकारी नहीं है।

श्री श्रवणलाल : दुबारा पढ़ दीजिये, सुनाई नहीं दिया।

श्री दौलतराम सारण : (१) जी हां।

(२) प्रार्थी को अन्य ली गई भूमि के बदले में यह भूमि अलॉट की गई है। अन्य की जानकारी नहीं है।

श्री श्रवणलाल : यह भूमि के बदले भूमि दी गई। यह जो भूमि दी गई है वह कौनसी जगह दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : यह स्टेशन के पास १६७ वर्ग गज भूमि तीन रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से नजराना लेकर दी गई है।

श्री श्रवणलाल : किसको दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : मिश्रीलाल रामस्वरूप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या यह सही है कि कम कीमत में ज्यादा जमीन दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल : क्या यह सच है कि उस जमीन को अन्य व्यक्ति २०) रुपये प्रति गज के हिसाब से लेने को तैयार थे और उनको नहीं दी गई।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है ?

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि प्रशासक महोदय ने जो जमीन अलॉट की है उसके लिये म्युनिसिपेलिटी ने कोई एतराज उठाया या कोई किसी प्रकार की कार्यवाही की है ?

श्री दौलतराम सारण : म्युनिसिपैलिटी के ही तो प्रशासक थे जिन्होंने जमीन एलॉट की।

श्री श्रवणलाल : प्रशासक ने उस भूमि को एलॉट कर दी जब कि २५००) से अधिक के पॉवर्स उनको नहीं थे। उन्होंने १४०० और कुछ रुपयों में अलॉटमेंट किया है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको बताया कि उनसे नजराना के ३४८ रुपये और १७४ रुपये, इस प्रकार कुल ५२२ रुपये लेकर उनको अलॉटमेंट किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): एडमिनिस्ट्रेटर ने बेची है, अपने पॉवर में बेची है। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि वास्तव में वह जमीन जो अलॉट की गई है वह २०) प्रति गज की है और क्या वह इन्कम टैक्स चुकाते हैं या नहीं या उन्होंने वह जमीन लो इन्कम वालों को दी है, अगर उन्होंने लो इन्कम वालों को नहीं दी है तो इस तरह के अलॉटमेंट प्रशासन को करने का अधिकार नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना मेरे पास नहीं है। जो सूचना प्रश्न में चाही गई वह मैंने दी है। भूमि की रेट बताई है और भूमि के बदले में भूमि दी वह बताया है।

श्री अध्यक्ष : "बदले में भूमि" से क्या मतलब है?

श्री दौलतराम सारण : उनकी जमीन सरकार ने ली थी उसके बदले में उनको जमीन दी।

श्री अध्यक्ष : किस कार्य के लिए ली गई और किस नियम के अन्तर्गत यह दी गई।

श्री दौलतराम सारण : यह जमीन उसकी कोई बांध में आई थी।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में जानकारी कर ली जावे और अगले सप्ताह में इसकी जानकारी दे दें।

नैक्स्ट।

कस्बा टोडारायसिंह में मोटर स्टेन्ड

१६३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि मोटर स्टेन्ड कस्बा टोडारायसिंह, मालपुरा दरवाजे पर है? यदि हां, तो यह कब बनाया गया था?

(२) क्या यह भी सच है कि इससे पूर्व मोटर स्टेन्ड दूसरी जगह पर था? यदि हां, तो कहां पर, और कब से था और उसकी सफाई आदि में बोर्ड का कितना रुपया खर्च हुआ था?

(३) जब बोर्ड द्वारा रुपया खर्च करके मोटर स्टेन्ड बनवाया गया था तो फिर दूसरी जगह मोटर स्टेण्ड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और पहले मोटर स्टेन्ड बनने के कितने दिनों बाद दूसरा मोटर स्टेण्ड बनाया गया?

(४) क्या यह भी सच है कि मौजूदा मोटर स्टेण्ड के पास मोर चुग्गा का मकान जनता ने पहले से ही बना रखा था तथा अब वहां मोटरों की आवाज से जानवर नहीं आते हैं जिससे जनता द्वारा लगाया गया रुपया बेकार हो गया? यदि हां, तो

(श्री जयनारायण सालोदिया)

क्या सरकार मोटर स्टेण्ड को पहले वाली जगह पर तब्दील करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों !

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । दिनांक १७-१-६३ से चालू हैं ।

(२) जी हां । मूडापोल था । रास्ता चौड़ा करने पर २६) रुपया व्यय किया गया था ।

(३) १० माह बाद । जगह की कमी के कारण ।

(४) जो मोर चुग्गा का स्थान बना रखा था वह अब भी है । बस स्टेन्ड वापस बदलने का कोई विचार नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने फरमाया कि पहले स्टेण्ड था और कुछ बोर्ड का रुपया भी खर्च हुआ । आपने यह भी बताया कि जमीन की कमी थी । पहले । म्युनिसिपेलिटी ने क्यों रिक्वीजिशन किया ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका ने उचित समझा और बाद में भीड़-भाड़ ज्यादा होने की वजह से उसको बदल दिया । इसमें आपत्ति की कोई बात नजर नहीं आती ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसे नगरपालिका द्वारा बनाया गया था और पैसा खर्च किया गया था । फिर उसको दूसरी जगह बदला गया । वहां पर बोर्ड था वह पहले भी इसको देख सकते थे । दूसरी बात यह है कि मोटर स्टेण्ड है वहां पर पास ही में मोरचुग्गा का मकान बन रहा है । मोटर की आवाज़ से जानवर उड़ जाते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : जिस जगह मोटर स्टेन्ड है वहां मोटर यूनियन की मांग थी, स्थाई रूप से बनाने की, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है । और वह सड़क से जुड़ा हुआ है । मोरचुग्गा जैसा आपने कहा है, मैंने भी आपसे निवेदन किया कि वहां पर है और उसकी दीवार अलग बनी हुई है और जो पक्षी वहां पर आते हैं चुगते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह नहीं कहता कि वहां पर दीवार नहीं बनी है । वहां दीवार बनी है । मगर मोटरों की आवाज से जानवर उड़ जाते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : बाजार के जानवर तो बाजार में हमेशा चुग्गा करते हैं जिनको हम रोजाना देखते हैं । वे मोटर की आवाज से नहीं डरते । इसलिये उनको न तो आवाज से डर लगता है न वे मोटर की आवाज से उड़ते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं वहां पर जाकर आया हूं । मुझे जानकारी है लोगों ने रिपोर्ट की है कि म्युनिसिपेलिटी ने इस मोरचुग्गा को बेकार कर दिया है ।

प्रश्न संख्या १६४.

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट, श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

कोटा नगर का मास्टर प्लॉन

१६५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा नगर विकास योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र नगर विकास के लिए लिया गया है ? उसका क्षेत्रफल कितना है ?

(२) क्या उपरोक्त नगर विकास के लिए मास्टर प्लान बना दिया है ?

(३) यदि हां, तो इस मास्टर प्लान में लड़कों के लिये प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, हायर सैकण्डरी स्कूल भवन, तथा सार्वजनिक पार्क, खेलकूद के मैदान, डिस्पेन्सरी, पुलिस थाना, गर्ल्स मिडल स्कूलें, गर्ल्स हायर सैकण्डरी व गर्ल्स कॉलेज के लिए सुरक्षित स्थान भी निश्चित किये हैं या नहीं और सार्वजनिक पुस्तकालय व धार्मिक स्थानों के बारे में क्या व्यवस्था रखी गई है ?

(४) क्या मास्टर प्लान में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए छात्रावास भवन बनाने के लिए भी प्लॉट निश्चित किये हैं ?

(५) क्या मास्टर प्लान बनाते समय वहां की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखा गया है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कोटा नगर विकास योजना के लिए जो क्षेत्र लिया जा रहा है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनका क्षेत्रफल लगभग ३०,००० एकड़ होगा।

(२) जी नहीं, मास्टर प्लॉन बनाया जा रहा है।

(३) मास्टर प्लान बनाते समय आवश्यकतानुसार विचार किया जाता है।

(४) मास्टर प्लान बनाते समय शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि निश्चित की जाती है। प्लान के क्रियान्वित होने पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(५) जी, रखा जायगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : नगर विकास करने की यह योजना कब शुरू की गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : नगर विकास की योजना शुरू नहीं हुई है। प्रश्न आपने मास्टर प्लान का पूछा है। इसका प्रारूप तैयार हो गया है और उसको गजट में

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकाशित किया जावेगा और आपके सुझाव और एतराज मांगे जावेंगे। मास्टर प्लान में पाठशालाओं को, जिनको जमीन अलॉट हुई है या नहीं, ये डिटेल्स उसमें नहीं होते।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सच है कि उसमें कई पंचायत क्षेत्रों के गांव भी आ गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : काफी एरिया कोटा का है जिसका एरिया ३० हजार एकड़ है, इस परिधि में आता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई ग्राम पंचायत जो नगर परिषद् के पास आई हुई है, उनकी भूमि भी इसमें ली गई है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जैसा निवेदन किया कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। उसमें कौन कौन सी जमीन ली जावेगी। वह ड्राफ्ट मास्टर प्लान का प्रोपोज़ल अभी एप्रूवल के लिये हमारे सामने नहीं आया है। जहां कहीं मास्टर प्लान होता है तो वहां ट्रस्ट होना चाहिये। या एडवाइज़री कमेटी होनी चाहिये। सेक्शन ३ के नीचे। जब वहां पर मंडी बनी हुई है। इस पोइन्ट को लीगली एग्ज़ामिन कराने के लिये हमने उक्त डिपार्टमेंट को भेज दिया है। आज शाम को निश्चित तौर से हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट की राय आ जावेगी। दो तीन रोज में हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसे दे दें या हमारे पास रखें या दोनों मिल कर कमेटी बनाए; तय करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत करके, एग्ज़ामिन कराया। वहां से जवाब आने पर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्सट्रक्शन्स दे दी हैं कि वे अपनी राय दो रोज में दे दें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मास्टर प्लान जब तक तैयार नहीं होगा और इस ३० हजार एकड़ भूमि में निर्माण के काम लोग करते चले आ रहे हैं, क्या उन सबको आप तुड़वायेंगे। जब आप प्लान तैयार करा रहे हैं तो इन कार्यों को रोका क्यों नहीं गया ?

श्री परसराम मदेरणा : मास्टर प्लान अभी लागू हुआ नहीं। हम उनको रोक नहीं सकते। कोलोनाइजेशन आदि के रूल्स बने हुए हैं। अगर कोई गलत तरीके से कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। मास्टर प्लान अभी बना नहीं है। लागू नहीं हुआ है। अगर कोई गैर कानूनी कार्यवाही करता है तो टाउन प्लानिंग कोई एक्शन नहीं ले सकती।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब ड्राफ्ट मास्टर प्लान आपके सामने कोटा के विकास का होता जा रहा है तो उसमें पंचायत क्षेत्र भी शामिल कर दिये हैं। क्या आपने वहां की पंचायतें हैं उनको इस प्रकार के डाइरेक्शन्स दे दिये हैं कि वे अपने क्षेत्र की जमीन को किसी को सरकार की अनुमति लिए बगैर नहीं देवें।

(१२ मध्यान्ह)

श्री परसराम मदेरणा : आस पास के गांवों को ड्राफ्ट प्लान में इन्क्लूड किया गया

Page No 27

(श्री परसराम मदेरणा)

है तो निश्चित रूप से ाम पंचायतों को इन्क्लूड किया गया है पर मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि गर्वनमेंट के कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट के क्या रूल्स हैं ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छाबड़ा) : क्या यह सही है कि ड्राफ्ट मास्टर प्लॉन में जिन आस पास के गांवों को इन्क्लूड किया गया है, वहां की जमीनों को धड़ाधड़ वेचा जा रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी इस डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आस-पास जो उद्योगों का विकास हो रहा है, उसके पास पंचायत क्षेत्र ड्राफ्ट प्लान में शामिल हो गये हैं, ऐसी स्थिति को देख कर पंचायतें अपनी जमीनों को जल्दी से जल्दी, वाजिब या गैरवाजिब कीमतें लेकर वेच रही हैं । इसलिए गवर्नमेंट जागरूक रहे और पंचायतों को आदेश दे कि बिना सरकार की इजाजत ! के जमीनें न बेचें ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जो पोइन्ट माननीय सदस्य ने रेज़ किया है कि बड़े शहरों के पास जो पंचायतें हैं वे अपनी जमीनों को बेच रही हैं, इस बारे में निर्णय ले लिया गया है । अभी मैं तहकीक नहीं कह सकता कि उसकी तामील हुई या नहीं हुई । पर यह मामला सरकार के सामने है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : प्रश्नकर्ता नेजो प्रश्न पूछा है उसके नं० (२) के सवाल से प्रश्न की अहमियत जाहिर होती है । फिर आज जब जमीनें धड़ाधड़ विक रही हैं तो स्कूलों, प्राथमिक, चिकित्सालयों आदि के लिये कहां से जमीनें देंगे ? जब जमीनें ही नहीं रहेंगी तो उनके लिए जमीनें कहां से लायेंगे । आज स्थिति यह है कि जमीनें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं और कम से कम पच्चीसों स्कूलें ऐसी हैं जो किराये के मकानों में चलती हैं, किराया काफी बढ़ गया है, पी. डब्लू. डी. के असेसमेंट के माफिक देते हैं, स्कूलों के मकानों की हालत बड़ी बुरी हो गई है कि उनमें बच्चे बैठ नहीं सकते । पुराने मकानों की मरम्मत नहीं होती और नये मकान बना नहीं सकते, उनके लिए जमीन नहीं रहेगी तो कहां बनायेंगे । इसका जवाब दिया जाय, नं० (२) का जवाब दिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : सर्वे में इनको ईयर मार्क करना चाहिये यही पूछा न ? मास्टर प्लान में हम ईयर मार्क नहीं करते, सेक्टर वाइज़ लैंड को मार्क कर देते हैं । मंदिरों के लिये, स्कूल आदि के लिये, सरकारी या अर्ध सरकारी बिल्डिंग्ज़ के लिये, इन्डस्ट्री के लिये जमीनें एलॉट की जायेंगी, उसके लिये कमेटी बनी हुई है । डिपार्टमेंट का काम तो यह है कि प्लॉन डेवलपमेंट किस तरह होना चाहिये, इन्डस्ट्रियल टाउन है, उसका ग्रोथ लाजमी है, तो किस तरह टाउन का डेवलपमेंट हो, हाइजिनिक पोइन्ट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हो, यह काम मास्टर प्लान का है । इन्डिविजुअल चीजों के लिये कि यहां स्कूल हो, यहां मंदिर हो यह हमारा डिपार्टमेंट मार्क नहीं करता ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपने प्रश्न के भाग (३) का उत्तर दिया है "मास्टर प्लॉन बनाते समय आवश्यकतानुसार विचार किया जाता है"। इस पर ही तो हम पूछ रहे हैं कि इस समय जमीनें नीलाम हो रही हैं; जब जमीनें नहीं रहेंगी तो इनके लिये जमीनें कहां से देंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): मास्टर प्लान में जमीनों के यूज़ के लिये बताया जाता है कि यहां रेज़िडेन्शियल एरिया होगा, यह कॉमर्शियल एरिया होगा पर यह नहीं बताते कि इस एरिया में सिनेमा लगेगा या स्कूल बनेंगे। कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जमीन रखी जाती है। मंडी कमेटी ने जमीनें बेची हैं, जहां तक मुझे मालूम है कमेटी ने इन्फार्मली डिस्कस कर के जमीनें बेची हैं वे मास्टर प्लान में फिट हो रही हैं। इसलिए स्कूल्स हॉस्पिटल के लिए मास्टर प्लान के खिलाफ पड़ने या खिलाफ बनने का प्रश्न नहीं पैदा होता स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वहां फिट हो जाते हैं जहां मास्टर प्लान में बनने चाहिये, मास्टर प्लान वहां बाधक नहीं होता। जहां सिनेमा की जरूरत नहीं वहां सिनेमा बना दिया, जहां दूकान की जरूरत नहीं वहां दूकान बना दी, जहां सड़क चौड़ी होनी चाहिये वहां सड़क को छोटा कर दिया, इन सब में मास्टर प्लान बाधक है पर कॉम्युनिटी यूज़ के लिये जो जमीनें काम में आनेवाली हैं, उनके लिए मास्टर प्लान बाधक नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं तो उदाहरण देकर यह बता देना चाहती हूं कि मंडी कमेटी ने जो जो जमीनें बेची हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जमीनें बेची हैं, उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा, इससे कोटा की स्थिति बिगड़ी है, आगे के लिए सरकार ध्यान रखे।

श्री बरकतुल्लाखां : कोटा में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : पहले था।

श्री बरकतुल्लाखां : मंडी कमेटी कोलोनाइज़ेशन के तहत बनी है। कोलोनाइज़ेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था इसलिये वे अपने तरीके से लेंड यूज़ कर रहे थे। मास्टर प्लान आया तो कोटा के आस-पास का कमाण्ड एरिया है उसको मास्टर प्लॉन के द्वारा इन्कोर्पोरेट करने के ऑर्डर मिले, उसे इन्कोर्पोरेट किया जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मास्टर प्लान बगैर बने खाली जमीनों को बेच बेच कर उनकी कीमतों से दफ्तर चलाया जाता है; उनके खर्चे के लिये सरकार खर्चा प्रोवाइड नहीं करती, मास्टर प्लान को डिले किया जाता है और जमीनें बेच बेच कर इन्जीनियर्स की तनख्वाह का, दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाह का खर्चा चलाया जाता है। यह मेरा अजमेर का अनुभव है, कोटा में भी यही हो रहा है। इम्प्रूवमेंट के लिये पैसा नहीं रखते। सदन ने जो पास किया उसके माफिक नहीं किया जाता, इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट बना रखी है। ये जमीनें बेच बेच कर अपने अधिकारियों का खर्चा चलाया जा रहा है, उनकी तनख्वाह का कोई प्रोविज़न

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं है, अपने इन्जीनियर्स का खर्चा चलाने के लिये जमीनें बेच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए और भाषण भी समाप्त हुए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आ जाय कि पैसा देंगे ? कुछ तो अन्डरटेंकिंग किया जाय कि गवर्नमेंट खर्चा देगी या स्टाफ उठा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न के दौरान प्रश्न उठाइये।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय मेरा कल एक प्रश्न था, आपने आज के लिये उत्तर देने का फरमाया था।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की फाइल नहीं पहुंच सकी है।

श्री अध्यक्ष : कल ?

श्री परसराम मदेरणा : नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय क्योंकि फाइल पहुंची नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परि-

(शिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कामां में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

१४७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कामां (भरतपुर) में बाढ़ के कारण क्या क्षति हुई है ?

(२) क्या सरकार इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी और अब तक क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

उत्तर

(१) कामां तहसील जिला भरतपुर में बाढ़ के कारण २२०६४ एकड़ रकबा फसल खरीफ सम्वत् २०२१ में पानी भर जाने के कारण खराब हो गया था। ६७७ मकान गिर गये थे। करीबन २०,५१६ एकड़ भूमि गरकी में रह जाने के कारण रबी सम्वत् २०२१ की फसल नहीं हो सकी।

(२) यह क्षेत्र अभावग्रस्त (बाढ़ग्रस्त) घोषित नहीं किया गया है, केवल मतालबा फसल खरीफ सम्वत् २०२१ थाम रखा जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए ८५,०००) रु० ऋण मकान बनाने हेतु तथा १ लाख रु० कुओं की सफाई के लिये स्वीकृत किया गया है। मुख्य मंत्री कोष से ८०००) रु० की राशि सहायता के रूप में वितरण किये गये हैं तथा १५,०००) रु० ग्रेचीटुयस रिलीफ दिये गये हैं। सस्ते अनाज की दूकानों की भी व्यवस्था की गई थी। अभाव ग्रस्त घोषित करने के लिए जिलाधीश भरतपुर से विस्तृत रिपोर्ट बाकायदा मंगवाई गई है। जिसके आने पर यदि आवश्यकता हुई तो

(श्री राजस्व मन्त्री)

अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों की शैक्षणिक योग्यतायें

१४८. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागाध्यक्षों की शैक्षणिक योग्यताओं का ब्योरा सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि प्राध्यापक के पद पर केवल पदोन्नति-प्रदत्त व्यक्ति ही नियुक्त हो सकता है?

(३) क्या यह सही है कि यह नियम शिक्षा के हित में नहीं है और इसके फलस्वरूप देश व्यापी अधिक सक्षम व्यक्तियों में से चुनने का अवसर बिल्कुल बन्द हो जाता है?

उत्तर

(१) ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के सम्बन्ध में व्यय

१४९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नवम्बर, १९६३ में जयपुर में सम्पन्न हुए अ. भा. कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के अवसर पर निर्माण विभाग, जल प्रदाय विभाग एवं विद्युत् विभाग की ओर से क्या क्या कार्य किये गये और उन पर कितना २ रुपया खर्च किया गया? क्या यह रकम कांग्रेस पार्टी से वसूल की गई? यदि हां, तो अब कितनी बाकी है?

(२) इन तीनों विभागों के स्टोर्स से क्या क्या सामान उक्त अधिवेशन के लिये दिया गया और उसमें से कितना सामान अभी तक वापिस जमा नहीं हुआ है? इस सामान का कुल कितना किराया किस हिसाब से वसूल होना चाहिये था और कितना वसूल हुआ और कितना बाकी है?

(३) क्या यह सही है कि इन विभागीय स्टोर्स में कोई भी सामान सरकारी कामकाज के अलावा अन्य किसी को नहीं दिये जाने का नियम है? यदि हां, तो मामले हाजा में यह परम्परा क्यों तोड़ी गई?

(४) वह सामान दिये जाने की आज्ञा नियमानुसार कौन प्रदान करता है और क्या मामले हाजा में उन्हीं अधिकृत अधिकारियों द्वारा ये आज्ञायें प्रदान की गईं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(५) क्या यह सही है कि इन विभागों द्वारा कोई भी कार्य विभागीय स्तर पर गैर-सरकारी संस्थाओं व व्यक्तियों का नहीं किया जाता ? यदि हां, तो फिर मामले हाजा में इस नियम का उल्लंघन क्यों किया गया ?

(६) क्या जयपुर नगर में सांगानेरी गेट के पास एक चबूतरा व मेडीकल कॉलेज होस्टल ग्राउण्ड में एक स्टेज का निर्माण विभाग की ओर से किया गया ? यदि हां, तो क्यों और इनके बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ ? यह उक्त निर्माण कार्य किस माह में हुआ ?

उत्तर

(१) जयपुर में सम्पन्न हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सांगानेरी गेट पर चबूतरा कीमत २१५० तथा वहीं पर बाखोडिंग कीमत २८८१.६७ का निर्माण किया गया जिस पर कुल रुपये ५०३१.६७ नये पैसे खर्च हुए । इस व्यय का वहन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया क्योंकि यह निर्माण कार्य प्रधान मन्त्री जी की सुरक्षा एवं हिफाजत हेतु किये गये थे। जल प्रदाय विभाग ने जल वितरण के लिये आवश्यक नल व फिटिंग का सामान लगाया जिसमें कुल ३६२.५४ नये पैसे का खर्चा आया जल प्रदाय विभाग द्वारा इस रकम की वसूली कांग्रेस पार्टी से की जा चुकी है । विद्युत विभाग द्वारा म्युजियम, पंडाल, अलबर्ट हाल, टैगौर थियेटर, म्युजियम ग्राउन्ड शिशोदिया उद्यान तथा गवर्नमेन्ट होस्टल में बिजली के सर्विस कनेक्शन दिये गये। इन सर्विस कनेक्शनस पर २५२७ रुपये व्यय हुए जिसमें से २५०० रुपये पहले ही जमा करवा दिये गये थे। अब केवल २७ रुपये वसूल होने बाकी हैं । जिसके लिये लिखा जा चुका है। कुल २८७० रुपये १६ नये पैसे की बिजली खर्च हुई जिसमें से २७०० रुपये पहिले ही जमा करवालिये गये थे। १६६.१७ न. पै. बाद में जमा करवाये गये। अब केवल ४ रुपये की वसूली होना बाकी है जिसके लिए लिखा जा चुका है।

(२) विद्युत् विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई सामान उक्त अधिवेशन के लिये नहीं दिया गया । जल वितरण हेतु जल प्रदाय विभाग द्वारा जो अस्थायी फिटिंग की गई उस सामान का किराया १२ प्रतिशत की दर से १६१.२६ नया पैसा कांग्रेस पार्टी से वसूल किया जा चुका है।

(३) विद्युत विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने स्टोर्स से कोई सामान किराये पर नहीं दिया। जल प्रदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता इस प्रकार के कार्यों के लिये अस्थायी फिटिंग हेतु सामान किराये पर दे सकते हैं और इन्हीं के आदेशानुसार यह सामान दिया गया था।

(४) प्रश्न नं० ३ में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

(श्री मुख्य मंत्री)

(५) राजस्थान विद्युत् मंडल द्वारा किसी भी गैर सरकारी संस्थाओं अथवा व्यक्ति को सर्विस कनेक्शन दिये जा सकते हैं बशर्ते कि वह आवश्यक व्यय का भार उठाये। जल प्रदाय विभाग का अधिशासी अभियन्ता इस प्रकार के अस्थायी कनेक्शन देने एवं फिटिंग का सामान किराये पर देने का अधिकारी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे कार्य विभागीय स्तर पर सरकार की आज्ञा से कर सकता है। प्रश्न संख्या (१) के उत्तर में वर्णित निर्माण कार्य इस विभाग द्वारा सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ १४।४।।२११। जी। ए। ६३ दिनांक २६ अक्टूबर, १९६३ के अन्तर्गत किये गये। इसलिये नियमों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) सांगानेरी गेट के पास एक चबूतरा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था। इस पर कुल व्यय २,१५० रुपये हुआ। इसका निर्माण प्रधान मन्त्री की सुरक्षा हेतु किया गया था। मेडिकल कालेज होस्टल ग्राउन्ड के स्टेज का निर्माण कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया और इस पर हुए पूरे व्यय का वहन पार्टी द्वारा ही किया गया। यह निर्माण कार्य अक्टूबर, नवम्बर माह में हुआ।

जागीरदारों से समझौता

१५२. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने मालानी पट्टी के चार जागीरदारों-श्रीअमरसिंह जसोल, श्री प्रतापसिंह गुडा, श्री माधोसिंह जसोल, श्री गुलाबसिंह सिणधरी के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की हुई रिट याचिका को विथ्ड्रॉ कराने हेतु कोई समझौता किया? यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त समझौते के लिये सरकार को किन किन कारणों से झुकना पड़ा और उन कारणों के लिये कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं?

(३) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने उक्त समझौते की आड़ में सरकारी खजाने से ९ लाख रुपया चन्द व्यक्तियों को बिना किसी नियम व बिना किसी आधार के दिया?

(४) क्या यह सच है कि उक्त समझौता राज्य सरकार ने केवल इसलिये किया कि राज्य सरकार उक्त चारों जागीरदारों को नाजायज फायदा पहुंचाना चाहती थी?

(५) उक्त जागीरकारों को एक्स-ग्रेशिया कम्पेन्सेशन किस तरह दिया— कैश में या बोंड्स में? अगर बोंड्स में दिया गया हो तो क्या उस पर ब्याज भी देय था और यदि हां, तो कितना प्रतिशत व सालाना कितना ब्याज हर एक को देना पड़ेगा?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(श्री राजस्व मंत्री)

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) क्लेमों की कमेटी से जांच कराई जाकर ४ जागीरदारों को ६ लाख रुपयों की रकम बराबर बराबर बांट दी गई, जो उनके लिये हुए क्लेम से ज्यादा नहीं थी।

(४) जी नहीं।

(५) नकद में ब्याज का प्रश्न ही नहीं उठता।

गुमानपुरा ग्राम में हत्या

१५८. श्री अमरसिंह (दूदू): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम गुमानपुरा, तहसील फुलेरा में जो हत्या कांड जून, १९६३ में हुआ था उसमें मरने वाली औरत व उसके मुख्तियार ने २-३ साल पहले से ही इस आशय की कि उनकी जान खतरे में है, पुलिस व मजिस्ट्रेट सांभर के यहां दरख्वास्त दे रखी थी ?

(२) अगर हां, तो कब दी ?

(३) क्या यह सच है कि इस विषय में उक्त कर्मचारियों ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की ?

उत्तर

(१) श्रीमती गुलाब कंवर की हत्या २८ व २९ जून, ६३ के मध्य रात्रि को हुई थी। श्री प्रतापसिंह मुख्त्यार आम श्रीमती गुलाब कंवर द्वारा दिनांक ४-११-६१ को प्रस्तुत एक इस्तगासा एस० डी० एम० की न्यायालय से जा० फौ० की धारा १०७।११७ के अन्तर्गत जांच हेतु थाना फुलेरा में प्राप्त हुआ था उनकी ओर से सीधा कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस में प्राप्त नहीं हुआ।

(२) यह प्रार्थना-पत्र एस० डी० एम० कोर्ट सांभर में दिनांक ४-११-६१ को प्रस्तुत किया गया था।

(३) पुलिस ने दिनांक ४-११-६१ वाले इस्तगासे पर कोई जांच नहीं की किन्तु मारसाधक थाना फुलेरा ने एक इस्तगासा धारा १०७।११७ मा० दं० वि० संग्रह के अधीन दोनों पक्षों के विरूद्ध दि० ३-७-६२ को एस० डी० एम० सांभर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस इस्तगासे पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को धारा ११७ (३) जा० फौ० के अधीन पाबन्द कर इस्तगासा दिनांक १९-११-६२ को यह कह कर दाखिल दफ्तर कर दिया कि दोनों पक्षों के विरूद्ध एक ही इस्तगासा करना कानूनन उचित नहीं है। अतः मारसाधक ने दोनों पक्षों के विरूद्ध पृथक-पृथक इस्तगासे दिनांक ५-१२-६२ को न्यायालय में प्रस्तुत किये, तत्पश्चात् वृत्त अधिकारी ने भी दिनांक २७-२-६३ तथा १९-३-६३ को दोनों दलों के व्यक्तियों की शान्ति भंग न करने की शीघ्र ज़मानत लेने हेतु प्रार्थना पत्र एस.डी.एम. के न्यायालय में प्रस्तुत किये। ये दोनों इस्तगासे अभी तक भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

बरसी गांव में सीपेज की समस्या

१६४. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयसमुद्र की नहर से बरसी गांव में सीपेज के कारण जमीन ऊसर हो गई है और किसान खेती करने से रुक गये हैं, लेकिन उन जमीनों का लगान किसानों को देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो यह जमीन कुल कितनी है ?

(२) क्या अब सीपेज रोकने का कोई प्रयत्न हो रहा है एवं जो जमीन नष्ट हो गई है उसका कोई मुआवजा अथवा जमीन के बदले में जमीन देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां, लगभग १५० एकड़ जमीन है।

(२) सीपेज रोकने की कार्यवाही जारी हैं। यदि कहीं फसल आदि नष्ट होगी तो मुआवजा दिया जावेगा।

(१२.६ म. प.)

राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामानन्द अग्रवाल की तरफ से एक स्थागन-प्रस्ताव आया है जिसका सम्बन्ध राजस्थान सरकार के कर्मचारियों द्वारा तनख्वाह न लेना और उनमें असंतोष होने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में बहस के दौरान में भी मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दिया था और अन्य तरह से भी इस पर विचार हुआ था। इसलिये, इस स्थागन-प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक नया तथ्य जो सामने आया है उसके बारे में, न मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया न गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया। सरकारी कर्मचारी अपनी एक मीटिंग करना चाहते थे माणकचौक चोपड़ पर और उस सम्बन्ध में उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से उनके इन डेमोक्रेटिक राइट्स को जो कि उन्हें संविधान द्वारा दिए हुए हैं, उन राइट्स को रोकने के लिए एक सर्क्यूलर जारी किया और उनको धमकी दी कि कोई भी इस प्रदर्शन में भाग नहीं ले, अगर लेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। ऐसा उन्होंने अपने सर्विस रूल्स के तहत सरकार ने इस तरह का सर्क्यूलर निकाला, जब कि उस रूल को राजस्थान हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से अवैधानिक डिक्लेअर किया जा चुका है। उसके बावजूद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करके सर्क्यूलर निकाला। कर्मचारियो ने उस सर्क्यूलर को नाजायज़ मानते हुए भी उसका पालन किया, उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया और विरोध में उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी नहीं लीं। और प्रांतों में पंजाब, मध्य प्रदेश, यू० पी० में वहां की सरकारों ने कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए हैं,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मंहगाई भत्ते के संबंध में निर्णय लिए हैं, यहां सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। मुख्य मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कोई घोषणा नहीं की और कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया। वे डेमोक्रैटिक तरीके से अपना संगठन बनाते हैं, अपनी आवाज रखना चाहते हैं। अगर वित्तमंत्री से मिलना चाहते हैं तो वह फटकार देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। अगर वे मीटिंग करते हैं तो इस तरह से गैर कानूनी तौर से उनको रोका जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह कदम बिल्कुल अवांछनीय और गैर कानूनी था। सरकार को इस तरह का सर्क्यूलर जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। राज्य कर्मचारियों को अपनी मीटिंग करने का पूरा अधिकार है कानूनी। और सरकार ने जो भी रवैया अपनाया है उसके लिये उसे खेद प्रकट करना चाहिए, इस सदन में घोषणा करनी चाहिए कि उनको इस तरह की मीटिंग और जुलूस निकालने का पूरा अधिकार है और उनकी मांगों के संबंध में सरकार को उत्तर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि हम वित्तीय साधनों को देखेंगे तब कुछ कहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : (राज्य पक्ष को संकेत करते हुए) वैधानिक स्थिति के बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जहां तक कर्मचारियों के संगठन का प्रश्न है, उसमें राज्य सरकार ने कोई बाधा नहीं डाली, उनकी यूनियन्स बनी हुई हैं, उनकी मीटिंग हुई हैं। मीटिंग मानकचौक चौपड़ पर करें या सैक्रेटेरियेट के मैदान में करें, उन्होंने मीटिंग्स की हैं, उनको इजाजत दी गई है, मानक चौक चौपड़ पर आकर श्री रामानन्द के नेतृत्व में करें या अलग करें यह उनके सोचने का प्रश्न है। इस तरह उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेन्टेशन, जो कि उनका हक है वह उनको देते आए हैं, उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज आते हैं, यूनियन के डेपुटेशन्स आते हैं, मुख्य मंत्री से मिलते हैं और दूसरे मंत्रियों से मिलते हैं, उनको जबाब दिया गया है कि मामला विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथाद्वारा): क्या एस०पी०एस० भंडारी ने कोई आदेश निकाला था ?

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ऐसे कोई सरकारी आदेश निकले थे कि कोई भी कर्मचारी मानक चौक चौपड़ पर मीटिंग करने न जाय ; क्या यह असत्य है ?

श्री मथुरादास माथुर : सर्क्यूलर का तो मुझे इस वक्त ज्ञान नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे पास सर्टीफाइड कॉपी है उस सर्क्यूलर की। सरकारी कर्मचारियों को मीटिंग करने का अधिकार था और उनको उन अधिकारों

(श्री विजयसिंह झाला)

से वंचित रखा गया और इसका कारण यह था कि एक सचिव ने इस प्रकार के आदेश सरकारी कर्मचारियों के पास में भेजे तो वे आदेश किस आधार पर भेजे जबकि हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था; हमारे विधि मंत्री बताएं।

श्री मथुरादास माथुर : कोई ऐसा फैसला नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। आदेश किस आधार पर निकाले गए ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सरकार की नीति यह है कि उनको ऐसी मिटिंग्स करने का अधिकार है तो फिर राज्य सरकार की घोषणा के विपरीत अगर कोई मंत्री या कोई सरकारी अफसर आचरण करे तो उसके लिए सरकार क्या सोचती है, ऐसे अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपके सामने राष्ट्रदूत अखबार में जो इस संबंध में समाचार छपा है वह पढ़ कर सुनाता हूं :

"उक्त सभा मानकचौक चौपड़ पर होने वाली थी और उसमें भाग लेने से पूर्व कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले थे 'किन्तु राज्य सरकार द्वारा आचरण संबंधी नियमों की धारा २२(१) की तहत इस प्रकार का प्रदर्शन निषिद्ध कर दिया गया कर्मचारियों के प्रवक्ता ने बताया तो, सरकार को क्लीयर कट बताना चाहिए कि इस प्रकार का आदेश निकाला गया या नहीं निकाला। अगर निकाला गया तो किसके आदेश से ? विधि मंत्री के कहने से मालूम होता है कि यह चीज गैरकानूनी थी, तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि इस प्रकार के आदेश निकाले जाने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अखबार का उल्लेख किया उसमें प्रदर्शन के रोक के बारे में है, मीटिंग की रोक के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार यह बताए कि मीटिंग के लिए नहीं रोका था, सिर्फ प्रदर्शन के लिए रोका था। मेरी मान्यता है कि प्रदर्शन और मीटिंग दोनों ही अधिकार उनको हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मीटिंग हुई है और मैंने अपनी आखों से देखी है; मीटिंग कहां हो, सेक्रेटरियट के लॉन्स पर हो, या और कहीं हो। उनको संतोष है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी मीटिंग मानकचौक चौपड़ पर होने वाली थी लेकिन सरकार ने निषेध आज्ञा जारी की, विधि मंत्री उस बात को अवॉइड कर रहे हैं। इस प्रकार की निषेध आज्ञा जारी की गई या नहीं इसका क्लीयर कट उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यदि आज उत्तर देने की स्थिति में न हों तो इस पर विचार करके फिर कभी बताएं। सदन के

(श्री अध्यक्ष)

समक्ष बहस नहीं होगी लेकिन माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि इस तरह का सर्क्यूलर जारी हुआ जो उनके ध्यान में कानून के विपरीत है। आप स्वयं के संतोष के लिए उसे देख लें कि ऐसा आदेश जारी किया गया था या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं देख लूंगा, वर्ना मीटिंग तो हुई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो हम भी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न दूसरा है।

श्री मथुरादास माथुर : यह हमारा घर का मामला है।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : नहीं, यह सदन का मामला है।

श्री मथुरादास माथुर : यह कोई ट्रेड यूनियन वाला मामला नहीं। उन्होंने आकर सरकार को एप्रोच किया कि हम चौपड़ पर मीटिंग करना चाहते हैं। हमने कहा चौपड़ पर क्यों करते हो, यहां इतना मैदान पड़ा हुआ है। उनकी कोई शिकायत नहीं, "मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त" हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्य सरकार की पूर्व आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने संगठन में निर्णय कर सकते हैं। आप एवोइड करना चाहते हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : माननीय विधिमंत्री ने ऑब्जर्वेशन्स की है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त है। मुझे इस पर सख्त एतराज है। क्या किसी कर्मचारी को यहां आकर बोलने की इजाजत है?

श्री मथुरादास माथुर : हमसे मिलते हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : उससे चार गुना ज्यादा हमसे मिलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यही तो मुश्किल है।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपका यह कहना गलत है कि यह ट्रेड यूनियन का मसला नहीं है, यह क्लीयर कट ट्रेड यूनियन का मसला है। राजस्थान की हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है नॉन–गजटेड पुलिस कर्मचारियों की यूनियन के प्रश्न पर।

श्री मथुरादास माथुर : यहां पुलिस कर्मचारियों का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इस समय बहस से फायदा नहीं निकलेगा। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे और भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि ऐसी कार्यवाही न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन के अन्दर वक्तव्य दें। वे टाइम ले सकते हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : और सदन को दुबारा सूचित करें।

श्री अध्यक्ष : बजट के दौरान में बहस उठाई जा सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पर्मिशन से यह सवाल उठाया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : सर्क्यूलर और उसकी वैधानिकता का क्या औचित्य है, इस पर मैं बताऊंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बाकी बात है क्या ? तनख्वाह बढ़ाने वाले आप सीधे-सादे तो हो नहीं जब तक उसके लिए हड़तालें न होंगी।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह भी करवाइए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बजट स्पीच में नहीं हुआ तो ऐसा होकर रहेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो धीमे से बोले। । मन्त्रियों की तनख्वाहें बन्द हो जायं या कम हो जांय तो पता चले।

(१२-२० म० प०)

बीकानेर में गूंगा लाग विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने दी है जिसका सम्बन्ध बीकानेर जिले में चराई की फीस जिसे गूंगा लाग कहते हैं वसूल करने सम्बन्धी है।

मन्त्री महोदय, कृपया इसका उत्तर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान में कई लाग-बाग थी। उन्हें समाप्त करने के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ था और उस कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स कीं उनके फलस्वरूप २१ नवम्बर, १९५८ को एक आदेश प्रसारित किया गया था उसके अन्दर और सब प्रकार की लाग बाग बन्द कर दी थी, लेकिन ग्रेजिंग लाग को चालू रखा था, उसमें गूंगा लाग भी आती है। उसके बाद सन् ६१ में यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि जो जमीन पड़त रहती है और जिस जमीन पर पशु चरते हैं वह जमीन अगर ग्राम पंचायत ले तो लैंड रेवेन्यू देकर ले ले और वहां पर पशुओं को चरने की वह इजाजत दे और कोई ग्राम पंचायत न ले तो जितने पशु चरते हैं उनकी गिनती के हिसाब से चराई वसूल की जाय। १५-२-६१ को यह आदेश निकले थे और उसके बाद सरकार ने यह महसूस किया कि एक प्रकार की चराई की व्यवस्था सारे राजस्थान में नहीं है और जोधपुर और बीकानेर डिविजन में समानता लाने के लिए १६ जुलाई, १९६४ को यह आदेश प्रसारित किया कि यह घास मारी सारे राजस्थान में बन्द की जाय। इसके बाद यह शंका हुई कि घास-मारी से और दूसरे प्रकार के टैक्स हैं, जैसे दशहरा लाग है जैसलमेर में और अन्य हिस्सों में विभिन्न नामों से ग्रेजिंग लागत पुकारी जाती थी, हमने एक सर्कूलर १२ अक्टूबर, १९६४ को निकाला चाहे किसी नाम से पुकारी जाने वाली लाग हो, जो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ग्रेजिग की प्रशंसा में आती हैं, उसके दस बारह नाम हैं जो उस सर्कूलर में बताये गये हैं, उस सर्कूलर के द्वारा उनको समाप्त हुआ समझा जाय। यह १२ अक्टूबर, १९६४ को सर्कूलर निकाला गया। उसके बाद में बीकानेर डिविज़न में जो गूंगा ग्रेजिंग की डेफिनिशन में आता है वह बन्द हो जाना चाहिये था और हो गया था लेकिन वहां के कलेक्टर साहब ने एक रेफरेन्स किया कि विशेष परिस्थितियों में इस जिले में यह बन्द नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे गवर्नमेन्ट को लाखों रुपयों का नुक्सान भी होगा।

उनके इस रेफरेन्स को १५ जनवरी, १९६५ को नहीं माना गया और कह दिया गया उनको, कि १६ जुलाई का जो सर्कूलर निकला है उसके अन्दर यह कहा गया कि सारी लाग को बन्द की जाय जो ग्रेजिंग की डेफीनिशन में आती है, यानी वह बन्द तसव्वुर की जाय। उनके रेफरेन्स को सरकार ने नामंजूर कर दिया। २८ फरवरी को दुबारा लिख दिया गया कि इस सम्बन्ध में कोई यदि वसूली की हो या कर रहे हों वह बन्द कर दी जाय। इस प्रकार से सारी लाग-बाग जो इस ग्रेजिंग की प्रशंसा में आती हैं वह १६ जुलाई, १९६४ के सर्कूलर से ही बन्द हो जानी चाहिये थी और बीकानेर डिविजन में भी हो जानी चाहिये थी और हो गई। इस सम्बन्ध में खास तौर से उनके रेफरेन्स को रिजेक्ट करते हुए उनको यह हिदायत भी कर दी गई कि इसकी वसूली न की जाय। इसलिए यह जो स्थगन-प्रस्ताव रखा है इसको विशेष महत्व नहीं दिया जाय, क्योंकि यह लाग पहले ही बन्द की जा चुकी है। यह सूचना मैं सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमन्त्रीजी ने कानूनी स्थिति तो बता दी। कलेक्टर ने जो रेफरेन्स किया है उसकी तारीख क्या है? आपके जवाब देने के बावजूद भी वह लाग चल रही है और वसूली हो रही है। आपने २८ फरवरी को दुबारा आदेश दे दिये हैं। हो सकता है कि वह बन्द हो गई हो लेकिन मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि १५ जनवरी के पहले काश्तकारों को मांग-पत्र बांटे गये थे इसलिए आप इसको और तसल्ली कर लीजिये कि १६ जुलाई, ६४ के आदेश के अनुसार यह लाग वसूल नहीं की जानी चाहिये तो कहीं कर न ली जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६ जुलाई, १९६४ को जिस तारीख को पहला सर्कूलर निकला उसके बाद नहीं होने वाले पेएबल अमाउन्ट की वसूली हो गई होगी तो वह रिफन्ड की जावेगी या एडजस्टमेन्ट की जावेगी और उसके पहले कोई पेएबल वसूली है तो वह हो सकती हैं और वह लौटायी नहीं जा सकती।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का उपस्थापन।

अन्य स्थगन प्रस्तावों विषयक वाद-विवाद :

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, तीन-चार रोज पहले मैंने एक

(श्री केदारनाथ)

स्थगन–प्रस्ताव लेफ्ट कॉम्युनिस्टों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिया था। कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी एड्रेस कर रहे थे तो उसमें उस सिलसिले में कोई जिक्र नहीं आया। इसलिए मेरी दर्ख्वास्त है कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से एक स्टेट-मेन्ट हाउस में देने के लिए आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने बहस के दौरान ये मुद्दे उठाये हैं तो उत्तर में देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैंने बहस के दौरान में स्पेसिफिकली यह मुद्दा उठाया था; आपने फरमाया था कि उत्तर देंगे या, स्टेटमेन्ट देंगे। न तो स्टेटमेन्ट दिया है और न ही किसी मन्त्री ने कोई उत्तर दिया है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय से कहें कि वे यहां इस पर सविस्तार कोई स्टेटमेंट दें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जहां गवर्नर महोदय गन्ने का गुड़ बनाने को मानते हैं और प्रोत्साहन देने के लिए भी कहते हैं, उसके रिलेवेन्ट ही मैंने कहा था लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। गुड़ बनाने का जो प्रतिबन्ध लगा दिया है उससे बड़ी मुश्किल हो रही है। गुड़ सस्ता हुआ १५०) से ७५) क्विन्टल हो गया तो फिर आप प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं? इधर प्रोडक्शन भी चाहते हैं और सस्ता भी चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, १० लाख किसान इससे प्रभावित हैं उधर। इस पर सरकार विचार करके कोई रिप्लाई तो हाउस में दे।

श्री अध्यक्ष : सारे स्थगन-प्रस्तावों का उल्लेख यहां इसलिए नहीं किया गया कि माननीय सदस्यों को धन्यवाद के प्रस्ताव की बहस के दौरान में और बजट की बहस के दौरान में ऐसे कई अवसर मिलेंगे जिनका उपयोग करके ये सारे मसले उठाये जा सकें।

श्री अब्दुलजब्बार : गुड़ बनाना बन्द हो जावेगा तो गन्ना सूख जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं, आशा करता हूं कि सरकार इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगी जो बहस में उठाये गये हैं। सारे स्थगन-प्रस्ताव जो यहां आये वे सब सरकार के पास पहुँच चुके हैं और उन पर बहस के दौरान उत्तर देंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, एक पर्टीक्यूलर क्वेश्चन है। लेफ्ट कम्युनिस्टों के बारे में आप कब बयान देने की स्थिति में हैं?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): कल माननीय सदस्य चले गये तो किसको सुनाते? अब की बजट की बहस के वक्त जिक्र कर दीजिये।

श्री रामकिशन : यह संतोष–जनक उत्तर नहीं, संतोषजनक उत्तर दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : दे दिया है और दे देंगे।

Page No 41

श्री रामकिशन : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी उन्हें ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामकिशन : सरकार की स्पष्ट कोई इस सम्बन्ध में नीति होनी चाहिए। राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं से आचरण का प्रश्न नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण भी हैं। सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में मुकाबला करना पड़ता है। सरकार को चाहिये कि विस्तृत इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें और निश्चित कोई तारीख तक इसका फैसला हो जाय तो संतोष होगा।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उनको गिरफ्तार किया गया, किन कारणों से किया गया, वे लोग कहां जेलों में हैं, उनको साधारण सुविधायें मिलनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने का मौका मिलना चाहिये। इसके बारे में तरह तरह की अड़चनें पैदा की जा रही हैं। उनके रिश्तेदारों तक को पता नहीं कि वे कहां रह रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कलेक्टर को यह पॉवर दे दी गई है कि वे उनके रिश्तेदारों आदि को मिलने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। कलेक्टर कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास पॉवर्स हैं, सेक्रेटेरिएट से इजाजत मिलती है। इस तरह से उनके रिश्तेदार इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कई लोगों के घर में कमाने वाले भी नहीं हैं। उनके विशेष भत्ते का प्रश्न है, इस तरह की कई बातें हैं। इसके अलावा प्रजातंत्रात्मक अधिकार उनको भी है। दूसरा गवर्नमेंट का रवैया उनकी तरफ किस तरफ का है, उनके रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है आदि प्रश्न हैं। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा गवर्नमेंट इस संबंध में विशेष तौर पर वक्तव्य दे, ताकि माननीय सदस्यों को संतोष मिल सके और सरकार की नीति मालूम हो सके।

इस प्रश्न को जनरल बहस के दौरान हमने उठाया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिये इस संबंध में एक विशेष वक्तव्य मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने निवेदन किया यह पोइन्ट बहस के दौरान में उठाया गया था इसका उत्तर बहस का जवाब देते समय मिल जायगा। सरकार उत्तर देने के लिये तैयार है।

श्री रामकिशन (वैर): विधि मंत्रीजी हां भर रहे हैं। आपकी व्यवस्था हो जाय। सरकार पर इसको न छोड़ा जाय।

श्री अध्यक्ष : बहस के दौरान इसका उत्तर अवश्य मिल जायगा।

श्री रामकिशन : पार्लियामेंट में भी इस प्रश्न को अलग ढंग से रखा गया है और सरकार ने अलग ढंग से इस पर वक्तव्य दिया है। इसमें सरकार को भी लाभ है और प्रतिपक्ष के लोगों को भी सोचने समझने का लाभ मिलेगा। सरकार ने किस तरह की गतिविधियां देखीं जिनके कारण उनको गिरफ्तार किया गया आदि सब जानकारी हमें मिल जायगी।

(श्री रामकिशन)

इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से विशेष बयान हो जाय ताकि हम इस पर गम्भीरता से विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष : कल बहस के दौरान इसका उत्तर दिया जाना चाहिए था, पता नहीं। किस वजह से नहीं दिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : चले गये थे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : चले तो इसलिए गए थे उत्तर नहीं आ रहा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में विशेष स्टेटमेन्ट दिलवाइये या मजबूरी जाहिर की जाय। मजबूरी तो नहीं मालूम पड़ रही है जैसी कि विधि मंत्री जी हां भर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी हां और ना का फैसला यही करने वाले हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो आपकी मुस्कराहट से ही भांप लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय जो भी आपका आदेश होगा उसी को मान लेंगे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया बहस के दौरान में जवाब दे दिया जाय। कल सुनने वाले नहीं थे इसलिए जवाब नहीं दिया गया। अब बजट पर बहस समय दे दिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपकी तरफ से यह व्यवस्था है, स्थगन प्रस्तावों के संबंध में बातचीत करें। आपकी इस प्रकार की व्यवस्था है कि एडजोर्नमेंन्ट मोशन जो रखे जाते हैं उनका जवाब मंत्री महोदय की ओर से आता है। बहस के समय हमने इस मुद्दे को उठाया था लेकिन हमें इसका जवाब किसी भी मंत्री की ओर से नहीं मिला। एक तरफ तो ऐसे लोगों को आपने छोड़ दिया है जिनका तस्करी में हाथ है और दूसरी तरफ इनको गिरफ्तार किया गया है। आखिर आपने गिरफ्तार क्यों किया इस पर प्रकाश तो डालें। स्थगन प्रस्ताव कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और तुरन्त जवाब पाने के लिए दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि आपकी तरफ से आदेश हो जायं अभी, नहीं तो वे कब इस पर अपना वक्तव्य देंगे। इस संबंधी जवाब अलग स्टेटमेन्ट के रूप में दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जो भी स्थगन-प्रस्ताव आये थे उनका उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय से निवेदन किया गया और वे स्थगन–प्रस्ताव उनके पास भेज दिये गये। मैं तो यह आशा करता हूं कि सारे मुद्दों पर उत्तर मिल जायगा। उससे पहले उत्तर चाहते हैं तो सरकार चाहे तो पहले उत्तर दे सकती है, वक्तव्य दे सकती है। माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करके इस संबंध में उचित वक्तव्य दे दे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो व्यवस्था दी गई है सन्तोषजनक है। सरकार को मेरे खयाल से उत्तर देना चाहिये। कब उत्तर दिया जाय यह

Page No 43

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार की कन्वीनियेन्स पर निर्भर है; परन्तु वक्तव्य अवश्य मिलना चाहिये इतना विरोधी पक्ष अपेक्षा रखता है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर अवश्य दिया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : जब उचित समझा जायगा दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विशेष स्टेट–मेन्ट दें।

श्री अध्यक्ष : विशेष स्टेटमेन्ट द्वारा दे देंगे।

(१२.३७ म० प०)

ार्य-सलाहकार समिति के २० वें प्रतिवेदन का उपास्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान करता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इस प्रतिवेदन के सबन्ध में मेरा एक निवेदन है। कलेन्डर के हिसाब से १८ तारीख को धुलंडी है, अतः १८ तारीख को धुलंडी अटेन्ड करके १६ तारीख को माननीय सदस्य बाहर से नहीं आ सकते। चाहे आप १५ को काम कर लें लेकिन १६ का अवकाश रखा जाय। कुछ संशोधन होना इसमें आवश्यक है।

श्री मथुरादास माथुर : बनारस स्कूल ऑफ एस्ट्रोलोजी के हिसाब से होली १६ तारीख की रात को है और इस हिसाब से १७ को धुलन्डी है १८ को और आप धुलन्डी खेल लें। १६ को यहां आ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस पर विधि विभाग की राय ले ली गई है क्या ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप बनारस स्कूल ऑफ एस्ट्रोलोजी को कब से मानने लगे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान में आप बनारस स्कूल के एस्ट्रोलोजी को कब से मानने लगे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कम्युनिस्ट तो होली मानते नहीं, आपकी राय का कोई महत्व नहीं......

श्री अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था तो यहां नहीं दी जायगी। लेकिन जो माननीय सदस्यों ने बात कही है उस पर विचार किया गया था औपचारिक और अनोपचारिक रूप से। इस तरह की सब शंकाओं

(श्री अध्यक्ष)

के निवारण के बाद यह तय किया गया कि चार दिन की छुट्टी की जाय । पिछले तीन दिनों में रविवार को भी बैठक होगी । बहस के थोड़े दिन बाकी रह जाते हैं । इस तरह से सभी बातों पर विचार करके निर्णय लिया गया इसलिये इसको स्वीकार कर लिया जाय।

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर सहमति प्रगट करता है।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

(१२.३६ म. प.)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १६६५

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

[विधेयक को विचारार्थ लेने विषयक निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:—

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद)

यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २६-१२-१६६४ को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १६६४ (अध्यादेश सं० ८ सन् १६६४) को अस्वीकार करता है।

२. श्री विट्ठल (बांसबाड़ा)

श्री उमरावसिंह (बनेड़ा)

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर)

श्री केदारनाथ (गंगानगर)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

श्री रामकिशन (वैर)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

श्री जयलाल (डग) :

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १६६५ को एक माह/ एक सप्ताह/ दो माह/ तीन माह/ दो माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे

३. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में/तीन मास की समाप्ति होने से पहले / एक सप्ताह में/तीन माह के पूर्व/एक सप्ताह में / एक पक्ष में/ १५ दिन में / एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।"]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित)

कु०महेन्द्रसिंह (दीगोद): सारे प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (बूंदी) : "यह सदन राज्यपाल महोदन द्वारा दिनांक २९-१२-१९६४ को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (अध्यादेश सं. ८ सन् १९६४) को अस्वीकार करता है।" अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद संशोधन विधेयक, १९६५ को खारिज किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश लाया गया है, मैं समझता हूं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामदान किसी न किसी पंचायत सेक्टर के अन्दर आता है और वहां से प्रतिनिधि आता है और पंचायत समिति में रहता है। ग्रामदान विनोवा भावे को पवित्र चीज़ है इसलिये इस संबंध में तो कुछ आदर्श उपस्थित किया जाता तो बढ़िया होता।

अभी कुछ दिनों पहले पंचायत राज के चुनाव हुए हैं। पंचायत का स्वरूप रामराज्य का स्वरूप होगा इस भावना को लेकर सदन में चल रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस पंचायत राज के चुनाव में लोगो में द्वेष और कटुता की भावनायें बढ़ी है और किस तरह से इसके अन्दर सरकारी मशीनरी ने खुले रूप से भ्रष्टाचार किया, यह सब जानते है। ब्लॉक की गाड़ियों का इस चुनाव में खुलकर दुरुपयोग हुआ। जिस पंचायत राज की ये दुहाई देते नहीं थकते, जिसका डंका बजाया है उसी पंचायत राज का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। आज आपके कारनामों से आपकी यह कांग्रेस जहन्नुम में जा रही है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): कांग्रेस पर भाषण है या इस विषय पर है। तुम भी कांग्रेस से हो तो गये हो ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं ऐसे लोगों के कारनामों से क्षुब्ध होकर ही निकल गया। आज कांग्रेस की किस प्रकार से आपके ये कार्यकर्ता लुटिया डुबा रहे हैं, यह इस

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

चुनाव ने बता दिया है। अगर आपकी यही हालत रही तो बहुत जल्दी डूबेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन पंचायतों की हालत गांवों में आज बदतर है। न आर्थिक व्यवस्था उनकीकोई है न उनको अधिकार है, न ये सरकारी अधिकारी उनको कोई सहायता देते हैं। इन सारी बातों के बावजूद इस बात का डंका बजाया कि हम जीत गये।

श्री मथुरादास माथुर : इस बिल का स्कोप जो है वहीं तक माननीय सदस्य सीमित रहें। इसका स्कोप ग्रामदान से है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह सब एक्सप्लेन करने के लिये मन्त्री महोदय, जो इस बिल को पाइलोट करते हैं मौजूद हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त लॉ मिनिस्टर पाइलोट कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उन्होंने तो सब्मिट किया है। पाइलोट दूसरे कर रहे हैं। Let the Minister explain it.

श्री मथुरादास माथुर : मैं इलेक्शन मिनिस्टर हूं। चुनाव मैंने करवाये हैं। पाइलोट वे कर रहे हों, पर रीयर में मैं चल रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एतराज यह है कि कॉन्सीक्वेन्सेज़ जो होंगे उन पर होंगे। आप तो लॉ मिनिस्टर हैं, एक्ट बनाने वाले हैं, बना कर दे दिया। आपने ऑर्डिनेन्स भेज दिया। अब जिन्होंने बनवाया है आपसे, उन मिनिस्टर को मौका मिलना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : मामूली सदस्य के नाते ऑर्डिनरी बात रेज़ कर रहा हूं कि इस बिल का स्कोप और है, उसी के अन्दर माननीय सदस्य सीमित रहें। यह भूदान के सम्बन्ध में है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे सब मालूम है।

श्री मथुरादास माथुर : मालूम यह है कि आपका भाषण हो रहा है, out of the scope of the Bill.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : 'स्कोप' तो अपनी अपनी समझ की बात है।

आप संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिये इसे संकुचित कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : स्कोप तो बोलने वाले बतावेंगे। पर जिसका दृष्टिकोण संकुचित है वह नहीं समझ सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक दिन का समय अधिक इसलिये निश्चित किया गया था, अध्यक्ष महोदय, कि उस समय पंचायतों के बारे में भी लोग बहुत बोलना चाहते हैं तो वे बोल सकें।

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल गलत है। चाहे समय कितना भी दिया जावे, यह अलग बात है; पर नियम के अन्तर्गत ही बहस होगी। इसलिये यह कहना सही नहीं है। आप इसको पेचीदा नहीं बनाइये। समय का ध्यान रखते हुए और विधेयक का जो प्रावधान है उन मुद्दों पर विचार करते हुए बहस को आप जारी रखिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं तो सीमा में ही बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामदान एक पवित्र संस्था है और ऐसी पवित्र रचनात्मक संस्था को ऑर्डिनेन्स के द्वारा अलग से प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जरूरत नहीं है। आज जनतन्त्र के द्वारा रामराज्य की कल्पना करने वाले लोगों द्वारा जो शासन में बैठे हैं इन पंचायतों के चुनावों में जब मोटर-गाड़ियों का दुरुपयोग करते देखते हैं तो ये कैसी रचनात्मक संस्थाएं हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले निर्वाचन सूचियां बनीं। उनमें धांधली हुई हालांकि आप कहेंगे कि मैं विषय से बाहर जा रहा हूं, पर बताना चाहूंगा कि ग्रामपुर पंचायत के नीचे पांच सौ-हजार गांव छोड़ दिये गये और सौ वाले म्यूनिसिपल सेक्टर को शामिल कर दिया गया और जब कलेक्टर को मैंने सूची दी और यह बताया तो जांच नहीं की गई। मुझे लिख दिया गया कि जो हुआ ठीक है। इस प्रकार की धांधलियां चलीं। हमारे बूंदी में एक भारत सेवक समाज नामक संस्था है इसी तरह की। लाखों हजारों के ठेके लेती है यह। उसके पास मोटरें हैं, जीपें हैं, सारे साधन हैं। एक प्रकार से जैसे विनोबाजी की यह संस्था है, उसी तरह की यह है, पर उसके इन साधनों का पंचायत चुनावों में खुल कर प्रयोग किया गया। वोटरों को भर भर कर उनमें लाया गया।

आप भी जांच कराइये। सरकारी जीपों का मैं उदाहरण के तौर पर नम्बर भी बता देता हूं। जीप नम्बर ८१४६। महीने भर से बूंदी-बैराठ क्षेत्र में छोड़ दी गई। जब वह वोटरों को भर भर कर ले जा रही थी तो ३-२-६५ को यह गाड़ी औरंगाबाद के पास भयंकर एक्सीडेन्ट में टूट गई, खड्डे में गिर गई। जिनको बिठाकर लाई थी उनमें से पांच घायल हो गये। उनका इलाज हुआ यहां पर। और उस गाड़ी को भेजने वाले मन्त्री महोदय थे। यह तो उदाहरण के लिए मैंने कहा।

मैं सदन में बताना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं के माध्यम से आप रामराज्य की कल्पना इस जनतन्त्र में कर रहे हैं और जिस प्रकार की अपनी शक्ति का दुरुपयोग आप इस तरह के आर्डिनेन्स लाने में करते है अगर उस शक्ति का थोड़ा सा भी उपयोग सही रूप में भले कामों में करें तो यह सपना साकार हो सकता है आपका रामराज्य का।

मैं एक दूसरा उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारे सरकारी अधिकारी किस प्रकार कांग्रेस के लिये इन चुनावों में सक्रिय रहे।

जिला प्रमुख का बूंदी में चुनाव हुआ। मतदान केन्द्र पर कागज का बोर्ड लगाया गया कि मतदान केन्द्र यह है। उसके नीचें

Page No 48

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

एक फूल बनाया गया और वह गुलाब का फूल भैरों प्रकाश जी का जो कांग्रेसी उम्मीदवार थे चुनाव चिन्ह था।

(व्यवधान)

यही नहीं। अन्दर जहां पर उम्मीदवारों के बैठने का स्थान है एक बोर्ड लगाया गया उसके नीचे भी उनका चुनाव चिन्ह फूल बनाया गया। आम लोगों ने जब इसे देखा और उसकी फोटो खिचवाने लगे तो एस० डी० एम० साहब उन्हें उठाकर ले गये। इस पर हंगामा हुआ। नारे लगाये गये। बड़ी मुश्किल से मामला बन्द हुआ। तो मैं यह अर्ज करना चाहता था और सदन से यह कहना चाहता हू कि इनसे प्रजातन्त्र को कितना बड़ा खतरा हो रहा है। जहां हम कहते तो हैं ग्राम सभा, पर आज सही माने में बात करने का अवसर वहां लोगों को नहीं मिलता।

हमारे इन मन्त्री जी की हालत देखिये। एक तरफ लाखेरी सीमेन्ट के मजदूरों को बोनस नहीं मिलता और दूसरी तरफ उनसे सांठ गांठ करके चुनाव में जिताने के लिये चन्दा वसूल किया जाता है।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : यह किससे रिलेवेन्ट हो सकता है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भीखाभाई के कारण आज राजस्थान के मजदूर दुखी हैं। हालांकि यह विषय के बाहर की बात है; पर मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है। वहां की सीमेन्ट फैक्टरी की दो जीपें बूंदी जिले में काम आईं, डूंगरपुर में जीपें मंगाई और उनसे चन्दा लिया और उनका पैसा लेकर, उनकी मोटरें लेकर, उनकी जीपें लेकर अपना झंडा गाड़ दिया कि कांग्रेस जीत गई।

एक माननीय सदस्य : आपने डूंगरपुर देखा है कभी ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अगर ये कह दें कि जीपें नहीं मंगाई, उनसे चन्दा नहीं लिया, मोटर गाड़ियां डूंगरपुर में नहीं मंगाई, तो मैं सजा भुगत सकता हूं और अगर इसमें सच्चाई हो तो वे इधर आ जावें हिम्मत हो तो। पर आप नहीं आवेंगे आप में इतनी हिम्मत है नहीं और ना भी नहीं कर सकते। हिम्मत हो तो कह दें, ना दे दें। तो मैं कह रहा हूं कि उनके दम पर चुनाव लड़ें, ये मजदूरों का पेट फोड़ते हैं और कहते हैं कि राणा प्रताप की वीर भूमि में पैदा हुए हैं, वीर भूमि में पैदा होने वाले मन्त्री जी के हैं ये कारनामे।

श्री भीखाभाई : वह तो हमेशा रहेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह बात नहीं है जो राणा प्रताप की वीर भूमि में पैदा होने वालों में होती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा चार्ज लगाया गया है कि एक फैक्टरी मालिक की जीप एक मन्त्री महोदय ने अपने क्षेत्र में मंगाई। यह बड़ा भारी आरोप है। मन्त्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिये।

श्री भीखाभाई : ऐसा कोई आरोप नहीं है।

[redacted]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) मछली के ठेकेदारों के ट्रकों के ट्रक लेकर वोटरों को बिठा बिठा कर लाये हैं। यह खतरा नहीं खतरे की घंटी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि मेवाड़ की वीर भूमि में कलंक है। पंचायत राज्य आपके हाथ में है, आप यह देखें कि उनकी आर्थिक हालत कितनी खराब है और सरकार के अधिकारी क्यों नहीं सहयोग देते? आज सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह नहीं चुक पाती। हमारे यहां एक पंचायत समिति चल रही है। सीमेन्ट कम्पनी ने अपील की और आप सारे पंचों को खत्म करने जा रहे हैं। और पंचायत क्षेत्र में पचासों मकान बने हैं तो सारे खात्तों में डाल दिया। उनको आपको अधिकार देने चाहिए, यदि नहीं देंगे तो हमारा कार्य कैसे चलेगा ?

इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभायें हैं। आपने जो पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र बनाये उसके अन्दर टी० ए०, डी० ए० के अन्दर ही लाखों रुपया खर्च हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी ग्राम सभा की बैठकें हुई और उनमें आपके जिले के अधिकारी ने कितनी दिलचस्पी ली ? अध्यक्ष महोदय, कोई काम नहीं हो पाता है। जिला परिषदें अधिकारों के बिना नग्न सी हैं। इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि आप पार्टीबाजी को पंचायत का माध्यम न बनायें।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों और जिला परिषदें वाकई में प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई हैं। निर्वाचन पद्धति आपको बदलनी चाहिए। पंचायत को और ग्रामसभाओं को, आपको और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए। आपने इस सिद्धान्त को माना है कि साल भर में कम से कम दो बार ग्रामसभा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज, अध्यक्ष महोदय, यह हालत है कि पी. डब्ल्यू० डी० के पास सारा बजट होता है और ग्रामों के रास्ते वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। पंचायत समितियां उन्हें ठीक नहीं करातीं और पी० डब्ल्यू० डी० उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आप ग्रामसभा को ताकत दें और अधिकारीगण वहां पर जाकर बैठें तो गांवों की समस्यायें उनके सामने आयें और फिर उनको हल करायी जायें तभी पंचायत राज्य का सपना साकार हो सकता है।

मेरा प्रस्ताव यह है कि इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको अस्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष जी, जो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यादेश आज सदन के समक्ष पारित करने के लिए रखा गया है और जिस भूमिका को लेकर और जिस मकसद से यह लाया गया है जहां तक केवल कुछ व्यक्तियों को पंचायत समिति के अन्दर लाना है इसमें मुझे आपत्ति नहीं हो सकती और केवल यहां तक उसको लाया गया होता तो मैं आपत्ति करने के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन इस अध्यादेश को लाकर जिस प्रकार से सरकार ने सदन का अपमान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किया है और सदन के सदस्यों ने जो अपने मत प्रकट किये चुनावों के सम्बन्ध में, जो एक प्रणाली स्वीकार की उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं उसका जीता जागता स्वरूप हमारे सामने यह ऑर्डिनेन्स आता है। यहां पर बैठकर बड़ी जल्दबाजी में यह मानकर कि चुनाव आने वाले हैं हमसे बिल पास कराया गया और किसी प्रकार से भी सादिकअली कमेटी रिपोर्ट को जहां सरकार ने स्वयं अनुभव करके, आज राजस्थान के अन्दर जो पंचायती राज्य का ढांचा चल रहा है उसके अन्दर कई खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए और पंचायती राज्यों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम ईमानदारी से काम करें। इस आधार पर पंचायत अध्ययन दल का निर्माण किया गया और सदस्य लाये गये और उन्होंने अपनी बैठक दो तीन साल तक की और रिपोर्ट पेश की। इतना खर्चा हुआ, इतने समय की बरबादी हुई-- आवश्यकता तो इस बात की थी कि जो लोगों ने समय को व्यतीत करके अपना समय दिया, अपने अनुभव दिये, और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा जाता, उस पर वाद-विवाद होता और वाद-विवाद होने के बाद एक निष्कर्ष निकलता और उसके आधार पर ही हम सारी पद्धति स्वीकार करके चुनावों के बारे में या पंचायतों को सशक्त बनाने के बारे में विचार करते। लेकिन वह विचार न करके हमारे सामने जल्दबाजी में बिल यहां पर लाया गया और पास कराया गया और उसके अन्दर जिस पद्धति को खास तौर से स्वीकार किया गया था वह मात्र यह थी, कि ऐसा न हो कि पंचायतों के अन्दर, पंचायत समितियों के अन्दर या जिला परिषदों के अन्दर, बैकडोर से लोग लाये जायें। और इसी चीज को रखने के लिए खास करके जो पहले कोऑप्शन के अन्दर, पंचायत समिति के अन्दर, किसी काश्तकार, निपुण व्यक्ति अथवा जिसको एड-मिनिस्ट्रेटिब एक्सपीयरेन्स हो, ऐसे व्यक्तियों को कोआप्शन से लाने की व्यवस्था मौजूद थी उसको समाप्त किया गया और उसको समाप्त करके एक नई व्यवस्था रखी गई और हमने उसको पारित किया।

पंचायत समिति के निर्माण में यद्यपि वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई, सरपंच के साथ साथ पंचों को रखा गया और इलेक्टोरेट्स का एक बड़ा भारी स्कोप बनाया गया लेकिन उसके बाद भी यह तय किया गया कि पंचायत समिति के अन्दर जो परि-गणित जनजाति के व्यक्ति या अपरिगणित जाति के व्यक्ति या महिलायें जो कोआप्ट की जायेंगी या ग्रामदान के व्यक्ति को-आप्ट किये जायेंगे वह सारे के सारे व्यक्ति कोआप्ट केवल पंचायत समिति के जो जो सदस्य हैं, जो सदस्य चुनकर आते हैं या सरपंच, एम० एल० ए० और एम० पी० यही व्यक्ति अपना मत देकर इन व्यक्तियों को कोऑप्ट करेंगे और इस आधार पर बिल पारित किया गया था और उसके अन्दर कोई नई बात नहीं है। आर्डिनेन्स अन्दर जो चीज लाई गई है वह उसके विपरीत लाई गई है। पहले जो हमने बिल पारित किया उसमें व्यवस्था थी कि जो ग्रामदान के प्रेसीडेन्ट हैं वह कोऑप्शन के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जरिये आयें और उनका कोऑप्शन दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा । उनका कोऑप्शन करने वाले सरपंच, एम० एल० ए० और एम० पी० होंगे । इस व्यवस्था को मानकर सदन ने यहां पर अपना मत देकर बिल को पारित किया । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस ओर से बराबर परम्पराओं की दुहायें दी जाती हैं, जनतंत्र की दुहायें दी जाती हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही दुहायें आपकी हैं और इसी आधार पर आप जनतंत्र की दुहाई देना चाहते हैं और सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपनी राय दी है और राय के आधार पर जो बिल पारित किया है हम उस राय को इस प्रकार से एक तरफ डाल कर अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कोई अध्यादेश लायें तो मैं सोचता हूं कि यह हमारे लिए शोभाजनक नहीं होगा । अभी जो व्यवस्था की गई है इस अध्यादेश में, कि ग्रामदान के जो व्यक्ति आयेंगे वह ग्रामदान से आने वाले व्यक्ति कोऑप्शन के अन्दर नहीं माने जायेंगे । उनको माना जायेगा कि वे इलेक्टेड पर्सन्स हैं । इस प्रकार से कोऑप्शन और इलेक्टेड पर्सन्स और कोऑप्टेड पर्सन्स को जो अलग अलग अधिकार दिये थे उन दोनों की धज्जियां इस आॅर्डिनेन्स में उड़ाई गई हैं...

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : इसमें क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं, यह आप बता दें?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं अभी आ रहा हूं । इसके साथ में दूसरा क्लॉज़ है उसके साथ में बताता हूं । जो व्यवस्था पहले थी वह इस प्रकार की थी कि जो ग्रामदान के प्रेसीडेन्ट हैं उनको कोऑप्ट किया जायेगा । उनको कोऑप्ट करने वाले व्यक्ति सरपंच, एम० एल० ए० और एम० पी० होंगे । इस प्रकार का कोऑप्शन महिलाओं के लिए होता है, अनुसूचित जाति के लिए होता है । उसी कोऑप्शन के के आधार पर इनका भी कोऑप्शन किया जायेगा । लेकिन आपने इस ऑर्डिनेन्स में यह व्यवस्था की है कि उनका कोऑप्शन नहीं होगा, बल्कि जो ग्रामसभायें हैं उनकी आबादी के आधार पर अगर एक हजार की आबादी है तो एक व्यक्ति, यदि दो हजार की आबादी है तो दो व्यक्ति । इस प्रकार से आबादी के आधार पर वही जो ग्राम-सभाओं के प्रेसीडेन्ट हैं वह अपने में से ही इलेक्ट करके उस व्यक्ति को वहां भेजेंगे । इस प्रकार से आपने जो व्यवस्था रखी थी उसको एक तरफ डाल दिया है आपने ।

(१.०० म. प.)

श्री भीखाभाई : मैं यह कहना चाहता हूं, आपसे एक बात पूछ लूं कि आपने जो सदस्य के सहवरण के तरीके का कहा था और जब ब्राड बेसिस पर इलेक्शन हो गये और एक ब्रॉड बेसिस पर आपने इसमें मेम्बर को जब वोटिंग का अधिकार दे दिया तो क्या यह आवश्यक नहीं है, क्या यह अनुचित नहीं है कि इस प्रकार के अधिकार जो उन लोगों के सेक्शन के लोग नहीं है और जहां तक ग्राम सभा का सवाल है वे लोग नहीं हैं उनको इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाय ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न बिल्कुल पैदा नहीं होता है। जब इस आधार को मान लिया गया है कि पंचायत समिति जो बने, उसका जो कम्पोजिशन हो, तो उसका मेम्बर या तो वह व्यक्ति जो चुनकर आये या उसके अन्दर जो कोऑप्शन हो वह केवल उन व्यक्तियों के द्वारा हो जो पंचायत समिति के सदस्य हैं। इस मान्यता के आधार पर आपका इस प्रकार का अध्यादेश लाना कि उन व्यक्तियों को जो पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं वे चुनें बल्कि ग्राम सभा का जो प्रेसीडेन्ट है वह चुनकर भेजता है और जो इस प्रकार से चुनकर आते हैं उनको पंचायत समिति का सदस्य चुना हुआ मानते हैं तो मैं सोचता हूं कि सदन ने जो स्वीकार किया है और सदन ने इतना समय देकर के जो निश्चय किया है उसका दुरुपयोग किया जाय; इससे मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसके विपरीत या उससे अलग जाकर आपने यह अध्यादेश जारी किया है।

तो, अध्यक्ष महोदय, बार बार सरकार की यह धारणा बनती जा रही है। सत्र चल रहा है और सत्र समाप्त होते ही उसके तुरन्त बाद एक नया अध्यादेश लाया जाय और उसके अन्दर दूसरी चीज़ पैदा कर दी जाय। और इस प्रकार से सदन ने किसी चीज़ को पारित कर दी है कोई परम्परा या मान्यता, उसके विपरीत एक अध्यादेश जारी कर दिया जाय तो, मैं समझता हूँ कि, इस प्रकार की कार्यवाही और सरकार का इस प्रकार का एक्शन जो अध्यादेश जारी करने के अन्दर है, वह इस सदन के अधिकारों के खिलाफ है और सदन का. मैं यह मानकर चलूंगा कि, एक-मात्र अपमान है।

अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं। आज आप कल्पना करना चाहते हैं कि पंचायत राज्य के द्वारा गांव स्वावलम्बी हों, गांवों के अन्दर नेतृत्व कायम हो, गांवों के अन्दर लोग स्वयं अपने अधिकार मांगना सीख जायं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है एक व्यवस्था आपने की है कोआप्शन की, केवल व्यवस्था की है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जिन व्यक्तियों को कोऑप्शन में जगहें दी हैं वे क्या किसी प्रकार से पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् में जाकर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ? पंचायतों में किस प्रकार की महिलाएं आती हैं, मुझे क्षमा करेंगे, वे किस प्रकार से पंचायतों में बोलती हैं; जिन महिलाओं को कोऑप्ट करके हम पंचायतों में भेजते हैं, वे कितने दिन आकर पंचायतों के अन्दर एक्टीविटीज़ में पार्टीसिपेट करती हैं ? वे किस स्तर की महिलाएं होती हैं और पंचायत समितियों में जिन महिलाओं को आप लेकर आते हैं वे कौन होती हैं ? और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है ? अध्यक्ष महोदय....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उनको बन्द करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा दु:ख तो यह है कि जो कोऑप्शन से आते हैं उनके लिए कोई योग्यता नहीं, पढ़ने-लिखने का कोई मापदण्ड नहीं। महिला होनी चाहिए, अनुसूचित

Page No 53

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, वह आ जाये ताकि उसके भगवान् हम ही बने रहें। वोट से पहले उनको बन्द कर दिया जाय। वह आ जाये और वोट दे जाये। वोट देने के बाद पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की कार्यवाही में तीन साल तक कोई इन्ट्रेस्ट नहीं दिखाये। केवल एक मेम्बर वोट दे जाय इस प्रकार के कोआप्शन से लाने की क्या आवश्यकता है ? केवल आप एक नारा देना चाहते हैं, केवल दुनिया को यह बताना चाहते हैं हमने राज्य की पंचायत स्तर तक महिलाओं और दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार कोऑप्शन के अधिकार दिये हैं, बैठने का अधिकार दिया है, तो वह बात दूसरी है, लेकिन सत्यता यह है कि इस प्रकार से कोऑप्शन से लाने का, इस प्रकार के कोऑप्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर अभी पंचायतों के चुनाव हुए हैं। मुख्य मंत्री जी ने भी बड़े जोरों का नारा लगाया है और इस प्रकार की यहां पर घोषणा की है कि यह हमारी नीति का परिणाम है कि आज हम सारे राजस्थान के अन्दर विजयी होकर आये है, लेकिन वस्तु स्थिति इस प्रकार की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की स्थिति है कि जहां आपने स्वयं ने यह मान्यता मानी थी कि पंचायत स्तर पर हम कभी भी राजनैतिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि पंचायत स्तर पर जो, पंच या सरपंच चुनकर आये वे पार्टी के आधार पर चुने हुए नहीं आये। या तो वे जाति के आधार पर चुन कर आये हैं या योग्यता के आधार पर चुन कर आये हैं और चुनकर आने के बाद पंच या सरपंच कहलाये हैं। इसके पीछे जो जनतंन्त्र की सबसे बड़ी सफलता है, जो जनतन्त्र को सफल बनाने का आप ढोंग करते हैं तो आप विचार कीजिए कि आप जनतन्त्र को कहां पर ले जा रहे हैं ? आज सारे वोटरों में यह बात समा गई है कि अगर किसी प्रकार से गांव के अन्दर काम करवाना है, अगर किसी प्रकार का म्युनिसिपैलिटी में काम करवाना है, अगर किसी प्रकार का मंत्री साहब के पास जाकर काम करवाना है तो केवल एक कांग्रेस को वोट दो, केवल कांग्रेस के बन कर रहो और विरोधी दल का साथ भी देते हो तो खुलकर मत आओ, भूल करके भी और भूल करके भी उनके साथ मत जाओ। कांग्रेस के कैम्प में बैठो, वोट चाहे दूसरे दल को दो, लेकिन दिखावे के अन्दर तुम कांग्रेस के साथ रहो। इसमें हमारी पंचायत का भला होगा, इसी आधार पर पैसा मिलेगा। आप सोचिये। यह सत्य है। विवाद के लिए कुछ भी तर्क करें, लेकिन इस प्रकार की मनोवृत्ति आज सारे वोटर्स के अन्दर पंचायत स्तर पर, विधान सभा स्तर पर, पार्लियामेंट स्तर पर इस प्रकार की बात उनके दिमाग के अन्दर बैठी हुई है, कि मेरा भला, मेरे गांव का भला इसमें है कि मैं सत्तारूढ़ दल के साथ में रहूं। मैं सोचता हूं कि इस तरह से आप जनतन्त्र को खतरे के अन्दर ले जा रहे हैं और पब्लिक के अन्दर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जनता यह मानने लगी है कि वोट के आधार पर राज्य नहीं बदला जा सकता है, वोट के आधार पर पंचायत समिति और पंचायतें नहीं बदली जा सकती हैं और इस प्रकार से एक अधिनायक मनोवृत्ति उसके अन्दर पनप रही है। आप इस देश में जनतन्त्र की बात करते हैं तो जनतन्त्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि अगर किसी प्रकार से विरोधी दल को मजबूत नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम विरोधी दल की कमर तोड़ने के लिए इस प्रकार के ओछे हथकण्डे जैसे कि पाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने रखे हैं कि सरकारी जीपें काम में लाई जाती हैं, इन्डस्ट्रीज की जीपें काम से लाई जाती हैं और हर प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया है वह न अपनायें। इस प्रकार के ओछे हथकण्डे जनतन्त्र में अपनायेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि जनता की श्रद्धा डेमोक्रेसी से उठ जायेगी। जनता उसमें विश्वास करना भूल जायगी कि हमको किस प्रकार से वोट के आधार पर इस जनतन्त्र में विश्वास करना चाहिए और ऐसा न हो कि दूसरी मनोवृत्ति और दूसरे व्यक्ति जो हमारे देश के अन्दर बैठे हुए हैं, जो ताक लगाये हुए बैठे हैं समय के इन्तजार में कि वह समय कब पैदा हो कि इस देश के अन्दर हलचल पैदा हो ? वह समय कब आने वाला है. जबकि देश के अन्दर खून-खराबा हो और वे उस समय का फायदा उठावें और बरेलिशन के नाम पर विदेशी सत्ता को आमन्त्रित कर लें, यह आपको विचार करना होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सत्तारूढ़ दल से कि आप यह मानें कि पंचायतों में आप विजयी हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी नीतियां सफल हुई हैं तो वह आपका धोखा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से जिला परिषद् और पंचायत समितियों के चुनाव होने पर उनको भेड़ों की तरह से बन्द किया गया इन पंचों और सरपंचों को और उनके बीच में मन्त्रीजी बैठे हुए थे, भूतपूर्व मन्त्रीजी बैठे हुए थे जिनके आगे कलेक्टर और एस० डी० ओ० झुकते हैं और जिनके यहां दिन में तहसीलदार चार बार हाजरी देता है। इस प्रकार की धारणाएं पंचों और सरपंचों के अन्दर मौजूद थीं कि उसको आपके ट्रकों के अन्दर, आपके ट्रैक्टरों के अन्दर, आपकी जीपों के अन्दर बैठने में हिचकिचाहट नहीं थी। यह निश्चित था कि वह आदमी बैठ कर चला गया आपके कैम्प में, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से सत्तारूढ़ दल से और अपने अनुभव से कहूंगा कि पंचायत समिति के स्तर पर और जिला परिषद् के स्तर पर जो कैम्प्स बनाये और उनमें लोगों को खाना खिलाया-पिलाया और उसमें अगर आपने ५०० आदमी इकट्ठे किये होंगे तो आपको वोट ३०० ने ही दिया होगा और विरोधी दलों के १०० आदमी इकट्ठे हुए थे तो वोट २०० मिले थे।........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : एक दम गप्प मार रहे हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं केवल कोटा जिले की बात कर सकता हूं। हो

Page No 55

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सकता है कि ३०० आदमी इकट्ठे हुए तो वोट मिले १५० । इसका एक मात्र कारण यह था कि आपके आतंक में आकर, आपके डर में आकर, आपके प्रभाव में आकर लोग आपसे वंधी गये ।

श्री भीखाभाई : आपके प्रलोभन में आकर नही ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम तो नंगे-भूखे हैं । हमारे पास कोई प्रलोभन नहीं है । हम तो केवल सत्तारूढ़ दल से लड़ना जानते हैं हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, सिवाय इस-भूखेपन के । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सत्तारुढ़ दल की यह मान्यता कि हमारी विजय हुई या तो जनता को गुमराह करती है या उनकी आत्मा को शान्ति देती है । जनता में उनकी विजय नहीं हुई । साधारण वोटर जो निर्णायक है वह उसी जगह बैठा है, वह अपने मत नीति के आधार पर देता है, वह अपना मत सत्तारूढ़ दल के आचरण को देख कर देता है । पंचायत के पंच और सरपंच विधान सभा के लिए निर्णायक नहीं हैं । जो लोग चुने जाते हैं वे अपने आचरण, चरित्र के आधार पर चुने गये हैं उसमें कांग्रेस का हाथ नहीं था आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं लड़े ।

अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में जितनी इन्डस्ट्रीज़ हैं चाहे डी. सी. एम. हो, चाहे नायलोन फैक्ट्री हो, चाहे गोपाल इन्डस्ट्री हो, चाहे मल्टी मैटल हो ऐसी कोई इन्डस्ट्री नहीं थी जिनकी जीपें इनके पास नहीं हों । कोटा जिले में इन्होंने उद्योगपतियों की जीपों का जाल बिछा दिया था । लेकिन विरोधी दल उनके आगे नहीं झुकता है उनका मुकावला करता है । आप पूछिए झालावाड़ से जो मंत्री आए हैं उनसे, कि अगर झालावाड़ गढ़ की तोपें वहां नहीं डाली जातीं तो कांग्रेस का किला ढह गया होता । फिर आप में से जो कार्यकर्ता थे और जो एक दिन राजा महाराजाओं को कोसा करते थे, मंच पर या बाहर, आज मैं विरोधी दल की विजय इस आधार पर मानकर चलता हूं कि आज उन्होंने कांग्रेस को मजबूर कर दिया, विजय के नाम पर, चाहे किसी भी नाम पर कि वे राजाओं के चरण छूने लगे । यह सही है कि कोटा जिले के लोगों को राजाओं की तोपें लाकर गुमराह नहीं कर सकते । यह सही है कि पंचायत समितियों में हम बहुमत नहीं ला पाए लेकिन तीन पंचायत समितियों में से एक में २ वोट से, दूसरी में ६ वोट से और तीसरी में ८ वोट आपसे अधिक ले गए हैं और एक पंजायत समिति और थी जहां ३० वोट से हम हारे हैं । ये आपका झूठा स्वप्न हो सकता है कि आप अपनी नीति के आधार पर जीते हैं, आप नीति के आधार पर नहीं जीते लेकिन सत्तारूढ़ दल के कारण नाजायज़ फायदा आपने उठाया है और उसके कारण आप जीते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में निवेदन कर रहा था कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को माना है कि पंचायतों के चुनाव दलबन्दी के आधार पर और राजनीति के आधार पर नहीं लडें । लेकिन आप स्वयं कहते हैं, कि हमने पंचायत समितियों

Page No 56

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और जिला परिषदों के चुनाव पार्टी के आधार परिलड़े है। स्वयंआपकी पार्टी के सदस्य उस कमेटी के चेयरमैन थे। वे अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि पंचायतों को राजनैतिक दलदल से दूर रखा जाय। आप उसी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। क्या मोरल है आपका.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपका स्टेटमेन्ट कॉंट्राडिक्टरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जल्दी सुन जाते हैं और बात को नहीं समझते हैं।

तो इसमें मेरा दोष नहीं है। आपके दल के लोग और मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव पार्टी के आधार पर लड़े हैं........

श्री भीखाभाई : पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव पार्टी के आधार पर लड़ने का था, पंचायतों का नहीं था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों को पंचायत राज्य से अलग मानते हैं क्या ? सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट की धज्जियां आपके दल ने उड़ाई हैं, विरोधी दलों ने नहीं। आपने अपने प्रण को नहीं निभाया। मैं और दलों की नहीं कहता, लेकिन मैं मेरे दल के लिए कह सकता हूं कि हमने कहा था कि आरंभ से अन्त तक पंचायत चुनावों में नहीं जायेंगे। चाहे पंचायतों के चुनाव हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे पंचायत समितियों के हों, लेकिन आपके कांग्रेस दल से यह आदेश हुआ कि पंचायत चुनावों पर कन्सेन्ट्रेट करना है और इसके लिए आपके मंत्रियों ने पंचायत चुनाव क्षेत्रों के दौरे किए और लोगों पर दबाव डाला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इनका एक भ्रष्ट उदाहरण रखता हूं। पंचायत चुनाव आरंभ हुए उससे पहले मांगलोर में किसान कांग्रेस का सम्मेलन रखा। कोटा जिले में किसान कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उसका उद्घाटन करने पधारे राज्य के मंत्री हरिश्चन्द्रजी, मोहनलालजी सुखाड़िया। किसान सम्मेलन का एक नाटक था, बहाना था और उस बहाने को लेकर पंचायत चुनाव आरम्भ होने के १५ दिन या एक माह पूर्व किसान सम्मेलन का आयोजन किया। वहां सरकारी विभागों का ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जो लाल प्लेट लगाकर नही पहुँचा हो। पी. डबल्यू. डी. के क्या, इरिगेशन के क्या और दूसरे विभागों के अफसर वहां मौजूद थे। किसान सम्मेलन का शामियाना था, तिरंगा झंडा चर्खे के साथ लहरा रहा था.......

श्री भीखाभाई : कौन सी तारीख को ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुझ से क्यों पूछते हैं? जिनसे यह संबंधित है वे स्वयं यहां विराजमान हैं और वे गलत बयान नहीं करेंगे इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, वहां विद्युत् मंत्रीजी को मांगलोर कस्बे में बिजली का उद्घाटन करना था। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि

Page No 57

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सत्तारूढ़ दल अपने नाम पर, दल के नाम पर किस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरु-पयोग कर सकता है, पद का दुरुपयोग कर सकता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा भ्रष्ट उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। उद्योगमंत्री महोदय मांगलोर में बिजली का उद्घाटन करने पधारे थे। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जो शामियाना लगाया गया था उसमें ही सारे बिजली के बल्ब लगा दिये गये थे जितने उनको लगाने थे और जिस समय आपके कर कमलों से बिजली का उद्घाटन हुआ उस समय मांगलोर कस्बे में एक भी बिजली का बल्व नहीं जल रहा था पर साधारण वोटर पर यह असर डालने की कोशिश की कि देखो कांग्रेस राज्य की इससे ज्यादा बढ़ाई क्या हो सकती है, लेकिन वह क्षेत्र भी आपके हाथ से गया। जिस गांव में आपने यह सम्मेलन किया था वह क्षेत्र पंचायत समिति में आता है और वहां पर हमारा उम्मीदवार साधारण वोटों से नहीं जीता पर ११८ मतों से जीता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अध्यादेश को लेकर जैसा कि मैंने आरम्भ से निवेदन किया केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस मान्यता को लेकर, जिन नियमों को स्वीकार करके जिस प्रोसीजर को मान कर यहां बिल पास किया था उसमें यह अध्यादेश बैकडोर से नहीं लाया जाना चाहिए था। जिनको अधिकार हो वे ही चुनें। ग्रामदान के प्रोवि-जन्स को देख कर जिस बिल को सदन ने पारित किया था उसकी मंशा के खिलाफ इस ऑर्डिनेन्स को बैकडोर से क्यों लाया गया? पंचायत समितियों के अध्यक्ष चुनने का जिनको अधिकार था उनको महरूम किया और दूसरे व्यक्तियों को मेम्बर बना दिया, यह जनतंत्र की परम्पराओं के खिलाफ है जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। किसी दल को इससे हानि या लाभ नहीं होगा क्योंकि कितने से ग्राम-दान हैं, लेकिन प्रश्न है केवल सिद्धान्त का। सिद्धान्त के आधार पर मैं केवल उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस सिद्धान्त को लेकर हमने बिल पास कराया था उसको देखिये। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको पारित न करके अस्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं केवल ५ ही मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार वादविवाद हुआ है और राज्य सरकार की ओर से समय समय पर विश्वास दिलाया गया है कि अध्यादेश कभी इस तरह जल्दबाजी में जारी नहीं किये जायेंगे। लेकिन इस बार भी ज्यों सदन का सत्र समाप्त हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद अध्यादेश जारी कर दिया गया है। जब यह अधिनियम हमने बनाया था उस समय भी इस प्रावधान को रखने के लिए मंत्री महोदय सोच सकते थे और उसे सदन के द्वारा पास करवाया जा सकता था। लेकिन वह न करवा कर अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपयोग करना इस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

सदन के अधिकारों पर कुठाराघात करना है ही । लेकिन इस सरकार की अपनी आवश्यकतानुसार और परिस्थितियों के अनुसार जैसा चाहें, अध्यादेश जारी करने के द्वारा राज्य करने की प्रवृत्ति अब तक रही है और उसके संबंध में सदन में सदस्यों के द्वारा रोष भी प्रकट किया गया है–लेकिन सरकार ने यह अध्यादेश फिर जारी किया है । भले ही इस अध्यादेश का अधिक प्रभाव नहीं हो लेकिन जो प्रवृत्ति चलती आ रही है वही इस समय भी प्रवृत्ति है । इस सदन का नवम्बर में सत्र चल रहा था, उसके बाद में फरवरी में फिर मीट किया, इस तीन महीने की अवधि में अध्यादेश जारी करने का क्या कारण था ? मैं समझता हूं, वह कारण यह था कि डूंगरपुर से पंचायत समिति में मतदान में चार प्रतिनिधि और बाकी की पंचायत समितियों में एक-एक दो-दो प्रतिनिधि लाने और अपने बलेन्स को बनाने के लिए इस अध्यादेश को जारी किया गया । वर्ना इस सदन के सामने बिल लाकर भी उसको करवा सकते थे और वह शामिल हो सकते थे । उन लोगों को चुनाव में भाग लेने देने के लिए अध्यादेश जारी करवाया गया, जो घृणास्पद बात है । इस सदन में अध्यादेश जारी करने की सरकार की प्रवृत्ति पर रोष किया गया है लेकिन फिर भी अध्यादेश जारी किया गया है । यह संविधान की धाराओं की भावनाओं के प्रतिकूल है और इस सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाया गया था उसके भी विपरीत है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से पुनः यह कहते हुए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाय और बहुत जरूरी बातों में भले ही किया जाय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वह (श्री भीखाभाई) तो हैं ही नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसका विरोध करना है थोड़ा सा ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : इस पोइन्ट का जवाब देने की जरूरत है या सबका साथ दें ।

श्री अध्यक्ष : सब का साथ हो जायगा ।

श्री भीखाभाई ; अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन कर दूं ....

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे इजाजत दे दी गई है ।

श्री भीखाभाई : आपने जो रूलिंग दी है उसके अनुसार निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें इस सम्बन्ध में कही गई हैं, वह जो अध्यादेश एक आस्पेक्ट को लेकर पेश हुआ है, इसमें दूसरे आस्पेक्ट को टच नहीं किया गया है, ग्रामदान विलेजेज़ के आस्पेक्ट को लेकर यह पेश हुआ है–उस सम्बन्ध में नहीं कही गई हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामदान के बारे में बातें कहें तो उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का कहना उचित कहना है ।

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्री महोदय का सारा कहना उचित है तो बहस के लिए कुछ है ही नहीं आज ।

श्री भीखाभाई : Right, you are Correct.

श्री रामकिशन : करेक्ट कुछ नहीं है, करेक्ट आप नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : इसका मतलब यही है कि हमारी बात मान लें।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, ग्रामदान के मुख्य विषय को लेकर ही चर्चा की जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर ही मैं चर्चा करूंगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय देश में हमने एक ओर तो लोकतंत्र को स्वीकार किया है और लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत हमने चुनाव प्रणाली को माना है। इस चुनाव प्रणाली के आधार पर ही हमारा सारा प्रशासन, जो लोग चुन कर आते हैं जो नुमाइन्दे हैं, वह करते हैं-यह व्यवस्था हमारी है। दूसरी ओर जैसा कि माननीय मंत्री जी कहते हैं-ग्रामदान। तो एक ग्रामदान की व्यवस्था है। उसके बाद दूसरी चुनाव की व्यवस्था है। ग्रामदान का आदर्श और दूसरा यह आदर्श इन दोनों को सरकार एक मानती है और इसके अनुसार ग्रामदान के आदर्श के अन्दर चुनाव प्रणाली में दलगत राजनीति का, राजनैतिक पार्टियों का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें भी चुनाव प्रणाली है, उसके अन्दर विरोधी दल भी हैं, दूसरे राजनैतिक दल भी हैं और उन सबके आधार पर चुनाव होते हैं। तो उसके अन्दर तो यह प्रणाली और दूसरी ओर यह प्रणाली। अब सरकार या तो नीति के रूप में बताये जैसी कि हमने संविधान के अन्तर्गत शपथ ग्रहण की है कि हम लोकतांत्रिक परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगे। उस संविधान की धाराओं में जो सिद्धान्त स्वीकार किया है और जो संविधान की मूल मन्शा है उस सबके विपरीत हम नई नई चीजें, जो कि आदर्श से बिल्कुल परे हैं, अलग से इसके साथ जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस जोड़ने में जो दूसरा पक्ष है, उसका खुद का जो दर्शन है उस दर्शन की भी उपेक्षा होती है। मुझे दुःख इस बात का है कि एक ओर तो यह पक्ष है, जैसा कहते हैं कि हमें चुनावों में नहीं पड़ना है और राजनीति या दलबन्दी को उससे अलग रखना है-उसके बाद भी आप इस बात को इसके अन्दर लायें तो मैं समझता हूं कि वह भी दर्शन के विपरीत जाता है। वह चीज नहीं है तो सरकार इस बात को बताती, कि सरकार की क्या मन्शा है। वह मन्शा स्पष्ट करनी चाहिए थी। नहीं तो जैसा अभी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव क्षेत्र के कुछ लोगों का वोट लेना था, कुछ आदमियों का वोट लेना था इसलिए इस प्रकार का अध्यादेश जारी करके लाभ उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूं, यह बहुत बुरी चीज़ है। मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर तो क्या है कि लोकतन्त्र के अन्दर वह प्रणाली जो है, जिसके अन्दर बहुत खूबियां हैं, उस लोकतन्त्र को हम मानते हैं, बहुत बुरी तरह से कुचला है और यहां तक सूचना है कि कई इलाकों में जब चुनाव हुए थे उस समय वहां

Page No 60

(श्री मुरलीधर व्यास)

पर डाकुओं को बैठा दिया गया। डाकुओं के जरिये भरतपुर इलाके में चुनाव जीता है। हमारे साथियों से मालूम हुआ कि कई जगह डाकुओं के जरिये कहलाया गया कि इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को वोट दो, नही दोगे तो लूट लिया जायगा, बरबाद कर दिये जाओगे। उनको मोटर में बिठा कर घुमाया-फिराया और सब कुछ किया और छः निर्वाचन क्षेत्र जो पंचायत समिति के थे वहां पर डाकुओं की बन्दूकों की नोक के बल पर चुनाव करवाया गया और वहां पर आप जीते। तो एक ओर तो वह प्रणाली और दूसरी ओर यह प्रणाली, जिसको आप संशोधन करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक आरोप लगाया गया कि मन्त्री महोदय ने पूंजीपतियों से जीप गाड़ियां मगाई और मंगा कर उनका इस्तेमाल किया। यह भी आप इस चुनाव में करते रहे। इतना ही नहीं, यहां तक भी हुआ कि इस चुनाव के अन्दर मन्त्री महोदय सरकारी मोटरों के अन्दर चुनाव क्षेत्रों के अन्दर गये जो पचास पचास हजार की मोटरें हैं।

मैं परसरामजी के क्षेत्र की बात कह सकता हूं। तो बड़ी बडी मोटरें चुनाव में घूमती रहीं। और पेट्रौल जलता रहा और चुनाव का प्रचार होता रहा। इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहा और हमारी हजारों की मोटरें बरबाद हो गईं। यह सब भी किया गया। तो लोकतन्त्र के जो बुनियादी सिद्धान्त है, एक तरफ तो आप उनको आप कुचलते जा रहे हैं। हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हम इस सिद्धान्त को मान्य करते हैं कि चुनाव में दलगत नीति इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने खुद ने स्वीकार किया है कि पंचायत समिति में आपने इसके खिलाफ आचरण किया है और जिला परिषद में किया है। मैं कहता हूं कि आपको नीचे से प्रारम्भ करना पड़ा होगा। इसमें क्या हुआ कि जब आप यह स्वीकार करते हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति में राजनैतिक आधार पर चुनाव लड़ा है तो पंचायत समिति के अन्दर तो नीचे वाले लोग पहुंचे हैं, अगर उनको आप नहीं लायेंगे तो पंचायत समिति के लिए कैसे वोट लेंगे? आपकी नीति का दृष्टिकोण है वह मैं कहता हूं। आपने पंचायतों में इस आधार पर भाग लिया, क्योंकि पंचायत समिति में तभी भाग ले सकते थे जब नीचे से उन्हें जिता कर लाते। वह नहीं लाते हैं........

श्री परसराम मदेरणा : आपने सरकारी गाड़ी के उपयोग के बारे में मेरा नाम लिया। आप यह बतायें कि पचास हजार की कौनसी गाड़ी थी और किस किस तारीख को वह घूम रही थी? मैं सदन के सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जब से मैं डिप्टी मिनिस्टर बना हूं तबसे एम्बेसेडर के अलावा दूसरी गाड़ी में नहीं गया। और दूसरे यह कि जब भी मैं जोधपुर के बाहर जाता हूं तो स्टेशन वैगन ले जाता हूं। तीसरी बात यह कि इलेक्शन के दिनों में २४ दिसम्बर के बाद किसी भी सरकारी गाड़ी को यूज़ नहीं किया है। मैं प्राइवेट जीप में घूमता रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह वर्णन देते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिये। मैं यह साबित कर दूंगा कि फुलेरा क्षेत्र में आप गाड़ी में गये, दूसरे स्थानों पर भी गाड़ी का इस्तेमाल किया है, सरकारी गाड़ी का किया है। फुलेरा में गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं फुलेरा नहीं गया।

श्री मुरलीधर व्यास : फुलेरा नहीं फलौदी क्षेत्र की कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप २४ दिसम्बर के बाद की कहते हैं, मैं १८ दिसम्बर के बाद नहीं गया। मैं चुनावों के दिनों में एक दफा नहीं १० दफा गया हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे पहले गये होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तीन महीने तक राजस्थान का बराबर दौरा किया है और गवर्नमेंट विहीकल्स में घूमता रहा हूं। २० हजार मील का दौरा किया है। आप कैसे कहते हैं कि मैंने सरकारी गाड़ी का चुनावों के समय उपयोग किया।

श्री मुरलीधर व्तास : आप गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न यह नहीं है आप इर्रिलेवेन्ट बातें यहां कैसे कहते है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप लिख दें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या लिख दूं जो कुछ मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं कि चुनावों के दिनों में २४ दिसम्बर के बाद कभी सरकारी गाड़ी का उपयोग मैंने नहीं किया।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने नहीं किया तो आपके दूसरे साथियों ने किया। चुनावों से १० दिन पहले आपके श्री कुंभाराम जी निवाई सरकारी गाड़ी में गये और वहां पर सम्मेलन किया और लोगों को वोटों के लिये दबाया गया। कई स्थानों पर आपके लड्ढा जी चुनावों के दिनों में गये और उन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर ठहर कर जनता को वोट देने के लिये कहा।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है ? दूसरों की दूसरे जानें।

श्री जयनारायण सालोदिया : लड्ढा जी मुझे मुडया पोलिंग स्टेशन पर मिले थे। वे वहां रुक थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं दौरे पर जा रहा था। और रास्ते में आपने सलाम किया और मैंने आपको सलाम किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे मिला।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप वहां पर रुके हैं। आपने उनको दबाया और वोट देने के लिये दबाव उन पर डाला है।

एक माननीय सदस्य : मोटर विभाग के मंत्री जी से भी पूछ लिया जावे कि सरकारी गाड़ियां ली गई या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस चर्चा में विशेष नहीं पड़ना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री ने कह दिया है तो ठीक है। लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण बहुत अच्छी चीज हमको मिली और उसके अनुसार चुनाव हों। हमें इसको कामयाब बनाना है। अगर इसको पूरी तरह से कामयाब बनाना है तो हुकूमत को चाहिये कि वह एक चुनावों के सम्बन्ध में कमीशन बिठाए (अपोइन्ट करे) जो इस बात की जांच करे कि जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों के चुनावों में आपने अपने पदों का दुरुपयोग नहीं किया और सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस सरकार इसके लिये तैयार हो जावे और एक कमीशन बिठा दे तो मैं यह कहूंगा कि यह लोकतंत्र के लिये बहुत अच्छी चीज होगी अगर सरकार इस प्रकार कमीशन बिठा देती है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक चीज है। मै यह हुकूमत से अर्ज करना चाहता हूं कि आपने लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया है और आपने उसमें विकेन्द्रीकरण करने में पहल की तो मैं अर्ज करूंगा कि इस बात के लिये भी आज पहल करिये। किस प्रकार से चुनाव हुए और सरकार ने अपने पदों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया। आप कहते हैं कि हमने नहीं किया और विरोधी दल आपको साबित करके बता देगा कि कितने स्थानों पर सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ और किन किन ने अपने पदों का दुरुपयोग किया इसके लिये क्या संशोधन होने चाहिये वे भी उसमें हो सकते हैं। मैं हुकूमत से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे इस बात को स्वीकार कर लें कि राजस्थान में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है इसके लिये जांच करा लें। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें तय हो जावेंगे। इससे हमारे मंत्री महोदय जो बातें कहते हैं उनको जवाब भी मिल जावेगा।

अब मैं ग्रामदान वाले गांवों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सरकार ने इसके लिये अपनी नीति स्पष्ट की है कि ग्रामदान वाले गावों में सब लोग मिल कर काम करते रहें, ग्रामदान वाले गावों में सभी मिल कर खेती करें, कोई उसकी जमीन का मालिक न हो। इसके लिये भी आज जांच करावें कि आया जो आपने आदेश दिये हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं। उससे आप दो नये परिवर्तन कर रहे हैं। जहां ग्रामदान में सरकार चुनाव नहीं करावेगी। कोई कोर्ट नहीं कोई कानून नहीं। वे लोग जो सहवरण करके दे देंगे उसको रख लिया जावेगा। यह प्रणाली है। ये दोनों ही इसके विरुद्ध हैं। यह कॉन्स्टीस्ट्यूशन के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल गलत है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको वापिस ले लिया जावे या इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जावे और इसको नहीं माना जावे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुभव करता हूं कि इस विधेयक को किसी न किसी रूप में व्यवस्थित ढंग में करने की शक्ति में लाना होगा। इसको कतई रिजेक्ट या अस्वीकार वास्तविकता को देखते हुए हम नहीं कर..

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकते। क्योंकि ग्रामदान का तालमेल पंचायत समिति से है या नहीं, यह तो सदन के हाथ की बात है किन्तु अपने मत के अनुसार में यह निवेदन करूंगा कि ग्राम-दान वालों का, तालमेल यदि पंचायत समिति से है तो किस हद तक किस रूप में होना चाहिये, इसके बारे में सरकार ने कोई व्यवस्थित ढंग से अभी तक प्रकाश नहीं डाला है। इसके अतिरिक्त यह जो ऑर्डिनेन्स प्रकाशित किया गया है वह २९.१२.६४ को प्रकाशित हुआ है और जिस दिन प्रकाशित हुआ उसी दिन से यह लागू कर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव १.१.६५ से प्रारंभ हुए अर्थात् पंचायतों के चुनावों के दो दिन पहले यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया। हमको तो इसका पता भी नहीं चला। इसका पता भी चला चुनावों से एक दो दिन पहले। अगर तारीख को देखा जावे तो वास्तव में अध्यादेश सरकार के द्वारा जारी किया गया, पंचायतों के चुनाव के केवल तीन दिन पहले। अब यह अध्यादेश बिल की शक्ल में इस सदन के समक्ष आया है। मेरा यह निवेदन करना है कि अक्टूबर में जो अध्यादेश रात को १२ बजे बैठ कर हमने पास किया वह पंचायत अमेन्डमेंट बिल था जो ला के रूप में लागू हुआ। ऑर्डिनेन्स के जारी करने के सिद्धान्तों पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसको कोई पसन्द नहीं करता। मगर यह जो तीन दिन पहले ऑर्डिनेन्स लाने की व्यवस्था है, वह तो सरकार की मेरे ख्याल से दूषित नीति का एक घृणित उदाहरण है। यदि यह कूट नीति सरकार की प्रीप्लान्ड योजना नहीं थी तो क्या था? यदि आपको इस सम्बन्ध में कोई ऑर्डिनेन्स लाना ही था तो साहूकार के रूप में लाते। चोर नीति से नहीं लाते। १५ दिन पहले लाते, लेकिन आप यह ऑर्डिनेन्स चोर नीति से; बैक डोर से लाये और ऐसी नीति से लाये कि यह कब लागू होगा इसको भी जनता को जानने में देर लगे और जब तक जनता को जानने में समय लगे तब तक तो प्रथम सिरीज़ पंचायतों के चुनाव की पूरी हो जावे। यह दूषित नीति है और मै इसलिए इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रतिनिधि को चुनावों से एक सप्ताह पहले डूंगरपुर कलेक्टर के पास भेजा और उनसे यह पुछ-वाया कि ग्रामदान गांवों के प्रतिनिधियों को मतदान देने का अधिकार होगा या नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोई कानून में प्रावधान नहीं है। कलेक्टर महोदय के द्वारा मेरे प्रतिनिधि को यही आश्वासन दिया गया कि मौजूदा कानून में ग्रामदान गांवों के प्रतिनिधियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

उसके उपरान्त जैसे आसमान से बिजली पड़ती है, जैसे बोल्ट फ्रोम दी ब्ल्यू हो वैसे ऑर्डिनेन्स जारी करके, जो कानून की व्यवस्था थी उसको बिल्कुल सिद्धान्ततः बड़े भारी रूप से परिवर्तित करके, इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा यदि मैं यह कहूं कि आपने उल्लू सीधा किया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : इनका उल्लू टेढ़ा कब था जो सीधा कर लिया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से उल्लू टेढ़ा ही सीधा होता है और टेढ़ों ही का उल्लू सीधा होता हुआ मुझे दिख रहा है।

तो मेरा निवेदन है कि यह घृणित और निम्नस्तरीय राजनीति है और सरकार के लिये निष्पक्ष रूप से दृष्टि डाली जाय तो यह एक अन्याय से परिपूर्ण व्यवस्था है। सन्त विनोबा भावे राजस्थान में आये तो सबसे पूर्व डूंगरपुर जिले में प्रवेश किया। जब से वहां ग्रामदान की व्यवस्था लागू हुई है लोगों को इस सम्बन्ध में बहुत हतोत्साहित किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने उनको बाध्य किया कि ग्रामदानी व्यवस्था को वे स्वीकार करें लेकिन जहां तक मैंने पाया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं अपने अनुभव के द्वारा कि ग्राम दान के सम्बन्ध में लोगों का कोई विश्वास, उत्साह नहीं है। अगर ग्रामदानी सिद्धान्ततः वे मानते हैं, अगर ग्रामदान के महत्व को मान कर ग्रामदान योजना को अपनाते हैं तो उससे किसी को विरोध नहीं है, उसका मैं सहर्ष समर्थन करूंगा। पर कई ग्रामदानों को मन्त्री महोदय खुद जानते हैं कि हम विरोधी दल वालों ने कैंसिल करवाया है। आप कहते हैं कि हम ग्रामदान के विरोध में प्रचार करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोग ग्रामदान व्यवस्था को मानें तो उसे हम ठीक समझते हैं पर जो बे पढ़े सीधे-सादे लोग हैं उनसे अंगूठा लगवा लें, जमीनों पर जो उनके खातेदारी राइट्स हैं उनको खत्म कर दें और जब वे गृहस्थ लोग अपनी गृहस्थी के खर्च को चलाने के लिये कर्ज लेने के लिये किसी के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं, कोई कुआ नहीं, ग्राम दान योजना में तुमने सब कुछ दे दिया है, हम आपको कर्ज नहीं देंगे तब वे लोग घबड़ा कर कलेक्टर के पास जाते हैं। तब भी राज्य के अधिकारी उनकी दाद फरियाद की अवहेलना करते हैं। ऐसी स्थिति में हमने अपना पुनीत कर्त्तव्य समझा कि इसका विरोधी करें और विरोध के द्वारा ग्रामदान योजना को उन लोगों के लिये कैन्सिल करवायें। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्योंकि एक भी आदमी ग्रामदान योजना को स्वीकार नहीं करता, केवल कागजी रूप में दिखाने के लिये, अपने आदमियों को रोटी-रोजी पर लगाने के लिये आपने यह योजना की, ऐसा मुझे लगता है।

ग्रामदानी बस्तियों की जो घोषणा हुई है उसमें भी अजीब व्यवस्था है। उस सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना परम आवश्यक समझूंगा। पांच-पांच, सात-सात, दस-दस घर ग्रामदानी योजना को स्वीकार करके ग्रामदानी योजना अपनाते हैं। उन व्यक्तियों में से एक उनका प्रतिनिधि चुना जाता है। आज से इस ऑर्डिनेन्स के पारित होने से पूर्व डूंगरपुर पंचायत समिति में हर पंचायत समिति की बैठक में उन लोगों को बैठाया जाता है। मैंने पंचायत समिति की बैठकों में प्रश्नोत्तर के समय लिखित में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कलेक्टर से पूछा कि आखिरकार किस कानून के द्वारा इन प्रधानों को पंचायत समिति की बैठकों में बैठाया जाता है ? इसका कोई उत्तर नहीं। कलेक्टर महोदय से जबानी पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर के हुक्म से इन्हें पंचायत समिति की बैठकों में बिठाते हैं, वैसे कानून में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। मैं जो कहता हूं, मंत्री महोदय को इस पर यदि विश्वास नहीं हो तो मेरे पास प्रोसीडिंग्ज़ हैं मीटिंग्ज़ की, उनमें बी. डी. ओ. द्वारा इन ग्रामदानी प्रधानों के नाम लिखे हुए हैं। १५-२० ऐसे आदमियों के नाम हैं जो दस-दस, बीस-बीस घरों के प्रधान चुने गये हैं, उनको वहां बैठाया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, क्या आपके कहने का यह मतलब है कि ऑर्डिनेन्स निकाला गया, प्रचार नहीं हुआ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऑर्डिनेन्स तो अभी निकला, पर ग्रामदानी गांवों के प्रधानों को पचायत समिति की मीटिंगों में बैठाया गया। १२०० वोटों से चुने जाकर सरपंच वहां बैठते हैं वहां ये ५ वोट लेकर प्रधान बन कर आकर समानता के रूप से विराजमान हुए हैं, यह डिस्क्रिमिनेशन है या क्या है ? मैं यही कहने वाला था कि कम से कम ६०० और ज्यादा से ज्यादा १२०० वोटों से सरपंच चुने जाते हैं, औसतन माना जाय तो १००० वोटों पर सरपंच चुना जाता है तो उनके मुकाबले में पहले १५-२० वोटों से प्रधान बने हैं उन लोगों को पंचायत समिति में लेना शुरू किया। अब सेक्शन ३ के अनुसार उन पंचायत समितियों में जहां सरपंच औसतन १ हजार वोटों से चुना जाता है, वहां यह व्यवस्था की है। आपके प्रतिनिधि सहवरण सदस्य होंगे वह एक हजार की जनसंख्या के ऊपर चुना जायगा। कहां तो एक हजार वोट और कहां १ हजार जनसंख्या। उसके उपरान्त एक प्रावधान डाला। एक हजार से ऊपर यदि १२०० की जनसंख्या का ग्रूपिंग होगा तो एक प्रतिनिधि और आयेगा। तो कहां तो १२०० की जनसंख्या पर दो प्रतिनिधि और कहां १२०० वोटों से चुना हुआ एक सरपंच, यह डिस्क्रिमिनेशन है, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का मैं कटु विरोध करता हूं। इस प्रकार का प्रावधान लाकर डीफेक्टो मेजोरिटी को टैक्निकल माइनोरिटी में परिवर्तित करना और डीफेक्टो मइनोरिटी को टेक्निकल मेजोरिटी में परिवर्तित करना चाहते हैं। आखिर इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवस्था करें तो मैं समझता हूँ इसके बारे में तो आप ही विचार कर सकते हैं कि यह हिटलेराइट मैथड है या जनतन्त्र प्रणाली का मैथड है।

जहां तक मैं समझता हूं बहुत सी बातें तो अस्पष्ट हैं, बहुत सी बातों के बारे में मुझे भ्रम है, मंत्री महोदय उनके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे; पर ग्रामदानी गांवों को पंचायत समिति में लेना है, पंचायत समितियों के अन्दर ढिलमिल गठन को जोना है, तो मेरा यह निवेदन है कि ग्रामदानी गांवों का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पंचायत समितियों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, इसके उपरान्त भी लेना चाहते हैं तो इस पर प्रकाश डालें कि इसमें आपकी क्या मंशा है, तभी हम समझ सकते हैं कि आपकी कोई व्यवस्था है पर शुरू से आखिर तक आपकी व्यवस्था अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की व्यवस्था है। मैं उदाहरण दूं डूंगरपुर पंचायत समिति के प्रधान का, यह अवांछनीय है, पर मैं यह भी कहूंगा कि वह विरोधी व्यक्ति थे। माननीय मंत्री महोदय जो मेरे सामने विराजमान हैं उनके निकटतम रिश्तेदार थे। चुनाव के ४ दिन पहले उनके ऊपर एक मुकदमा लगाकर चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाइड कर दिया। वह मुकदमा अगर लगाना चाहते थे तो एक महीना पहले लगा सकते थे। लेकिन केवल मात्र एक अचानक व्यवस्था करके और विरोधी पक्ष को कमजोर बनाने के लिए उन्होने यह व्यवस्था की जिसके द्वारा कोई आदिवासी चुनकर न आए, यह हथकंडे तो केवल मंत्री महोदय के लिए ही सुशोभित हो सकेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मुकदमा लगने से भी खड़ा हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डिस्क्वालीफाई हो गया। मंत्री महोदय ने उसके घर जाकर गुड़–शक्कर के लड्डू खाकर कहा होगा कि तुम खड़े मत हो, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। वह घबराकर भाग गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं अगर ऐसी बात नहीं है तो इन्कार कर दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : आप जबरदस्ती इन्कार करवाना चाहते हैं सही बात को ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये दो-एक बातें हैं। मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण के रूप में कोई न कोई उत्तर चाहूंगा। जहां तक मैंने सुना है अगर एक अमुक बस्ती के लोग ग्रामदान के लिए उतारू हुए तो यदि ५१ प्रतिशत बस्ती में बस्ती की आसामी ग्रामदान योजना को मानलें तो ४९ प्रतिशत जो व्यक्ति ग्रामदान योजना को नहीं मानते उनको भी जबरदस्ती ग्रामदान योजना में जाना पड़ता हैं और वे जो ४९ प्रतिशत व्यक्ति ग्रामदान में जाते हैं उनके वोटिंग के अधिकार भी छीने जाते हैं, वे डिस्फ्रेन्चाइज़ हो जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उसके साथ साथ क्या उनके खातेदारी हक भी समाप्त हो जाते हैं ? अगर हां, तो यह फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल विपरीत है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। हमारे डूंगरपुर के क्षेत्र में जहां पर ग्रामदान योजना जिन गांवों के संबंध में घोषित कर दी गई है, वहां के ४९ प्रतिशत लोग जो इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं उनको वोटिंग के अधिकार नहीं दिए गए। और अगर आपने उनके खातेदारी राइट्स भी समाप्त कर दिए तो मेरे ख्याल से यह अन्याय की पराकाष्ठा है। इस संबंध में हाई कोर्ट के अन्दर जाकर भी न्यायोचित व्यव-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्था प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इलेक्शन पद्धति ग्रामदानी गांवों की अजीब है। इलेक्शन कब होगा, इसका कोई ऐलान नहीं। नॉमीनेशन्स बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं, कोई विथड्रावल की व्यवस्था नहीं, जो चुनाव होते हैं हाथ ऊंचा होकर होते हैं, वहां पर राज्य के अधिकारी पटवारी आदि खड़े होते हैं; वे कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ नहीं, राज्य के खिलाफ हाथ कौन ऊंचा करता है, यह देख लें। यह मैंने खुद देखा है। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि इसी तरह से चुनाव जीतते हैं तो यह जीतना आपको मुबारिक हो। चुनाव अधिकारी और तहसीलदार जो कुछ भी करना चाहें बैठकर; वह उनकी इच्छा के अनुसार हो। और चुनाव की तारीख की जो घोषणा है वह भी इस तरह से गुमसुम रखी जाती है कि विरोधी पक्ष को बिल्कुल पता नहीं पड़े। इस कानून से मैं समझता हूं कि किसान की आजादी समाप्त है। सरकार यदि काम करना चाहती है तो उसे व्यवस्थित ढंग से करे और इस समानता से करे कि जिसके द्वारा इस विषय में और पंचायतों और ग्रामदानी पंचायतों के साथ कोई समानता के द्वारा तालमेल बैठ सके। इन्हीं आपत्तियों को लेकर मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : (श्री गिरधारीलाल व्यास के खड़े होने पर) क्या आप रिजेक्शन पर बोलेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष : रिजेक्शन के साथ साथ जनरल बहस भी हो रही है। सदन के समक्ष दो प्रस्ताव हैं, एक मंत्री महोदय का, कि उसको विचारार्थ लिया जाय उस पर भी बहस चल रही है और जो मोशन पेश किए गए थे कि इस विधेयक को अस्वीकार किया जाय वह भी सदन के समक्ष है। मैं समझता हूं कि दोनों प्रस्तावों पर बहस हो जाय तो अच्छा है। मंत्री महोदय उत्तर दे दें और फिर थोड़े समय में क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ लें, उसमें खास बात नहीं है। जो बहस में हिस्सा लेना चाहें तो इसी स्टेज पर ले लें और जल्दी से पास कर दें।

श्री रामकिशन : जो क्रम थे बोलने के और अलग से रिज़ोल्यूशन्स थे, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिस स्तर पर चाहें बोलें, समय सीमित है या समय निर्धारित कर लें कि तीन बजे तक उसके अनुसार बोलें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): दो दिन हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, विधि) : इस विधेयक को आज लिया जायगा और दूसरा कल। अब मोशन ऑफ डिसएप्रूवल पर बोल रहे हैं उसके बाद पब्लिक ओपीनियन या प्रवर समिति को रेफर किया जाय, उस पर बोलेंगे, इस

(श्री परसराम मदेरणा)

वक्त जो बोल रहे हैं वह न तो सिलेक्ट कमेटी के लिए न पब्लिक ओपीनियन के लिए बोल रहे हैं। मोशन ऑफ डिसएप्रूवल को सपोर्ट या अपोज़ करने के लिए बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बहस की व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि एक तो माननीय सदस्य बोल लें, उसके पश्चात् मतदान होगा और जो नया प्रस्ताव है, उसी क्रम से लिया जायगा; जैसे माननीय सदस्यों ने दिए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों के सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी हुआ उस संबंध में जो बातें कही गई ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा जानकारी का प्रश्न है। क्या इसको आउट राइट रिजेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नहीं, नहीं। जो प्रस्ताव यहां रखा गया उसके विरोध में बोल रहा हूं ?

श्री रामकिशन : आपको पता है, क्या बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष ; विरोध में बोल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को दोहरा दूं जैसे प्रारम्भ में मैंने कहा था विशेष रूप से माननीय श्री हांडा से कि सदन के समक्ष दो प्रस्ताव हैं जिन पर एक साथ बहस चल रही है। एक तो यह प्रस्ताव कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। यह स्टेज होती है जब सामान्य बहस होती है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक प्रस्ताव पर ही बहस हो। दोनों तरह के प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सामने हैं और उसी तरह से बहस का कार्यक्रम चल रहा है।

(२.०० म० प०)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं और पंचायत समितियों को लेकर के तरह तरह की बातें इसमें कही गयी हैं और यह कहा गया कि सरकारी जीपों का दुरुपयोग किया गया, कई पंचों को और सरपंचों को सरकार द्वारा डराया गया और उनको वाड़ों में बन्द करके वोट प्राप्त किये गये, जबकि ग्रामदान का बिल प्रस्तुत हुआ-यह आउट ऑफ दी स्कोप था और उसके बारे में यह बात करना कि इस बिल को विचारार्थ या आउट राइट रिजेक्ट का प्रस्ताव आया वह उसके स्कोप में नहीं आता है। जिन जिन महानुभावों ने यहां पर विचार व्यक्त किये हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गलत पासपोर्ट लेकर आप भी दाखिल होना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो पंचायतों का स्कोप माननीय सदस्यों ने बताया उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक पार्टी का सम्बन्ध है, हमने पंचा-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

यत चुनावों को पार्टी बेसिस पर नहीं लड़ा और न कहीं प्रचार किया। न पंचों या सरपंचों को किसी प्रकार का दबाव देकर कांग्रेस के पक्ष में लाने की कोशिश की गई। जहां तक पंचायत समिति और जिला परिषद् का प्रश्न है हमारी पार्टी की ओर से तय किया गया था, पंचायत समिति और जिला परिषद में कांग्रेस के जितने साथी हैं उनका एक ग्रुप बनाकर पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद् के प्रमुख के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किये जावेंगे और जो जिसके पक्ष में होंगे उसको मतदाता मत देंगे। अपोजिशन का यह दुर्भाग्य है, राजस्थान की जनता ने और गांव में रहने वाले लोगों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास प्रकट किया, उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट की उससे वे मायूस होकर उनके द्वारा विधान सभा में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं और यह कहा गया कि सरकारी जीपों और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अमुक मंत्री अमुक जगह अमुक तारीख को मोटर लेकर गये। उन्होंने कहा कि मैं गया ही नहीं, तो कह दिया कि दूसरी तारीख को गये होंगे। इस प्रकार के आरोप लगाना विधान सभा के सदस्यों के लिए ठीक प्रतीत नहीं होता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मतलब की बात कह दो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मतलब की बात यह है कि कोई भी बात मतलब की नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जहां तक इन बातों का सवाल है और यह बात कही गई कि यह व्यवस्था होनी चाहिये, मैं भी अपने कुछ सुझाव पंचायतों के बारे में और चुनावों के बारे में रखना चाहता हूं।

जहां तक कि पंचायतों का प्रश्न है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग विधान सभा के सदस्य हैं, हम सब यह चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में कहीं भी कोई राजनीति का प्रवेश न हो लेकिन जहां तक विरोधी पार्टी का सवाल है, उन्होंने इस सम्बन्ध में जो राजनैतिक पार्टी शासन करती है उसको कभी सहयोग नहीं दिया। तमाम विरोधी पार्टीज ने जब से पंचायतों के चुनाव हुए हैं, विरोधी पार्टियां सदैव से पंचायतों के चुनाव में पड़ती आ रही हैं और इस चुनाव में भी हिस्सा लेकर इस प्रकार की कोशिश की कि जिला परिषद् और पंचायत समितियों पर कब्जा किया जाय। लेकिन कांग्रेस में लोगों को विश्वास होने से वे उनके हाथ में नहीं आ सकीं इसलिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं।

जहां तक पंचायतों को अधिक सबल करने का प्रश्न है, चुनाव ठीक करने का प्रश्न है और उनमें किसी प्रकार की अनियमिततायें न आवें और ठीक समय पर पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हों और वे साधन सम्पन्न हों इसके लिए यह कहा जाय कि अनियमिततायें की गई, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जीपों का दुरुपयोग किया गया, उसके बजाय कोई कॉन्क्रीट सुझाव दिये जाएं कि पंचायतों के चुनाव में कौनसी बात ठीक नहीं हुई जिससे आयन्दा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पंचायतों के चुनाव कराये जाएं तो उनमें वे सुझाव अपना सकें जिससे पंचायत समितियों और जिला परिषदों को पावर फुल बनाया जा सके। यदि उनकी ओर से इस प्रकार के सुझाव आते तो अच्छा होता।

जहां तक पंचायत समिति के चुनावों का ताल्लुक है, जिन पार्टीज़ ने हिस्सा लिया, चाहे किसी पार्टी के हों, ये चुनाव काफी लोगों को मंहगे पड़े हैं। और उससे यह महसूस होता है कि असेम्बली के चुनावों से भी पंचायत समिति के चुनाव काफी लम्बे और बहुत खर्चीले हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि पंचायतों को सुचारु रूप से चलाना है और व्यवस्थित रूप से चलाना है और पंचायत राज को सबल बनाना है; तो जिस तरीके से पंचायत समिति के चुनाव इस समय हुए हैं उस तरीके को बदल कर इस प्रकार का सरल तरीका करना पड़ेगा, इस प्रकार के प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे कमजोर से कमजोर आदमी भी जो काबिल हो, आना चाहे तो आ सकता है। आपने सुना होगा कि गंगानगर में एक-एक लाख रुपया, पचास-पचास हजार रुपया एक एक व्यक्ति के खर्च हो गये और यह खर्च करके उन्होंने प्रधान बनने का प्रयास किया। इस प्रकार के खर्चीले चुनाव रहे तो जहां हम राजस्थान में पंचायती राज को सबल बनाना चाहते हैं और राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जावेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कोऑप्शन का प्रश्न है, ग्रामदान से कोआॅप्शन लेने की बात है, पहले यह प्रावधान था कि पंचायत समिति के सदस्यों में से, ग्रामदान में से जिस किसी को लिया जावेगा पंचायत समिति के सदस्य चुनाव करेंगे। जैसे भी शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का किया जाता है। जब यह कहा गया कि १ हजार पर एक और दो हजार और तीन हजार तक २ होंगे। जो भावना है उसको इससे ठेस पहुंचती है। जैसे बिल में यह प्रावधान था कि कोऑप्शन के द्वारा पंचायत समिति में ग्रामदान के लोगों को लिया जाय जिससे वोट का सवाल पैदा न हो और मुख्तलिफ न पड़े और वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था में गड़बड़ी न पड़े।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें प्रावधान है और स्टेन्डिंग कमेटा के जिस प्रकार नियम बनने चाहिए थे उनका समय पर निर्धारण न होने की वजह से इसमें काफी गड़बड़ी रही है। पहले एक बात चल रही थी जितने भी न्याय पंचायत के सर्किल हैं वहां पर प्रधान के लिए वोट पड़ेंगे। अलग अलग पौकेट्स में लोगों को जमा कर दिया और एक जगह पर ले जा कर दाब दिया, वैसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। न्याय पंचायत के हैडक्वार्टर पर वोट पड़ने का प्रश्न होता तो वोटरों के लिए भी नजदीक होता और गड़बड़ी नहीं होती और एक्सपेन्सेज़ नहीं होते। इस प्रकार का प्रावधान होना नितान्त आवश्यक है। भविष्य के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रणाली रखी गई तो बहुत मंहगी पड़ेगी और जिनके पास धन खर्च करने को नहीं है उनका आना मुश्किल हो जावेगा। इन्हीं सुझावों के साथ उन्होंने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जो यह प्रस्ताव रखा है कि इसको आउट राइट रिजेक्ट कर दिया जाय मैं उसका विरोध करता हूं और अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के समक्ष आपकी मार्फत कुछ आंखें खोल देने वाले और दिल हिला देने वाले तथ्य जिनके आधार पर आज हम ग्रामदान और पंचायत-राज रचना का स्वप्न ले रहे हैं उनको रखने का प्रयास करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस बार जो पंचायतों के चुनाव हुए उन चुनाव के बारे में कल जो मुख्य मंत्री बोले उनका भाषण मैं दत्तचित सुन रहा था । मुख्य मंत्री ने छाती फुलाकर गर्व के साथ इस बात को रक्खा कि इन पंचायत चुनावों में कांग्रेस की बड़ी भारी विजय हुई है । उन्होंने इस चुनाव को इस दृष्टि से रखने की कोशिश की ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बड़े ऐंठकर कहा सबने सुना ।

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : आप तो हारे हुए भी ऐंठ रहे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मूंछों पर ताव देकर कहा...

श्री मथुरादास माथुर : हारने वाले भी देकर कह रहे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम तो हरे, लेकिन आप किस कीमत पर जीते यह तो आप भी जानते हैं ।

श्री रामकिशन (वैर): मुख्य मंत्री ने तो छाती फुलाकर कहा लेकिन योजना मंत्रीजी तो छाती खोलकर घूम रहे हैं सदन में ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था, मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह भी कहा...

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें मैं अर्ज करना चाहता हूं, कल मुख्य मंत्रीजी ने जो बिश्नोई रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कहा वह मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, बड़ी शान के साथ शेखी बघारते हुए सदन में इस बात को रखा कि इन पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस विजयी हुई है । मेरी इस संबंध में यह निश्चित भावना है और दर्द है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आप इससे सहमत होंगे । पंचायत चुनावों के जरिये जन-भावनाओं का सही रूप, सही चित्रण उपस्थित नहीं हुआ है । कांग्रेस की विजय इन चुनावों में हुई वह इस बात की द्योतक नहीं है कि कांग्रेस जनता में प्रिय है या कांग्रेस के कार्यक्रम में जनता की आस्था है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर वास्तव में यही सही मन्तव्य था तो इसके

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मायने यह होने चाहिये, जनता में महंगाई का प्रसार नहीं, बेरोजगारी नहीं, जनता दुखी नहीं। लेकिन आज बात यह है कि जनता आज सभी तरह से दुखी है। राजस्थान का मंत्रि-मंडल और सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता कितने कठिन समय से होकर गुजर रही है, कांग्रेस के शासन से बुरी तरह से दुखी है। जिधर चले जाइये आपको असंतोष ही असंतोष नजर आयेगा। आज कांग्रेस की जो भी पंचवर्षीय योजना है वह सब असफल होती जा रही है, हर मोर्चे पर कांग्रेस असफल हुई है।

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अप-रोक्ष रूप से जहां भी चुनाव होते हैं कभी भी जनता अपनी भावनाओं को सही रूप से प्रगट नहीं कर सकती। राजस्थान में जो पंचायतों के चुनाव हुए इन चुनावों में जो बेसिक डेमोक्रेट का तरीका था वह पाकिस्तान के चुनावों के तरीके का था। इसको चाहे आप बेसिक डेमोक्रेट मान लीजिये या बर्मा की रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी या इन्डोनेशिया की लिमिटेड डेमोक्रेसी कह लीजिये, राजस्थान में बिल्कुल उसी तरह का नतीजा सामने आया। जहां पर इलेक्टो-रल कॉलेज सीमित होगा वहां पर भ्रष्टा-चार की ज्यादा गुंजाइश रहती। सरकारी मशीनों के कारनामों की बातें सामने आती हैं। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हमें यहां बैठकर चुनावों में जनता के सही रिप्रेजेन्टेशन का रूप देना है, जनता की अभिव्यक्ति प्राप्त करनी है तो हमें इन चुनावों के तरीकों को बदलना होगा क्योंकि जो नतीजा हमारे सामने आया है और जिस तौर-तरीके से सामने आया है वह किसी से छिपा नहीं है। पहले हम भी कहा करते थे सोश्यलिस्ट पार्टी वाले पंचायतों में राजनीति को नहीं आने देना चाहिये। यह नारा सुन्दर लगता था, नारा प्रिय लगता था, कि पंचायत चुनावों में राजनीति नहीं आनी चाहिये, राजनीतिज्ञ लोगों को इससे दूर हट जाना चाहिए। हम पंचायत राज का निर्माण राजनीति को बगैर लाये करना चाहते थे। मैं आपसे भरतपुर जिले के बारे में निवेदन करूं, जहां राजस्थान मिनिस्ट्री लेवल तक ही नहीं, भरतपुर में पंचायतों के चनाव केन्द्र के मिनिस्टर राजबहादुर एक तरफ थे और दूसरी तरफ आम जनता लड़ी। भरतपुर जिले के अन्दर जिस प्रकार से चुनाव लड़े गये जहां केन्द्र के मिनिस्टर लगे हुए थे वहां दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का पूरा तन्त्र मौजूद था दूसरी तरफ आम जनता। कौन कहता है कि भरतपुर के चुनाव निष्पक्ष हुए। जो कुछ भी इन मंत्री महोदय द्वारा किया जा सकता था किया गया, पूरी तरह से किया गया। मैं इस सम्बन्धी दो-एक बातें आपको बताना चाहता हूँ। जिस वक्त एक प्रधान के पद के उम्मीदवार ने पंचायत बसेड़ी के बारे में टेलीफोन किया राज बहादुर को ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जो लोग यहां जवाब नहीं दे सकते ऐसे लोगों के नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

Page No 73

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं यह कह देना चाहता हूं, राजबहादुर यहां भी नहीं रहेंगे और देहली में भी नहीं रहने वाले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौए के कहने से कुछ होने वाला नहीं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो "कौआ" शब्द प्रयुक्त किया है माननीय सदस्य के लिये वह, एक्सपन्ज किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं लुच्चे और गुन्डे की बात पर ध्यान नहीं देता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न कह रहा हूं। राजबहादुर जी आपकी बातों का जवाब देने के लिये तो यहां नहीं आयेंगे। इसलिए उनका उल्लेख करना सदन की प्रतिष्ठा और आपकी प्रतिष्ठा के लिये अच्छी बात नहीं है। इसमें मैं कहां से "गुन्डा" हो गया?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कारनामे उनके हैं और शर्म आपको आ रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक तरफ मैं यह कह रहा था कि पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए उम्मीदवार राजबहादुरजी को टेलीफोन करते हैं कि यहां की हालत बहुत नाजुक है। मैं निश्चय ही हार जाऊंगा। मैं भी अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की हरकतें करता रहता है बहुत ज्यादा महत्व देना नहीं चाहता। लेकिन उनकी तरफ से टेलीफोन का जो जवाब दिया वह मैं बताना चाहता हूं। उनका कहना था कि एक लाख रुपये खर्च करने के बाद भी पंचायत समिति को खरीदा जा सकता है तो खरीद डालो

(व्यवधान)

यह इस बात का प्रमाण है कि जहां कहीं भी आप विजयी हुए हैं पचायत समितियों को खरीदकर विजयी हुई हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : टेलीफोन आपने कैसे सुना ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्सचेन्ज वाले से दोस्ती होगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता कि मेरे लिये सूचना का क्या आधार है ? अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं अध्यक्ष महोदय को यह बता सकता हूं। मुझे श्रोत बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था; एक तरफ तो भरतपुर जिले के अन्दर केन्द्र के मंत्री थे और राज्य सरकार का तन्त्र उनकी सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ था लेकिन हुआ क्या ?

हुआ यह कि जो एलविन कोर्पोरेशन, नागपुर है जो एक सरकारी संस्था है, जिसमें भारत सरकार के आधे से ज्यादा

Page No 74

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

शेयर्स हैं, उसकी बारह-बारह नई-नई जीपें बुरी तरह से काम में लाई गईं, विकास खण्डों की गाड़ियां बुरी तरह से काम में लाई गई।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मंत्री) : ये बुरी तरह से कैसे काम में लाई गई ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट पूल की गाड़ियां को लेकर प्रचार किया। एलविन कोर्पोरेशन की गाड़ियों के बारे में लिखित में सूचना कलेक्टर महोदय को दी गई। यह तथ्य है जिसका आप पता लगाना चाहें तो अपनी पुलिस के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो मैं तो इनकी मनोवृत्ति की बात कहता हूं। हुआ क्या ?

होता यह था कि पहले कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में कार्यक्रम तैयार होता था कि पार्टी किस जगह रखी जावे और फिर उसके अनुसार फाइनलाइज़ेशन सरकारी अधिकारियों के द्वारा होता था कलेक्टर साहब के चुनाव दफ्तर में आकर। मैं निवेदन करूंगा कि ये तमाम बातें तो सब जगह हुईं। उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इनका भी जिक्र नहीं करना चाहता कि किस तरह से आदमी किडनैप किये गये, कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में डाले गये। इनको देखकर तो मुझे हिटलर के दिन याद आने लगे जब उसने यहूदियों को कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में डाल दिया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : फिर भी आप जीत कैसे गये ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम जीते आपकी अलोकप्रियता के कारण; आपकी गलत नीतियों के कारण, आपके घमण्ड को चूर करने के लिए जनबल के द्वारा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चुनावों में चाहे एस. डी. एम. धौलपुर था या चाहे सी. आई., थानेदार, इन्सपेक्टर बयाना थे, दूसरे व्यक्ति थे, उन सबका खुलकर इन लोगों ने अपने चुनावों में उपयोग लिया। जगह जगह नये नये थानेदारों को अलवर से, और-और जगहों से फोन से बुलाकर रखा गया, तैनात किया गया, फौरन बुलाया गया। तमाम इस प्रकार की चीजें की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी चीज निवेदन करूं नमूने के तौर पर जिसे आप विशेष तौर से एग्जामिन करा सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट आला अफसर होता है। एस. डी. एम, आला अफसर होते हैं। पंचायत समिति सेवाड़ के चुनाव में एस. डी. एम. चुनाव अधिकारी थे। अब वहां क्या ट्रिक खेली गई, यह जनरल आदेश कांग्रेस पक्ष के स्तम्भ राजबहादुर जी ने दिलवाया कि जो कोई भी वोट करेगा वह ओपन वोट करेगा। परदे के पीछे नोट जरूर लगाकर लावेगा, पर खुला हुआ लावेगा और एजेन्ट को दिखाकर फिर मोड़ेगा, ताकि उस एजेन्ट को इस बात का विश्वास हो जाय कि अमुक व्यक्ति का वोट हमारे लिये मिल रहा है। (व्यवधान) जब इस पद्धति का हमने लिखित में विरोध किया तो उस पर वहां के रिटर्निंग अफसर ने इसके बारे में कोई तवज्जोह नहीं दी। नतीजा

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

क्या हुआ? कह दिया कि कोई कानून ऐसा नहीं दिखाई देता जिसके अन्तर्गत हम इस तरह के वोट को रिजेक्ट कर दें, जब हमने ऐसे वोटों को रिजेक्ट करने के लिये प्रोटेस्ट किया तो यह उत्तर मिला।

इसके बाद पंचायत समिति कुम्हेर का चुनाव हुआ। उसमें, हमारे साथ नत्थी-सिंहजी बिराजे हुए हैं, एम० एल० ए० हैं; उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले ही लिख कर दे दिया कि आमतौर पर प्रचार यह किया जा रहा है कि चुनाव में वोट खुले तौर से डलवाये जावेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट रिटर्निंग अफसर थे। उन्होंने कहा कानून बताइये। तो कानून भी बताया गया कि धारा १२१ के क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि सीक्रेसी ऑफ बैलट पेपर मेन्टेन की जावे, परन्तु उस पर भी ऑर्डर लिख दिया गया कि यह ठीक नहीं है। वे कागज आज सील्ड हैं। पर कार्यवाही कुछ नहीं की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ११८ वोट खुले तौर पर डाले गये। ये कारण हैं कि इन चुनावों में दूसरे पक्ष के लोग कहीं पांच वोट से, कहीं दस से, कहीं ग्यारह और कहीं बीस से हारे हैं। इससे ज्यादा हार नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, ये तो मामूली चीजें थीं। इससे भी बड़ी चीजें हुईं।

मैं पालीडांग का किस्सा बताता हूं। सोशलिस्ट पार्टी का वहां उम्मीदवार था सरपंच के लिये। ८ बजे के करीब उसे जबरदस्ती जीप में डालकर ले जाया गया। वह भर ही नहीं सका मत-पत्र। जंगल में ले गये उसे। पांच-दस मील ले जाकर छोड़ दिया। सोचा, टाइम खत्म हो जावेगा, वह वापिस आवेगा तब तक। परन्तु फिर क्या हुआ. उन्होंने बाद में यह तय किया कि इसको तो जीप के पहियों के नीचे दबा कर खत्म कर दिया जावे। जब उसे जीप के पहियों के नीचे दबाया जा रहा था उस समय ईश्वर को मन्जूर था उसे बचाना था।

(२.२५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : आप उस समय मौजूद थे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप बैठिये, मैं बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जीप के पहिये के नीचे जब उस सोशलिस्ट पार्टी के विरोधी पक्ष के कार्यकर्त्ता को जो सरपंच का उम्मीदवार था, उसको मारा जा रहा था तो परमात्मा मारने वाले से बड़ा होता है, उसकी जिन्दगी के दिन बाकी थे, वह चिल्लाया। इधर तो इसका चिल्लाना हुआ और उधर से पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी का, जो चुनाव के इन्तजाम के लिये निकले थे, निकलना हुआ और सौभाग्य से उनको बचा लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): प्रभु, ! प्रभु !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पुलिस पार्टी उसको उठा कर ले गई। टेली-

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

ग्राम और तार दिये गये जगह जगह। जांच के लिये निवेदन किया गया और नतीजा यह हुआ पालीग्राम के चुनाव.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भगवान् का कैसा चमत्कार हुआ !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : निर्विरोध सम्पन्न हुए, ऐसा घोषित कर दिया गया और जब पंचायत समिति के चुनाव का मौका आया तो एस० डी० एम०, कलेक्टर, इन्सपेक्टर जाकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्यारह-बारह वोट हैं वे इधर पड़ने चाहिये, कांग्रेस की तरफ नहीं; तो तुम्हारे तार-दर्ख्वास्तें हमारे पास मौजूद हैं, हम तुम्हें गिरफ्तार करते है। ये हैं हमारे तरीके! 'उल्टे चोर कोतवाल को दंडे' वाली बात। इन कारणों से हमारे आदमी इन चुनावों में पूरा मुकाबला नहीं कर सके, हमें ही पीटे, मारे और हमारे ही साथ गड़बड़ी। इस तरह से डरा-धमका कर ये चुनाव कराये गये और इनमें हम ११ वोटों से हारे।

ऐसी एक–दो बात नहीं, कई बातें हैं। राजाखेड़ा में तहसीदार, थानेदार, सरकारी जितने बड़े अधिकारी थे, क्लर्क वगैरह भी, सबने सरकारी जीपों में, गाड़ियों में बैठकर खुले आम कांग्रेस का प्रचार किया।

यही नहीं, मैं अर्ज करूं कि सखरौदा पंचायत है उसमें जो वोटर्स लिस्ट होती है फॉर्म भरने के लिये तो जो व्यक्ति पर्चा भरने गया उसके पास वोटर लिस्ट नहीं रही, तो उसने अफसर, जो वहां रिटर्निंग अधिकारी था, से कहा कि वे अपनी वोटर लिस्ट दे दें तो वे मतदाता संख्या अपनी देखकर उसमें भर लें। तो मना कर दिया उन्होंने कि हम अपनी सूची नहीं देखने देते। नतीजा क्या हुआ, वगैर सूची नम्बर डाले उसने फार्म भर दिया और उसे इस बिना पर लेने से इन्कार कर दिया और फिर उस पंचायत का निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया।

इसी तरह वालोनी खुर्द का मामला है। वहां पहले-पहले लाइन में कांग्रेस के पक्ष के लोगों को खड़ा कर दिया गया और वे १५० २०० के करीब जो थे मत अपना डाल चुके, तो बाद में जो लोग आये जो निस्सन्देह हमारे मत–दाता थे उन पर लाठीचार्ज करवा दिया और भगवा दिया उनको और इस तरह से उनकी जीत करवा दी गई।

दगावली की बात कहता हूं। वहां मतदान ही नहीं करवाया गया और हुआ क्या ? रिटर्निंग अफसर ने कहा कि अभी अभी हम सुनाते हैं! नतीजा लोग बैठे। इन्तजार की। सारा सामान लाद लिया गया ट्रक में। सोचा, शायद यहां झगड़ा हो जावे तो धौलपुर जाकर सुनावेंगे। पर ट्रक जब स्टार्ट हो गया तो कह दिया हमारे यहां से फलां जीता और फलां हारा। और धौलपुर में जाकर रेकॉर्ड तैयार किया। यह है एक नमूना !

यही नहीं, मैं आपको बताऊं। साही-वाल-कलां की बात। प्रिसाइडिंग ऑफीसर ने बॉक्स की सील तोड़ दी। हमने एस०

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

डी० एम० को इत्तला दी, उसने चैक किया। देखा, सील टूटी हुई है। पर कोई परवाह नहीं। कलेक्टर ने लिख दिया कि इलेक्शन पिटीशन करिये।

आप देखिये हथवाड़ी का भी नमूना है। तो एक-दो नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जिनके आधार पर मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि इसमें चारों ओर भ्रष्टाचार फैला कर ये चुनाव जीते गये हैं। मैं लिखित में इनके बारे में दरख्वास्त दे सकता हूं। आप जांच करवा सकते हैं, जांच कमीशन इसके लिये नियुक्त कर सकते हैं।

इनके अलावा इस इलाके में और भी नजारे देखने में आये।

डाकुओं का दल सामने आता है और डाकुओं के दल को पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने घोषणा कर दी कि फलां फलां जगह फलां फलां आदमी सरपंच के लिए खड़ा हुआ। अगर किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत की तो उसको गोली का शिकार बना दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये तमाम चुनाव अधिकतर डाकुओं के संरक्षण में हुए और पुलिस किसी प्रकार की इमदाद नहीं पहुंचा सकी और पुलिस का संरक्षण बराबर डाकू दल को रहा। उस क्षेत्र में चुनाव डाकुओं की बन्दूकों की नोंक पर हुए। यही नहीं बसेड़ी में एक डाकू के चचाजान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो कोई व्यक्ति खड़ा होगा वह मेरी बन्दूक की नोक को पहले देख ले। मैं निवेदन कर दूं कि आज राजाखेड़ा के जो थानेदार हैं वह डाकुओं के संरक्षक बने हुए हैं और उस बात को मैं पुलिस की डिमाण्ड जिस समय आयेगी उसके तहत बताऊंगा कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं। इस वक्त जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आप पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं, कराइये। आप ग्रामदान के लिए कोई भी रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं, कोई भी प्रतिनिधित्व देना चाहते है; मैं समझता हूं कि आपकी भावना उसमें जरूर ठीक होगी। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह के स्वतन्त्र रूप से चुनाव कराने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? आप आखिर चाहते क्या हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कर्सी कायम रखना चाहते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत भारी दिल से सदन में कहना पड़ता है कि आज देश के अन्दर अगर आप जनतन्त्र को कायम रखना चाहते हैं तो हमें चुनावों में निष्पक्षता को कायम रखना होगा और निष्पक्षता को कायम रखने के लिए हमें कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर लोगों का मन इस बात से ऊब गया और लोगों में भ्रांति पैदा होने लग गयी कि चुनाव स्वतन्त्र रूप से नहीं होते और निष्पक्षता की ओर से, लोगों का विश्वास उठ गया, तो देश के अन्दर निस्सन्देह बहुत भयंकर वातावरण बनेगा और मैं

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कहता हूं धीरे धीरे—मैं कांग्रेस के पक्ष की बात कहता हूं कि आपके बहुत ही खराब-खराब कार्यों के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण देश क्रांति के कगार पर खड़ा है। मैं समझता हूं कि अब भी इसकी गुंजाइश है कि आपकी यह गलत सरकार वोटों के द्वारा बदल दी जाये और यदि आप गलत हथकण्डे काम में लायें और इससे चुनावों से लोगों का मन ऊब गया, तो देश के अन्दर खूनी बगावत भी हो सकती है और वह हुई तो उसके परिणाम क्या होंगे, मैं कल्पना नहीं कर सकता ! लेकिन हमें हर तरीके पर शांति के तरीकों को अपनाना है और इसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपने काले कारनामों को बन्द कीजिए और भरतपुर जिले में जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में आप स्वयं न्यायाधिकरण बैठाइये जिससे मालूम होगा कि वहां के चुनाव किस तरह से हुए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अभी तो यह बोल रहे हैं।

श्री सांवलियाराम (रूपवास सु०) : हमारे यहां पर पंचायत समितियों के चुनाव, सरपंचों के चुनाव हुए हैं उनमें कहीं कोई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हुआ....

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह जमूरा ठीक कहता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़, ! ऑर्डर

श्री सांवलियाराम : इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए और सदन की प्रतिष्ठा को कम नहीं करना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने बड़े भावावेश में आकर कुछ कहने की कोशिश की। मैं उस भूले हुए भाई से यह बात कहना चाहूंगा कि यह बात आपके भी हित में है। आप भटके हुए साथी हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि यह मेरे माननीय साथी उस वर्ग से आते हैं जिनके लिए शर्म की बात है, उनको संरक्षण देने की बात है । अरे, कम से कम उन चांदी के ठेकेदारों के बगल में बैठकर मेरे भटके हुए साथी मत भूल जाओ कि हमें जनतंत्र की रक्षा करनी हैं और निष्पक्ष चुनावों में जनता की आस्था बनानी है ! अगर मेरे साथी मेरे इन कड़े शब्दों से अपने आपको अपमानित समझते हैं तो मैं क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप आपने वर्ग का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करिये। आप अपने वर्ग के साथ गद्दारी मत कीजिए नहीं तो उस पिछड़े हुए वर्ग पीठ में छुरा भोंकने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी और जनता और आगे आने वाला समय आपको गद्दार की श्रेणी में रखेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी हारे या कोई भी जीते, इसकी मुझे

Page No 79

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल

चिंता नहीं, लेकिन चुनावों की इस प्रकार की व्यवस्था करिये कि जिससे लोगों में जनतंत्र के लिए विश्वास बना रहे। एक ऐसा आधार खींचा जाये जिससे हम निष्पक्ष चुनाव करा सकें । चाहे दिल्ली के दिल्लीश्वर का चुनाव हो, चाहे यहां राजस्थान के किसी मिनिस्टर का चुनाव हो निष्पक्ष तरीके पर आम जनता में चुनाव हो यही मेरी इस सदन से मांग है। अगर हमने ऐसा किया तो काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता ।

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद,

श्री नत्थीलाल (नदवई) : स्पीकर महोदय ने कहा था कि जिस क्रम में संशोधन हैं उसी क्रम से बोलेंगे। हम तो बोले ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़! माननीय सदस्य, श्री ज्वालाप्रसाद जी बोलेंगे; उसके बाद में संशोधन सब तारतम्य से लिये जायेंगे और मैं आशा करता हूं कि माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी भी संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप जब घंटी बजाओगे तभी बैठ जाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल के ऊपर जो कि अध्यादेश के रूप में निकला है विचार हो रहा है। यह अध्यादेश और जो बिल हमारे सामने है उसके बारे में तो बाद में विचार करेंगे लेकिन बहस के बारे में जो एक रूख सदन में आया है कि पंचायत चुनाव हैं उनके बारे में सभी माननीय सदस्य बोले। उसके बारे में मैं कहता हूं कि एक आदमी से पूछा कि रोते क्यों हो...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह तो नाथूरामजी ने सिखाया दीखता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सुनना नहीं चाहते ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गिरह की अकल तो है नहीं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस किस्से को पहले से जानते हैं, इसलिए तड़पड़ा रहे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निबाई): आपने रोने से शुरू किया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सुन लें और भी कई जानते हैं और आप नहीं जानते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रोता जाय, मरे की खबर लाये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी से पूछा कि तुम रोते क्यों हो ? वह रो नहीं रहा था। उसने कहा कि मेरी तो शक्ल ही ऐसी बनी हुई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लागू होती है यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, इन पर ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जरा सुन लें। तेरे नीचे स्प्रिंग लगी हुई है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तेरे नीचे जो स्प्रिंग लगी हुई है वह बूढ़ी हो गई है और मेरी स्प्रिंग अभी जवान है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह स्प्रिंग कटवा दी जायगी।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि चुनाव हुए। मैं उस बात की सच्चाई की दाद देता हूं कि उधर से जो बोलने वाले थे जनसंघ के नेता और हमारे जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, दोनों ने एडमिट किया है कि जहां तक चुनाव का सवाल था हमने भी वही अख्त्यार किया है। मैं यह मानता हूं कि चुनाव के अन्दर जो मैदान में उतरते हैं तो उस वक्त कोई पार्टी कोई कसर नहीं रखती है जीतने के लिए और यहां उपदेश देते हैं। जिसके पास जो ताकत होती है, जो इन्फ्लुएन्स होता है उसका उपयोग करना कभी नहीं छोड़ता है और दूसरों ने भी नहीं छोड़ा है। इस सच्चाई से इन्कार नहीं करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मंत्री ने स्वयं ने मान लिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ; आप मान या न मानें, आप किसी को कोई रंगत दें, लेकिन उसका एक सलीका है। जहां चुनाव के अन्दर उतरते है और जो भी उसमें होते हैं वे सब अपने २ ढंग से इनके माफिक जिसको वे मतीरा कहते हैं वह मतीरा सब अख्त्यार करते हैं...

श्री जयनारायण सालोदिया : मतीरा नहीं वतोरा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो, उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस का दौर है उसके बारे में कहूंगा कि इस चीज़ से और भी ज्यादा ऐसा लगता है। हम समझते हैं कि इनके साथ हमको तहेदिल से सहानुभूति है। उनके साथ बुरा हुआ। हम भी मातम में शामिल हो सकते हैं आपके। इसमें हमको कोई एतराज नहीं है, और हमेशा जो बड़ा पक्ष है, जो जीतने वाला पक्ष है, जिस वृक्ष में फल लगते हैं उस वृक्ष की डाल को झुकना चाहिए। इसलिए मैं इधर वालों से कहूंगा कि गर्म मत हो। वे कहते हैं तो सुन लो। ये तो खाली कहते ही हैं और कहने का हक है और उनको कहने देना चाहिए। इनको ऊंचा मानते हैं और जैसे हैं वे हमारे सामने बैठे हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था इस सिलसिले के बाद जो पहलू अध्यादेश का है, उसके बारे में पहले भी मेरा एतराज रहा है और आज भी उसका विरोध है। सवाल तो यह है कि आज ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई है इस सरकार के सामने कि जिसकी वजह से यह अध्यादेश लागू करना पड़ा। मैं इत्मिनान के साथ कह सकता हूं कि सारे राजस्थान में ग्रामदान की समस्या कहां पर है ? मैं नहीं जानता हूं कि कहां पर ग्रामदान मिला है। यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसकी समस्या राजस्थान वाइड नहीं थी। कहीं पर इधर-उधर रंग की टिपकियां लगी हुई हैं ग्रामदान की, वह उस जगह ही थी और दूसरी जगह पर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ग्रामदान का मामला इतना है नहीं। राजस्थान भर के लिए इम्पोर्टेन्स की बात नहीं थी, और उसमें भी ग्रामदान का एक जो तरीका था उसके मुताबिक उसको भी सुविधा दी गई थी पहले कानून में। उनकी भी रिकमन्डेशन थी और इस सदन ने विचार किया था इस पहलू पर। वह विचार यह था कि इस ग्रामदान में जो इकाइयां हैं उनके बारे में इस सारे सदन में विचार करके एक व्यवस्था दी थी, और उस व्यवस्था के साथ उस व्यवस्था को देने के बाद कौन सी ऐसी बात ४ जनवरी को पैदा हो गई ? कौन सी ऐसी फन्डामेंटल बात पैदा हो गई ? सरकार कहां चलने पर रूक गई जो थी कॉन्स्टीट्यूशन का सहारा करके यह अध्यादेश जारी कर दिया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा इस सदन को और इस सरकार को भी इल्तिजा करूंगा, पहले भी कहा है, कि इस तरह के कानून में कॉन्स्टीट्यूशन विशेषाधिकार हैं गवर्नमेंट के जरिये या और किसी जरिये, तो मैं आपसे कहूंगा कि बन्द कर दो इसका, इतना लाइटली यूज़ करना। आप और हम हमेशा नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन यह सत्य है कि इस देश को रहना है और सैकड़ों हजारों वर्ष इस कॉन्स्टीट्यूशन को रहना है। इतना लाइटली इसको न लें। कोई गैर जिम्मेदार आकर बैठ गया, आप तो जिम्मेदार हैं, तो रोज ही अध्यादेश से राज्य करेगा और डेमोक्रेसी का हनन होगा और नुकसान होगा। तो जरूर मैं सरकार से ऐसी इल्तिजा करूंगा, पहले भी की है और आज भी करूंगा कि इस अध्यादेश के जरिये इस चीज़ को करना मैं उचित नहीं मानता हूं।

अब दूसरी बात मैं यह भी कहूंगा कि इसको आप गौर से पढ़िये। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा कि एक रोज मैंने कहा था, मैंने जोर दिया और आज भी पंचायतों के बारे में सरकार को बतलाना चाहता हूं कि यह इलेक्शन चाहे इधर से लड़ा गया हो, चाहे उधर से लड़ा गया हो लेकिन इस इलेक्शन का जो नतीजा है, मैं निष्पक्ष रूप से जिसके अन्दर इधर वाले और उधर वाले राजी होंगे, ऐसी बात कहना चाहता हूं। और वह यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की लूट-खसोट हुई है और जिस तरह से बाड़ों में बन्द किया गया उससे चुने हुए लोगों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, गावों के अन्दर गांव वालों ने इस बात को माना है कि चुनने के बाद, हम चुन देते हैं। तो उसके बाद ५–५ रोज वे नहीं मिलते हैं। गांव वाले उनको ढूंढते फिरते हैं कि कौन से दबड़े के अन्दर हैं। (किसी सदस्य के हंसने पर) आपने भी किया है। आपके हंसने की बात नहीं है।....सबसे बड़ा नुकसान तो इस बात से लगता है, उनके रिश्तेदार भी उस गांव में होते हैं, गांव में हवा उड़ गई है कि वह ५०० रुपये में बिक गया, वह सरपंच एक हजार रुपये में बिक गया उसके विरोधी हो गये। गांव के अन्दर जो सरपंच का रुतबा था और गांव के अन्दर जो छीना–झपटी हुई और तीन–तीन दफा मोटरें एक एक गांव का मंथन करती रहीं, तो उससे गांव वालों के अन्दर इन लोगों के अन्दर इन लोगों के लिये जो चुने हुए हैं, जो उनके लीडर थे। उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, वे चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों वह रास्ता है कि जिन सरपंचों को चुने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जाने के बाद जो कि उनका विश्वास प्राप्त करके चुने गये थे, इस एक पहलू से सारे राजस्थान के अन्दर जनता के सामने वह पंच और सरपंच जो ३–४ दिन बन्द हो गये, उनकी प्रतिष्ठा को आंच आई है, चाहे झूठी हों।

जो गांव वालों का विश्वास प्राप्त करके चुने गये हैं, उनको चार–चार रोज तक किसी भी लालच से रोटी या तेल की पुरी के बल पर, शराब के बल पर या भैंसे और बकरे के बल पर बन्द रखा है, उसके लिए वे गांव वाले यह कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे वोटों का व्यापार किया। इस तरह की धारणा इस सारे राजस्थान के लिए खतरनाक है। उसको रोकना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हुवा है, अच्छी तरह से हुआ है। आज एक लड़का फेल हो गया। वह बी० एस सी० में फेल हो गया। वह बोला कि नम्बर तो पूरे थे लेकिन सिफारिश नहीं थी। मैंने कहा कि १० नंबर सिफारिश के बना लें। वह भी कहीं से लाता, लेकिन अगर १० नम्बर कट गये तो कहीं और ज्यादा नम्बर मारता। इसलिये इस चुनाव में जो कुछ हुआ है उसमें न आपका कुसूर है और न हमारा कुसूर है लेकिन आम जनता पर जो असर पड़ा है चुने हुए लोगों के बारे में, उसके लिए मैं कहूंगा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो उनके अन्दर एक भावना फैली हुई है उसको दूर करें। ऐसी बात नहीं है कि चुने हुए नहीं है। हम भी यहां प्रचार करते हैं। हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए चाहे एक धेला ही नहीं दिया हो, हम हमारी मोटरों में गये हों या किसी कम्पनी की मोटरों में गये हों। इसलिए यह रपट पड़े कि हंगामा मत करो बरसात में रपट पड़े तो कह दिया कि नहा रहे थे। रपट गये, गिर गये और हार गये तो इस बात को मानो कि हार गये। हारना जीतना दोनों में से एक होता ही है। हम तो तुमको बधाई देते हैं तुम्हारी वजह से ही हम जीते हैं। तुम हारने वाले नहीं होते तो हम जीतने वाले कहां से होते। इसलिए हम आपको बधाई देते हैं कि आपकी वजह से जीते हैं। आपके दर्द को भी मैं समझता हूं। आपकी वजह से यह अध्यादेश निकला कि जो सरपंच चुना जाय, पहले वाले ने अगर कोई गड़वड़ी की है तो उसके लिए नया चुना जाने वाला सरपंच जिम्मेदार नहीं है। हम पहले से ही कर रहे हैं कि उसको क्लर्क दो, सेक्रेट्री दो लेकिन आप नहीं देते है, इनको सेक्रेट्री देने के लिए नया अध्यादेश नहीं निकालते हैं तो जो लोग नये सरपंच बने हैं उनको डर लगता है इसलिए उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। मैं सरकार से कहता हूँ कि कि चुने हुए सरपंच चार्ज नहीं लें, बल्कि उनको सेक्रेट्री दो वे चार्ज ले·······

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इस संबंध में तय हो चुका था कि ग्राम सेवक सेक्रेट्री का काम करेंगे, यह क्यों नहीं हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपका दर्द समझता हूँ। पहले मेरी आवाज सुन लें।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं तो तुमको ही सहायता दे रहा हूं। सरकार ग्राम सेवकों को तुरन्त लगा दे ताकि भ्रष्टाचार न हो ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में भाषण न दें, इनको बोलने दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने निवेदन किया कि आज सरपंच हैं उनमें से ७२ पर सेन्ट की रिपोर्ट है उनके चार्ज के लिए सेक्रेटरी नियुक्त करने चाहिए। चार्ज सरकारी अधिकारियों को लेना चाहिये उसके लिये आप अध्यादेश नहीं लाये। आज यह हालत है कि श्रमदानियों की बात कही जाती है, मैं कहता हूं क्योंकि घूम कर आया हूं उस आधार पर कहता हूं कि श्रमदान जोरों से हुआ फिर भी काम अधूरे पड़े हैं, युटिलाइज़ेशन उनको रकम पर दिया गया है। अधिकारियों को जो पैसा दिया गया विकास के लिये, वह पैसा उस जगह नहीं लगा। सरपंच रुपये ले गये हैं वे इसलिए नहीं बताते कि कहीं रिकवरी न हो जाय और उनको डिसक्वालिफाई नहीं कर दिया जाय। जो लोग चुनकर आये हैं, जनता ने जिनको चुनकर भेजा है उनको जिम्मेदारी देने से पहले यह देख लिया जाय कि कहीं रुका हुआ पानी गन्दा तो नहीं हो गया है। जो लोग सीधे चुनाव में जीत कर सरपंच के पद पर आये हैं उनको आप सेक्रेट्री दीजिये जो सरकारी तौर पर कागज ले और पिछले साल का चार्ज ले और जो चार्ज पूरा नहीं दे उसके खिलाफ सरकारी अधिकारी चार्ज लगावें, रुपये लिये या नहीं। आप चुने हुए आदमियों पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि तुमने चार्ज क्यों लिया जब कि सडक नहीं बनी थी तो उसका चार्ज तुमको नहीं लेना चाहिये था? नये सरपंचों को भी आप गुलामी में डालना चाहते हैं। उनको गुलामी से बचाने के लिये मैं सरकार से कहूंगा कि आपने एक अध्यादेश निकाला है तो एक और निकालिये कि ग्राम सेवक पंचायतों के सेक्रेट्री की तरह काम करेंगे और ये सेक्रेट्री ही इन्चार्ज होंगे रेकॉर्ड के, पैसों के। सरपंच का सिर्फ हुक्म चलेगा, पैसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था तो नहीं करेंगे और कहेंगे कि भैंस के सिर पर हाथी का सिर कैसे लग गया मैं कहता हूं यह तो लगा हुआ था भैंरू के कटे हुए सिरपर हाथी का रिस सही बात तो समझेंगे नहीं और कहेंगे कि मैंस के सिर पर हाथी का सर कैसे लग गया। वह तो लग गया तुम्हारी भैंस के कटे हुए सिर के स्थान पर।

(हियर-हियर)

अध्यादेश आपने निकाला है पर्टिकुलर लोगों के लिये, जो जनतंत्र में विश्वास नहीं करते उनमें सरकार विश्वास लाने की व्यवस्था करना चाहती है। जो अच्छा काम सब लोग करें, करते आये हैं उस स्प्रिट से कुछ नहीं कहता। मैं ग्रामदानियों से कहता हूं कि वे कह दें कि हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। मैं उन ग्रामदानियों से कहता हूँ जो हमको उपदेश देते हैं, जयप्रकाशनारायणजी कहते हैं कि हमको ऐसी सरकार बनानी चाहिये जिसमें विरोध न हो और चुनाव नहीं होने चाहिए उपदेश देने वाले लोग घोषित करतेहैं, न ग्रामदान रहने दिया जाय और न सरकार। अधकचरे बछड़े को क्यों लाद दिया है अध्यादेश के जरिये, उनके सिद्धांत के विरुद्ध हमारे सदन में यह होना चाहिये मुंह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बांधे ढूंढिये साधुओं की तरह ही ये चलें। इसको न मानकर आप कहें कि मूंछ लगा कर तुम भी आओ। आपने अध्यादेश जारी किया लेकिन इलेक्टोरेट को मालूम होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। यह फंडामेन्टल प्रिन्सिपल हैं। मैं चुनाव कराने जा रहा हूँ तो वोटर के सामने साफ तस्वीर होनी चाहिये कि ये लोग वोट देंगे। लोगों को मालूम न हो और अध्यादेश इन्ट्रोड्यूस कर दें। मैं समझता हूं यह इलेक्शन के प्रिन्सिपल के खिलाफ है। आज कह रहे हैं कि ये लोग वोट देंगे और कल अध्यादेशस के जरिये यह कह दें ३२ में से १६ तो पहले थे ही लेकिन २ आदमी ये भी वोट करेंगे। इस तरह से १८ वोट वाला कहेगा कि मैं जीत गया। इसका इफेक्ट फंडामेन्टल चुनाव की जो सेंक्टिटि हैं उस पर पड़ा है। जो पॉइन्ट आउट किया उसको मानना पड़ेगा। इलोक्टोरल कॉलेज तय नहीं है उससे पहले चुनाव की तैयारियां करके जो लोग लड़ने के लिए पहुंचे हैं उनको अध्यादेश के जरिये कह दिया जाय कि हम १६ नहीं अब १८ हो गये यह न्यायपूर्ण बात नहीं कही जा सकती।

(व्यवधान)

इसलिए मैंने इसका विरोध किया।

अध्यादेश निकला इससे जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसको पास करना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह तो आपने उल्टी बात कह दी। जो कुछ आपने कहा वह सब बेकार हो गया। अन्त में जाकर फिसल गये।

(कुछ माननीय, सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कई दफा सोशयलिस्ट लोगों ने यह आवाज उठाई कि राजा महाराजाओं की ज़मीन जब्त कर ली जाय, मैंने उनसे कहा कि तुम नियत खराब मत करो यह सरकार करने वाली नहीं है तुम अपनी नीयत डाकुओं की सी मत बनाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह तो पास होगा ही। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे सामने पंचायत समिति और जिला परिषद विधेयक विचारार्थ पेश हुआ है, मैंने इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। सबसे पहली बात यह है कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, यह अध्यादेश लाया

Page No 85

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गया है– वह यह है कि ग्रामदान के जो भी गांव हैं उन ग्रामदान के गांवों की जो ग्राम सभा है उन ग्राम सभा के अध्यक्ष या वहां जो जो प्रतिनिधि चुनकर पंचायत समिति के अन्दर भेजे जायं– इनको भी यह अधिकार हो कि वह पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख के अध्यक्ष के चुनाव में अपना वोट दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि ग्रामदान सर्वोदयवाद के आधार पर होते हैं, उनमें सर्वोदय के सिद्धान्त को मानने वाले लोग हैं, सर्वोदय के जो सदस्य हैं, उस सारे के सारे जमात के लोग हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): लड्ढा साहब जा रहे हैं इनको रोका जाय क्योंकि उमरावसिंहजी बोल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं अभी आ जाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जायेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनकी उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं मेरे लिए जितनी आप लोगों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत सारे आ सकते हैं।

सर्वोदय का सिद्धान्त है, वह यह है कि उनका नियम बना हुआ है, वह कभी भी चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं करते हैं, कोई चुनाव लड़ते नहीं हैं।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : प्रतिनिधित्व चाहते हैं या नहीं ? जो भूदान यज्ञ वाले हैं, सर्वोदय वाले हैं, सर्व सेवा संघ वाले हैं वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं या नहीं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने अपने आपको फायदा पहुँचाने के लिए ऑर्डिनेन्स निकाला है।

श्री भीखाभाई : अभी साफ कर दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्वोदय के लोग चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं करते, चुनाव लड़ने में विश्वास नहीं करते और चुनाव में वोट देने में विश्वास नहीं करते, उनको आप कानून बनाकर कहना चाहते हैं कि तुम्हें पंचायत समिति के प्रधान के लिए और जिला परिषद के प्रमुख के लिए वोट देना पड़ेगा और वह एक हजार के गांव के पीछे एक आदमी को पंचायत समिति का सदस्य बनाकर भेजें– इस तरह की मजबूरी उन लोगों के सामने लाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि ग्रामदान के अन्दर जो गांव आये हैं उनके लिए आपके यहां

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एक अलग से कानून बना हुआ है, उनके नियम भी हैं और ग्रामदान का खास मकसद यह है कि उस गांव का विकास उस गांव के साधनों के द्वारा, वहां पर जो रॉ-मैटीरियल पैदा होता है, उसके सही श्रौर सच्चे उपयोग के द्वारा उसका आधुनिक तरीके से नहीं बल्कि गांव के तरीके से उपयोग के द्वारा गांव का विकास किया जाय। यह जो चुनाव प्रणाली का भ्रष्ट तरीका है उसके श्रनुरूप न तो कोई उनका सिद्धान्त है और न उस नीति पर वह चलना चाहते हैं। पर इस बात को लेकर यह अध्यादेश लागू किया और इसके जो ऑब्जेक्टिव आपने बताये हैं, इस अध्यादेश को लाने के लिए आपने बताया कि क्यों हमको यह अध्यादेश लागू करना पड़ा- इसके अन्दर आपने कहीं भी यह बात नहीं बताई कि राजस्थान के श्रन्दर कितने आदमियों को इस श्रध्यादेश के लागू होने के बाद इस सरकार ने वोट देने का अधिकार दिया है ? कितने आदमी इस अध्यादेश के अन्तर्गत आये हैं जिन्होंने, अभी जो चुनाव हुए हैं, उनके अन्दर जाकर वोट दिये हैं। मैं समझता हूं कि पंचायत-चुनाव के अन्दर जहां पर हजारों आदमियों ने वोट दिये, हजारों आदमियों को, वहां पर किन्हीं भी दस पन्द्रह आदमियों को वोट देने का अधिकार देने के लिए कानून बनाकर उनके ऊपर थोपें, जिसको वैधानिक नहीं कहा जा सकता। एक मजाक सा कानून बना दिया और वह कानून भी कब निकाला जब प्रधान के चुनाव होने के कुछ दिन बाकी थे। और अध्यादेश बनाकर राजस्थान में कह दिया कि इन लोगों को प्रधान के चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन के अन्दर जिस वक्त इस तरह का कानून बनाया जा रहा था उस वक्त रात के साढ़े ग्यारह बज गये थे, उस समय भी मैंने एक शंका इस सदन में उठाई थी, कि मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कानून को, जो कि बहुत अहमियत का कानून है, इस तरह पास करवाना चाहते हैं, जल्दबाजी में पास करवाना चाहते हैं जिसके अन्दर आपको आने वाले समय में जल्दी जल्दी ऐसे भी संशोधन करने पड़ेंगे जिनसे इस कानून का जो मूल उद्देश्य है वह भी परिवर्तित हो जायगा। यह अध्यादेश, जो कि आपके और हमारे सामने हैं, इस सदन के सामने है- उसको देखने के बाद मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं और सही कहने को तैयार हूं कि आपने इस अध्यादेश को लाकर मेरी बात को सही साबित कर दिया है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (३) के अन्दर नियम बनाने का अधिकार सरकार लेना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं, वह अधिकार लेकर यह पंचायत राज्य का जो मूल कानून है उसको इतना रद्दी और लीचड़ बना देना चाहते हैं कि जिसके आधार पर जिस तरह सरकार चाहे, जिसको वोट देने का अधिकार दिलाने की बात करना चाहे उस तरह से नियमों में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

द्वारा मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, जो बात मैं कह रहा हूं, जिस पत्र का हवाला दे रहा हूं वह इन्हीं के विभाग से जारी किया गया है। हमने पंचायत राज कानून के अन्दर एक प्रावधान रखा था कि जो सिलेक्ट कमेटी बनेगी, हमारी पंचायत समिति के अन्दर उस सिलेक्ट कमेटी में पांच आदमी पंचायत समिति के मेम्बर होंगे और दो आदमी बाहर के लेंगे, उन्हें को-ऑप्ट किया जा सकता है....

श्री भीखाभाई : सिलेक्ट कमेटी ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सिलेक्ट कमेटी के अन्दर !

श्री भीखाभाई : स्टेंडिंग कमेटी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हां, स्टेंडिंग कमेटी के अन्दर। उस स्टेंडिंग कमेटी के लिए इनके डिपार्टमेंट से एक परिपत्र निकाला गया और कहा गया कि स्टेंडिंग कमेटी में जो दो आदमियों को लेने का सवाल है वह दो महीने, ढाई महीने के लिए स्थगित रखा जाय क्योंकि इसके अन्दर किन आदमियों को ले सकेंगे इसके लिए हमें नियम बनाने हैं, वह नियम बना रहे हैं कि प्रधान और प्रमुख मिलकर ऐसे दो आदमियों को ले लें। मैं कहना चाहता हूं, ऐसी जो मूल सिद्धान्त की बात है उसमें यह सरकार अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह की बात आज लाना चाहती है, जब कि ये खुद कहते हैं कि शानदार तरीके से पंचायतों में बहुमत से जीत कर आये हैं। अगर बहुमत से जीत कर आये हैं तो इस तरह के परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, इस तरह इनडाइरेक्ट तरीके से लोगों को लाकर क्यों बैठाना चाहते हैं। इस तरह शंका पैदा करनी थी, भ्रम पैदा करना था तो उस वक्त सदन में यह बात रखते जब वह कानून पास किया था। उस वक्त नहीं कहा और आज परिपत्र निकाल कर अपने डिपार्टमेंट से अपनी मनमानी करना चाहते हैं और सदन के सदस्यों को धोखा देना चाहते हैं यह आपके लिए कोई शोभा की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो क्लॉज ८ का सब क्लाज ३ के तहत नियम बनाने का अधिकार सरकार लेना चाहती है, जो नियम बनाने की बात कही है उसे यह सदन स्वीकार नहीं करे और सरकार को इस तरह के नियम बनाने की मंजूरी नहीं दें। क्योंकि ये नियम किनके मतलब के लिए बनाना चाहते हैं, यह जनता के लिए नहीं बनाना चाहते हैं। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए यह अध्यादेश लाये हैं और जिनके लिए नियम बनाना चाहते हैं, सर्वोदयी लोगों के लिए, जो आपके इन चुनावों के अन्दर आयेंगे, तो मैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): नियम तो बना दिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नियम बन गये तो ठीक है, यह पास नहीं होगा तो नियम भी खत्म हो जायेंगे।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप इसके द्वारा पंचायत समितियों में लाना चाहते हैं और वोट का अधिकार देना चाहते हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार और केन्द्रीय सरकार भी विनोबा भावे की तरफ देख रही है, उनकी नीतियों के बारे में विचार भी इस देश में करती है और यह सरकार उनको एक गुरू के रूप में भी मानती है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जो उनका सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त से यह उनको दूर क्यों ले जाना चाहती है और क्यों उनको राजनीति में लाना चाहती है। क्योंकि जो आदमी प्रधान के लिए वोट देगा, जो आदमी प्रमुख के लिए वोटर होगा उस आदमी को इनके घेरे में रहना पड़ेगा, जो कि अभी भी रहे हैं चार-चार दिन तक और इनके यहां रोटी खानी पड़ेगी, इनके अन्दर में जाकर रहना पड़ेगा और इनके कहने के माफिक वोट देना पड़ेगा। तो इनको आप भ्रष्ट क्यों बनाना चाहते हैं। इसका नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं ? हमारे यहां बनेड़ा में इस तरह के नेता हैं माणिकलाल नवा, जो आज दो साल से गांव के बाहर बैठे हैं, उनको हमारे मुख्य मंत्री ने पिचहत्तर रुपये महीने की पेंशन दे करके इस तरह भ्रष्ट किया है कि उस आदमी ने गांव गांव जाकर कहा कि कांग्रेस के लोगों को वोट देना। यही नहीं कि दूसरे लोगों को भ्रष्ट करें, कांग्रेस के लोगों को भ्रष्ट करें लेकिन सर्वोदयी लोगों को भी भ्रष्ट करने का तरीका आपके पास है, जिसके आधार पर आप भ्रष्ट करते हैं और इस तरह उस आदमी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह गांव गांव में जा कर यह कहे कि कांग्रेस को वोट देना। सिर्फ ७५ रुपये के उनके लड़के को मुफ्त में ऐजूकेशन दिलवाई, एक बड़े लड़के को मिल में नौकरी दिलवा कर भ्रष्ट बनाया। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कल मुख्य मंत्रीजी फरमा रहे थे कि मैं बदला लेने की भावना नहीं रखता, मैंने अपने शासन में कभी किसी से बदला नहीं लिया, ठीक है, बहुत ऊंचे आदमी हैं आप। अगर आप ऐसे विशेष रहे हैं तो इससे ऊंचा आदमी हो नहीं सकता। मगर मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में राजनीति में कितने लोग थे उन सबको छोड़ दूं, मगर फिर भी व्यासजी महाराज थे। जिनका बहुत ऊंचा आदर्श था और उनको हरा कर आप उनकी कुर्सी पर आकर बैठे हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि आप उनके चरित्र और त्याग की सुखाड़ियाजी, आप नकल नहीं कर सकते और आप उस व्यक्ति को हरा कर कुर्सी पर बैठे हैं जिसने आपको इस कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया। वे क्या सिद्धान्त की बात करते हैं ? आप कहते हैं कि मैं बदला नहीं लेता। मगर मैंने उसी समय यह कहा था कि बदला लेने की भावना आपके दिल में और आपकी रग रग में भरी है और आपने हमेशा बदले लेने की भावना रखी है और आपने हमसे भी बदला लेने की बात की है और लेना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल भी राजनैतिक कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार हुआ उसके लिये बातें हो रही थी और आज भी मैं यह कहूंगा हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब रामप्रसादजी लड्ढा बैठे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

षडयन्त्र रचा है, उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसे आदमी को लगा कर रखा है जिसके द्वारा वे मेरे को मरवाना चाहते हैं। में इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस संबंध में तारीखवार, समयवार कब कब किस आदमी ने मेरे पर हमला किया इसकी रिपोर्ट दी है। मैंने स्पीकर महोदय को तार दिया, होम मिनिस्टर को तार दिया है। कमिश्नर हैं उनको भी तार दिया और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह आदमी कौन है जिसको मेरे पीछे लगा रखा है वह कोई राजनैतिक कार्यकर्त्ता नहीं है। बल्कि वह एक सरकारी नौकर है। वह सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी से उसको ३२ दिनों की छुट्टी चुनावों के दिनों में दिलाई और कहा कि बनेड़ा में ही रहना चाहिये। वह वहां पर रहा और समय समय पर मैंने उसके कारनामों को कलेक्टर, एस. डी. एम. और ए. डी. एम. से कहा। यही नहीं, जीप में जाकर प्रचार करते हुए उनको बताया और कहा कि यह प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस को वोट देना।

इसके अलावा ८ बजे वोट पड़ने वाले थे और यह महाशय ७॥। बजे तक वोटों के लिये प्रचार कर रहा था। मैंने जिस समय डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट पुलिस, डूंगरपुर को कहा तो उन्होंने कहा कि आप हमको क्यों कहते हैं ? हमको तो डाक बंगले बैठे हुए मिनिस्टरों से बातें करनी पड़ती हैं ? और जैसा वे कहते हैं उस पर अमल करना पड़ता है।

अभी जैसा परसरामजी ने कह दिया कि मैं तो सरकारी मोटरों में बैठ कर चुनावों का प्रचार करने नहीं गया। आप भी उसी प्रकार खड़े होकर कहिए। मगर आप दो महीने तक सरकारी गाड़ियों में बैठ कर फिरते रहे, उस झण्डे वाली गाड़ी में बैठ कर घूमते रहे। लाल प्लेट वाली गाडी में बैठ कर फिरते रहे। आपको शर्म नहीं आती इसके लिए ? क्यों आवेगी ? क्योंकि आप ५६ मॉडल कांग्रेसी हैं। सन् ५२ में तो आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। आपको देश के लिए प्रेम नहीं है आपको कुर्सी से प्रेम है और आपने यह कुर्सी के लिये सब कुछ किया है। आपको चीफ मिनिस्टर से या किसानों में प्रेम नहीं है। यही कारण है कि जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है उसमें आप किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और कागज बना रहे हैं और उससे उन किसानों को कोई राहत नहीं पहुंच पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव मंत्री, श्री माथुर साहब यह कह रहे थे कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। हमारे डिपार्टमेंट ने कोई पक्षपात नहीं किया आप जरा कान खोल कर सुन लें और मैं जिस बात के लिए कहता हूं उसकी जांच करा लें कि आया वह सही है या नहीं। हमारे इलाके में बड़ी-कुडया गांव है। वहां पर सरपंच का चुनाव हुआ। ४ तारीख को चुनाव होने वाला था। ३ तारीख को १२ बजे नोमिनेशन पेपर्स की जांच का समय था। १२ बजे वहां के रिटर्निंग ऑफीसर ने नोमीनेशन पेपरों की जांच कर ली। रनतलाल जो कांग्रेस का उम्मीदवार था। उसका नोमी-

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

नेशन १२ बजे इसलिए खारिज हो गया कि उसमें कांग्रेस के पैसे बाकी थे और नारायणसिंह निर्विवाद चुन लिया गया और उनको निर्विरोध चुना हुआ घोषित कर दिया गया । इसके बाद चुनावों का काम बन्द हो गया और वह निर्विवाद चुन लिया गया। होता क्या है कि १।। बजे छोटा मोटा अधिकारी नहीं, भीलवाड़े के कलेक्टर साहब वहां पर आये । उसने मालूम किया कि यहां से कौन आदमी जीता है तो वहां के पटवारियों ने कहा कि यहां तो कांग्रेस विरोधी आदमी आया है । और कांग्रेस प्रतिनिधि का तो पर्चा खारिज हो गया। तो उस कलेक्टर ने १।। बजे, अगर मैं झूठा हूं तो आप वहां से सारे कागजात मंगा लीजिये, उस रिटर्निंग ऑफिसर को दबाया और कहा कि तुमने उसका पर्चा क्यों खारिज कर दिया । उसी जगह जो रुपया रतनलाल में बकाया था दिलाया गया और उसके नोमिनेशन पेपर को जो १२ बजे खारिज हो चुका था उसको दो बजे वापिस वैलिड कराया गया और उसका चुनाव करवाया गया । यह हमारी सरकार जो अपने आप को बहुत पवित्र बताती है, उसका एक उदाहरण है । आप सारे कागजात मंगावें आपको मालूम होगा कि जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने १२ बजे फैसला दिया उसके फैसले को कलेक्टर ने खुद ने उसको बदलवा दिया और पेपर वेलिड कराये। फिर भी वह आदमी जिसके नोमिनेशन पेपर को कलेक्टर ने वेलिड करवाया वह आदमी ३७५ वोटों से हार गया और उस समय रामप्रसाद जी लड्ढा दुम दबा कर भाग गये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आपने दुम दवाई हो तो ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूँ कि बड़ी पवित्रता से चुनाव हुए, आप बातें कह रहे हैं । हम जो बातें कह रहे हैं आप उसकी जांच करवा लें । मैं यह कहना चाहता हूं कि कलेक्टर ने दो बजे क्यों इस प्रकार की कार्यवाही की ? मैंने दरख्वास्त दी कि कलेक्टर खुद पक्षपात कर रहे हैं । रिटर्निंग ऑफिसर उनके कहने से कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप खड़े होकर कह दें कि मैंने चुनावों में काम नहीं किया । आप कह नहीं सकते । आप जैसे आदमी जिसके कोई सिद्धान्त नहीं, आपने एक-एक महीने तक मालपुरा और हनुमानगढ़ के चुनावों में काम किया और दो महीने भीलवाड़ा में चुनावों में काम किया । १२ महीनों में चार महीने सरकार के पैसों सेऔर सरकारी गाड़ियों में मजे उड़ाये । आपने सरकार की मोटरें काम में लीं । मैं कहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं । ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने का अधिकार नहीं । जो सरकारी पैसों पर चार महीने तक चुनावों का काम करे और भ्रष्टाचार का काम करे...

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

उनको ईमानदार नहीं कहा जा सकता । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग राजनैतिक काम में नहीं हैं और जो लोग भ्रष्टाचार से दूर हैं और जो लोग चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोगों

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को आप कानून बना कर क्यों राजनीति में लाना चाहते हैं ? क्या किसी ग्रामदान के लोगों ने या अध्यक्ष ने इसके लिए आपको दर्ख्वास्त दी है जिससे आपको यह अध्यादेश निकालने की जरूरत पड़ी ? मैं कहूंगा कि अगर एक भी इस प्रकार की दर्ख्वास्त आपके पास हो तो आप यहां रख दीजिए। फिर आप यह अध्यादेश क्यों लाये ? जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा कि उनके क्षेत्र में ऐसे लोग थे जिनको वे लाना चाहते थे उसके लिए यह अध्यादेश जारी किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठना चाहता हूं और वह बात यह है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि सुखाड़ियाजी साहब ने और लड्ढा साहब जो उपराजस्व मंत्री हैं, उन्होंने सदन में कहा था कि बनेड़ा की तहसील को इसलिये तोड़ा है कि हम उसको प्रशासन के तरीके से ठीक समझते हैं, प्रशासन भीलवाड़ा जिले का और राजस्थान का इसी आधार पर अच्छा चल सकता है कि हुरड़ा की तहसील को कायम रखा जाय और बनेड़ा की तहसील को तोड़ दिया जाय। यह यहां कहा और इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने २० सरपंचों के दस्तखती कागज बताये कि ये २० सरपंच चाहते हैं कि बनेड़ा में तहसील नहीं रहनी चाहिये। जिन लोगों के दस्तखती कागज यहां पेश किये गये वे आज भी जीत कर आये हैं इसमें कोई दो राय नहीं पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिये कि १२ दिसम्बर के रोज क्या बनेड़ा के ५० लोगों को बस में भर कर नहीं बुलाया गया, क्या आप उनको मोहनलालजी सुखाड़िया के पास नहीं ले गये थे और सुखाड़ियाजी से यह नहीं कहलवाया कि कि अगर प्रधान कांग्रेस का बना दोगे तो मैं बनेड़ा में तहसील दे दूंगा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने माणिकलालजी को जिनको ७५ रुपया माहवार देकर भ्रष्ट बनाया, उनको चिट्ठी लिखी आज से १५ रोज पहले कि माणिक–लालजी आपको जान कर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान सरकार १ अप्रेल से बनेड़ा में फिर तहसील बनाने का निश्चय कर रही है। आपके यहां तारीख से तहसील हो जायगी। अरे रामप्रसादजी, जरा मुंह ऊंचा करके सुनो, यह भ्रष्टा-चारिता और सिद्धान्तहीनता आपने और आपके मुख्य मंत्रीजी ने कब से सीखी है, कब से इस प्रकार की हिमाकत करने लगे हैं ? यह आपके चुनावों में जीतने की नहीं चुनावों में हारने की बात है। यह बनेड़ा की तहसील बनेड़ा की जनता के त्याग का फल है, जिनके लिये आपने खड़े होकर कहा था कि पुलिस ने लाठियां इसलिये चलाई कि उन्होने अराजकता फैलाई थी। आज तुम्हारी इस घोषणा से

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सब पुरानी बातें जो तुम्हारे द्वारा यहां रखी गई केवल झूंठ साबित हो रही हैं, उसके लिये आपको प्रायश्चित करना चाहिये और सदन से माफी मांगनी चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनिट सिर्फ।

पंडित जवाहरलालजी नेहरू आज स्वर्ग चले गये, उनको बनेड़ा की जनता ने डेपुटेशन के जरिये एक मेमोरेंडम भेजा। बनेड़ा का डेपुटेशन पंडित जवाहरलालजी नेहरू के पास गया और उनको मेमोरेडम पेश किया। जो केन्डिडेट वहां से जीत कर आया उसका बदला लेने के लिये बनेड़ा तहसील को आपने खत्म कर दिया और वह मेमोरेंडम पंडितजी ने राजस्थान सरकार के पास भेजा तो यहां से इन्होंने लिखा कि यह प्रशासन के आधार पर बनेड़ा की तहसील को तोड़ा गया है और राजस्थान सरकार इस पर पुनः विचार करने को तैयार नहीं है। जिन जवाहरलालजी नेहरू का नाम लेकर इन कुर्सियों पर बठे रहना चाहते हैं उन जवाहरलालजी को कोरा जवाब दे दिया, और अब कांग्रेस का प्रधान बना लिया तो बनेड़ा में फिर से तहसील कर दी, आपको शर्म आनी चाहिये।

इस अध्यादेश के द्वारा जिन लोगों को वोट लेने का अधिकार दिलाना चाहते हैं वे वोटों में विश्वास नहीं करते, उनका कोई रिप्रेजेन्टेशन आपके पास नहीं है, जो कानूनी तौर पर इसे नहीं कराना चाहते, जिनको काम में विश्वास नहीं है, उनको इस प्रकार का काम करने के बाध्य करना उचित नहीं होगा, सिर्फ आपका पक्ष मजबूत हो सकता है, तो पक्ष मजबूत करने के लिए इस प्रकार का आर्डिनेन्सराज चलाना महज अन्याय होगा। इस प्रकार आर्डिनेंसों से राज्य चलाते थे अंग्रेज और राजा, उनको हमने समाप्त कर दिया। आप तो ५६ के मॉडल हैं आप इसे नहीं समझ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगा कि समय की तंगाई को देखते हुए संक्षेप में भाषण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अध्यादेश पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सम्बन्ध में सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। विभिन्न दृष्टिकोणों से, कटुता से, मृदुता से इस अध्यादेश के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है; पंजाबी में एक कहावत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि :

"फत्तू रोवे यारां नूं ले ले नाम वीरां दा"

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मतलब हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा मैं: अनुवाद करके बताता हूं। मिस फत्तू अपने प्रेमियों के लिये रो रही थी, पर नाम अपने भाइयों का ले रही थी। कष्ट माननीय सदस्यों को कई प्रकार के हैं पर इस अध्यादेश को लेकर वे बातें कही जा रही हैं जिस तरह मिस फत्तू अपने भाइयों का नाम लेकर अपने प्रेमियों के लिये रो रही थी।

श्री रामकिशन (वैर) : मिस फत्तू कौन थी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई थी आपकी मित्र।

श्री रामकिशन : यह शालीनता की सीमा को तोड़ा जाता है, कम से कम मुझसे तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं क्षमा याचना करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इतना जल्दी समझौता कर लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पंडितजी का आदर करता हूं, मैं इनकी प्रशंसा कर चुका हूँ।

एक सिद्धान्त इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था और वह पिछले चुनावों के बाद हुआ था। इस सदन के सदस्यों की आम राय थी कि फ्रेन्चाइज़ लिमिटेड है इसलिये लोगों को भ्रष्ट कर दिया जाता है इसलिये फ्रेन्चाइज़ को अधिक विस्तृत कर दिया जाय। एक नया अमेंडिंग बिल जिला परिषद और पंचायती राज के सम्बन्ध में आया, जिसमें बड़ी गम्भीरता से इस बात पर गौर किया गया कि फ्रेन्चाइज़ को अधिक विस्तृत किया जाय, जिससे भ्रष्टाचार कम हो। मेरी पार्टी की ओर से एक नॉनऑफिशियल बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया, सरकार ने भी एक बिल पेश किया। ये गाथाएं माननीय सदस्यों ने पहले सुनीं, कि सरपंचों को गाड़ियों में बैठा कर गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल की सैर कराई गई, पन्द्रह २ दिन तक उन लोगों को बन्द रखा उससे अधिक ऊंची आवाज में जब कि फ्रेन्चाइज़ इस सदन में विस्तृत कर दिया, अब फिर वही गाथाएं सुनने को मिलीं, वही कन्सेन्ट्रेटेड कैम्पों का वर्णन, वही पंचों, सरपंचों का भ्रष्ट हो जाना, चाहे जीतने वाले पक्ष के लोग हों चाहे हारने वाले पक्ष के लोग हों, दोनों की तरफ से इस बात पर स्वीकृति दे दी गई। पंचों का क्रय विक्रय हुआ, सरपचों को, पंचों को केम्पों में रखा है उन्हें खरीदा गया है, उनको भ्रष्ट किया गया है। चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों खरीददारी दोनों ने की हैं, दोनों बाजार में उतर पड़े। जब पंचायतों के चुनाव आये, मैं विशेष रूप से उस जिले की बात कहता हूं जिस जिले से मैं आया हूं कि वहां १० हजारी सरपंच और ५० हजारी प्रधान बने। जिन्होंने १० हजार रुपया खर्च किया वे सरपंच चुने गये और जिन्होंने ५० हजार रुपया खर्च किया वे प्रधान बने। उपाध्यक्ष महोदय, बाजार में खरीददार बराबर के खड़े थे, विरोधी ज्यादा थे या कांग्रेस के ज्यादा थे यह न कह कर यही कहूंगा कि जिसको मालदार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आसामी मिल गई उसी का झंडा झूल गया। नीतियों और सिद्धान्तों का प्रश्न नहीं था। मैं कांग्रेस पक्ष के लोगों को इसी आधार पर दोष दे दूं तो ठीक नहीं होगा कि जेब में पैसा डाल कर इन्होंने लोगों को खरीदा, पर मैं इस बात के लिये अवश्य दोष दूंगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। वे नीति रख कर राज चलाने की बात कहते हैं, समाजवाद के हामी बनते हैं, वे बाजार में खरीददार बन कर आये। आज उनकी जीत-जीत में नहीं, हार में परिणत हो चुकी है। वे भी खरीददार बन कर बाजार में खड़े हुए। उन्होंने कितने गरीबों को हराया। कई जगह ईमानदार कांग्रेसी खड़े हुए हार गये, वह उन पंचों की हार नहीं, यह हार नीति की हार है, सिद्धान्तों की हार है। हमने विस्तृत फ्रेन्चाइज़ माना कि पंचों के भी वोट पड़ने चाहिये। इससे क्या खरीददारी बन्द हुई? हम इसे और विस्तृत कर देंगे कि हर आदमी का वोट पड़े, पंचों और सरपंचों के साथ-साथ प्रधान की भी पेटी अगर रखवा देंगे तो क्या इससे खरीददारी बन्द हो जायगी? बन्द नहीं होगी, यह बाजार और विस्तृत हो जायगा। इसके लिये दोषी हैं तो समस्त राजनैतिक पार्टियां दोषी हैं, इसमें अगर किसी को हार है तो वह समस्त राजनतिक पार्टियों की हार है।

सबसे पहले यह उन लोगों की हार है, जिन्होंने धन के साथ सत्ता का उपयोग भी किया। आज अध्यादेश सदन के समक्ष है। यह इस बात का सबूत है कि ग्रामदान के लोगों को रिप्रेन्ज़ेंटेशन देने की बात आज सदन के अन्दर की गई। जयप्रकाशनारायण ने जीवन-दान किया। उनका एक सिद्धान्त है। निर्विरोध चुनाव, योग्य आदमी, प्रति-स्पर्द्धा की समाप्ति और चुनाव के बाद पैदा हुई आपस की कटुता और गड़बड़ियों का निराकरण। यह ग्रामदान जयप्रकाश-नारायण जिन्होंने जीवनदान दिया है और विनोबा भावे की प्रयोगशालाएं थी जिसके अन्दर एक प्रकार का प्रयोग हो कि इस कटुता को इस रूप में समाप्त किया जा सकता है या नहीं।

राजस्थान के नक्शे को देखें, ग्रामदान में कितने गांव हैं। गंगानगर जिले में एक नहीं, जोधपुर में एक नहीं और जहां से माननीय पंचायत मंत्री आते हैं वहां सबसे अधिक ग्रामदान के गांव हैं। ४ फरवरी, १९६४ को अध्यादेश जारी होता है, पंचायत मंत्री स्वयं भील हैं और सबसे अधिक ग्रामदान के गांव उनके क्षेत्र में हैं, अधिकार देते हैं कि ग्रामदान के प्रेसीडेंट मिलकर एक प्रेसीडेंट चुन लें। वह प्रेसिडेंट अपना वोट पंचायत समिति के अन्दर डाले, यह सत्ता के उपयोग का एक प्रमाण है जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ है और इस रूप के अन्दर प्रस्तुत हुआ है।

श्री भीखाभाई : आपको तो खुश होना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप इसके खिलाफ क्यों हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान के अन्दर ८० हजार पंच चुने गए, पाकिस्तान में अयूब को भी ८० हजार वोटरों ने चुना है। हमारी प्राइमरी डेमोक्रेसीज़

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

राजस्थान में उतनी हैं जितनी सारे पाकिस्तान में हैं। ८० हजार पंच, साढे सात हजार सरपंच, ढाई हजार की आबादी के पीछे एक सरपंच का अनुपात आता है। ग्रामदान गांव के अन्दर एक हजार की आबादी के पीछे एक रिप्रेजेन्टेशन आता है। पवित्र भावना से लोगों ने गांव धरती दान की, उसमें एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया कि वे गांव अपनी इकानॉमी को चलाए। राजस्थान में लगातार दो महीने चुनाव चलते हैं। एक अधिकार दिया ऑर्डिनन्स के जरिए कि ग्रामदान से एक प्रतिनिधि पंचायत समितियों में भेजा जाता है और उसको वोट का अधिकार दिया जाता है। मेरी समझ में आता यदि ग्रामदान के लोग पंचायत समिति में आदरणीय तरीके से जाते और अपने सिद्धांतों को पंचायत समिति में रखते। माननीय सदस्यों की समझ में आ सकता था लेकिन पंचायत समिति की राजनीति के अन्दर उनको लंगोटा पहना कर भीखाभाई ने पहलवान बनाकर कुदा दिया, लंगोटा भी लाल पहनाया, उसके पीछे हनुमान की पूंछ नहीं लगाई।

सादिकअली रिपोर्ट आई उसके अंदर निर्विरोध चुनाव के सबंध में बात रखी गई। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति मेरी है उसमें ५८ सरपंच हैं और सबसे अधिक वोट मेरी पंचायत समिति में हैं और वहां हमने निर्विरोध चुनाव करवाए, वहां पर कोई मुकाबला नहीं हुआ।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ) : कांग्रेस पार्टी का उसे टिकट दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं ज्यादा पट्टी खोलूं और इसकी सारी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमित है इसलिए जल्दी करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो सीमा से बहुत बाहर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ग्रामदान के संबंध में कह रहा हूँ। मैं आपकी तरह गलत नहीं जा रहा हूं, मैं अपने पोइन्ट पर बोल रहा हूं। दो पक्ष हैं इसमें, एक तो दबा कर किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व के भय से निर्विरोध हुआ और दूसरे प्रकार का निर्विरोध सहयोग से, समझ से और विचार से होता है। वह निर्विरोध अच्छा नहीं है, अगर उसमें भय हो। यह प्रजातंत्र है इसमें इलेक्शन्स लड़े जा सकते हैं उसके अन्दर कटुता भी आ सकती है, वह प्रजातंत्र के लिए लाभदायक है लेकिन इस प्रकार निर्विरोधता जो दबाव से करवाई जाय वह गलत है। हमने अपनी पंचायत समिति में सारे पंचों और सरपंचों को बुलाया, मीटिंग्ज कीं, हमने उनको विश्वास दिलाया कि यदि निर्विरोध करेंगे तो पंचायत समिति में कटुता नहीं होगी। एक कमेटी का निर्माण हुआ, एक व्यक्ति का नाम घोषित किया गया। सत्ताधारी दल के लोग थैलों में मुहरें लेकर उस व्यक्ति के पीछे भागने लगे, उनकी मोहरें तब तक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बाहर नहीं आई; लेकिन नाम निकलने के बाद मोहरें निकलनी शुरू हुई। १३ फॉर्म्स भरे गए, १२ ने विथ्ड्रॉ किया, दो व्यक्ति रह गए, एक व्यक्ति का फॉर्म रह गया। कांग्रेस के लोगों ने पांच हजार की रिश्वत देने की बात कही कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो। जांच कर लो। रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर बैठा हुआ था। एक पंचायत हुई, दो व्यक्तियों को पंचायत के समक्ष लिया गया। उसने स्वीकार किया कि निर्विरोधता होने देंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंचा, उससे पूछा कि क्या अपनी मर्जी से वापस लेते हैं, उसने कहा हां। उस समय रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक सत्ताधारी पार्टी का आदमी उठा उसने कहा पर्चा वापस मत लेना, २० हजार लगा देंगे, रिटर्निंग ऑफिसर ने सुना, उसकी गवाही रखी जाय, उसने दबाकर कहा कि मेरे सामने इस प्रकार की करप्ट बात मत कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फिर उस हरिजन ने कहा मैं अपनी इच्छा से वापस लेता हूं। उसके बाद तारें दी गई रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कि बंदूक दिखा कर उन्होंने ऐसा किया।

(श्री गिरधारीलाल व्यास के कुछ कहने पर) क्या चिक चिक करते हो, बैठ जाओ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंतिम चरण में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जिला प्रमुख के इलेक्शन के संबंध में प्रकाश डालेंगे। मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि एक वातावरण हमारी पंचायत समिति में उत्पन्न हुआ प्रेम का, आदर का। आज सत्ताधारी पक्ष के लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम जीत गये। मैं मानता यदि कोई महत्वपूर्ण काम करते। मंत्रीगण बेचैन होते हैं जब कोई चार्ज लगाया जाता है। मैं मानता यदि कोई विकास का काम किया होता। अगर आप पंचायत समितियों में निर्विरोध चुनाव करा कर यहां पर आकर बैठते। मैं मानता यदि राज्य के मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव करवाते। वे अपने क्षेत्र में वह सद्भावना नहीं पैदा कर पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी प्रधान्स की और एम. एल एज़ की। एक व्यक्ति का नाम घोषित किया गया। उसके मुकाबले में केन्डीडेट खड़ा किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जिस रोज प्रमुख बना, यह नारा नहीं लगा कि कांग्रेस जिन्दाबाद, यह नारा नहीं लगा कि कांग्रेस की जीत हुई। नारा लगा "पंचायती फैसला जिन्दाबाद"; नारा लगा 'पंचायती राज जिन्दाबाद'; गंगानगर के तीन हजार लोगों ने बैठ कर यह तय किया, उसके बाद एक व्यक्ति यह कह कर खड़ा हुआ कि मेरे पास धन है, पैसा है, मैं पांच लाख रुपये लगा दूंगा। जनता की पैसे से सीधी टक्कर हुई और जीत हुई जनता की। आज आप पच्चीस-तीस हजार के प्रधान बना कर जीत का गौरव करते हैं। आपकी जीत हुई, किन्तु हार नीति की हुई। पंचायती राज की हार है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री नत्थीसिंहजी के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर) माननीय सदस्य केदारनाथ जी यदि आपत्ति न करें तो ठीक है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : नहीं करेंगे ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है, बहुत ही संक्षेप में कहें ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात से सहमत है कि पंचायती राज व्यवस्था को इस प्रदेश में सबल बनाया जाय इस बात के बावजूद इस बात का खेद होता है कि जब पंचायती राज की व्यवस्था का सवाल आता है तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जल्दी होती है और सोचने का समय ही नहीं होता । जिसको हम संविधान में जरूरी मानते हैं, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के रूप में मानते हैं, सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य यह जानता है और चाहता है कि ग्रामराज को सरकार स्वरूप देने के लिए उसके चुनाव के तौर तरीके क्या हों, उसके लिए इतनी जल्दी में सरकार होती है कि जिसकी कोई हद नहीं । उसका स्वरूप तो हमने ३१ अक्टूबर को देखा था जब संशोधन के बाद संशोधन आ रहे थे, कागज के बाद कागज फिर रहा था और आधी रात हो रही थी और उसके बाद भी सरकार द्वारा इतना जल्दी में कानून पास किया गया, और फिर ऑर्डिनेन्स लाया गया । उससे यह साफ प्रतीत होता है कि हमारी राज्य सरकार का या तो दिमाग साफ नहीं है या उसके इरादे नापाक हैं और जानबूझ कर पंचायती राज को फुटिंग नहीं देना चाहती, मजबूती के चरण नहीं देना चाहती, जिससे वास्तविक रूप में पंचायती राज ग्रामराज के स्वरूप में आ सके ।

माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में कई बार जोर दिया गया । इस सारे कानून में जो इस तरह गलत व्यवस्था हो जाती है उसके पीछे एक कारण है । जो चुनाव का कानून था, फिर भी एक आर्डिनेन्स के जरिये से ग्रामदान प्रतिनिधियों को लाने की कोशिश की गयी । सूक्ष्म तरीके से देखें तो चुनाव के कानून में एक व्यवस्था साफ मालूम होती है । तीन तरह के इलक्ट्रोरल-प्रावधान कानून में हैं । एक वे लोग हैं जो पंचायत समितियां में आते हैं, जो सीधे तौर पर जनता के प्रतिनिधि हैं । दूसरे वे लोग हैं जो एक तरह से पंचायत समिति के उन सदस्यों के द्वारा जो जनता ने सीधे चुन कर भेजे हैं उनके द्वारा सहवृत किये जाते हैं और ये वे लोग हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जैसे महिलायें हैं, अनुसूचित और जनजाति के व्यक्ति हैं । तीसरा इलेक्ट्रोरल कॉलेज उनके लिये भी बनाया है जिन्हें आर्थिक ईकाइयों के रूप में पंचायत समिति में लाना चाहते हैं, जैसे सहकारी समितियों के प्रतिर्निधि हैं । चौथा इलेक्ट्रोरल कालेज हमारे माननीय मंत्रीजी ने इस आर्डिनेन्स के द्वारा बनाया और वह यह है कि ग्रामदान का भी इलेक्ट्रोरल कालेज बनाया जाय, चाहे दो तीन आदमी ही वोटर्स हों फिर भी उनका एक प्रतिनिधि

(श्री नत्थीसिंह)

चुन कर भेज देंगे, उसको भी वे ही अधिकार होंगे जो कि एक डाइरेक्ट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को होते हैं। जो सहकारी समितियों मे चुन कर आया है, भरतपुर में ही कई ऐसे केसेज़ हुए हैं, जहां दो सौ के करीब सरपंच एक सहकारी समिति के सरपंच को अपने में से भेजते उनमें भी वोटिंग के पूरे अधिकार नहीं दिये गये, वहां आपने इस आर्डिनेन्स के द्वारा इस प्रकार के इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था कर दी कि चाहे दो तीन वोटर्स ही हों उस इलेक्टोरल कॉलेज में ये भी अपना एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे और उसको पूरे अधिकार होंगे। या तो आपकी समझ में खराबी है या आपके इरादे साफ नहीं हैं। आप ग्रामदान के लोगों को लायें, मुझे आपत्ति नहीं है। जिस तरह सहकारी समितियों में से पंचायत समितियों सेजा ते हैं उसी तरह से अपनी राय रखने के लिए वे भी लाये जायें लेकिन उनको चुनाव में इस प्रकार खड़े होने के लिए व भाग लेने के सेपरेट इलेक्टोरल बना कर अधिकार दिये जांय इससे साफ जाहिर होता है कि आपके इरादे साफ नहीं हैं। ग्रामदान के जो उनके अनुभव हैं उनसे लाभ उठाना चाहिये। पंचायत समितियों में उनको लाया जा सकता था और उनकी राय ली जा सकती थी और ज्यादा से ज्यादा जो सहकारी समितियों की व्यवस्था रखी है उत्पादन के मामले में राय देने का हक दिया जा सकता था, लेकिन जब आपने पूरी तरह चुनावों में भाग लेने के लिए अधिकार दिये हैं तो यह साफ प्रगट करता है कि यह आपने राजनैतिक शतरंज बिछायी है और किसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उचित है। सर्वथा अनुचित है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यहां बहुत सी बातें कही गई हैं और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि चुनाव के अखाड़े में उतरे तो कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कसर छुड़वा दी गई। भरतपुर के साथी कह रहे थे कि केन्द्रीय मन्त्री के इशारे पर एलविन कोर्पोरेशन की भी बारह बारह गाड़ियां आयीं। हमने कोओपरेटिव बैंक की गाड़ी लेने की व्यवस्था की लेकिन हमारे केन्द्रीय मन्त्री ने पहले ही रिक्वीज़िशन करवालीं। हमने लिखा कोई सुनवाई नहीं। मैंने व रामकिशनजी ने दर्ख्वास्त दी और उसको सुना नहीं। एलविन कोर्पोरेशन की एक भी गाड़ी रिक्विजेशन नहीं हुई। इस तरह से चुनाव कराये जाते हैं। यह निश्चित रूप से कहाजा सकता है कि जो सरकारी अधिकार काम करते हैं वे सरकार के चुनाव मोहरे हैं। हमने कहा तो कहने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो मजबूर हैं। अगर आप जनतन्त्र को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि चुनाव के मैदान में जब लोग आयें तो उनको खतरा नहीं होगा, पक्षपात और अन्याय नहीं होगा और जोर जबरदस्ती नहीं होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं संक्षेप में। ये जो सब खतरे हैं उनका एक

(श्री नत्थीसिंह)

कारण है। हमारे पंचायत मन्त्रीजी बहुत कमजोर हैं। वे बेचारे सोचते हैं, मानते हैं। उसके बावजूद भी उनकी चलने नहीं दी जाती। यह सबसे बड़ा कारण है। जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है उसके पीछे भी एक कारण है कम से कम दिमाग को ठण्डा रख कर सोचिये कि चुनावों के तरीकों में मूलभूत परिवर्तन कब लाते हैं। इतने बड़े इलेक्टोरल कॉलेज मत बनाइये। हमारे यहां कहावत है कि औरतों की चोरी होती थी, अब चुने हुए प्रतिनिधियों की चोरी होने लग गयी है। यह रुक नहीं सकती। आप उस समय हमारे सुझाव मानते तो सीधे चुनाव की व्यवस्था हो जाती पंच सरपंच और प्रधान इन तीनों के डाइरेक्ट चुनाव होने दीजिये। इन सब में आपको डाइरेक्ट पद्धति अपनानी पड़ेगी। अब एक फेट एकम्पली की तरह यह बात हो गई हैं। मैं राय देना चाहता हूं कि आज जो समस्या है पंचायती राज्य की सफलता का, उससे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमने विकेन्द्रीकरण का नारा तो लगाया लेकिन शक्ति का केन्द्रीयकरण पंचायत समिति में कर दिया जहां ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना चाहिये था वहां उनको लंगड़ी बना दिया, जिला परिषद् को लूलीलं-गड़ी और लूली संस्थाओं के बीच में केन्द्रीय-करण के तौर पर सशक्त पंचायत समिति बना दी। पहले मैं कहता था कि पंचायत समिति की ताकत कम करो और पंचायतों को ज्यादा दो। आपने माना नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज्य को सफलता के लिए जरूरी है कि एक ही संस्था रहे, एक ग्राम की पंचायत रहे और दूसरी जिला परिषद् रहे।

एक ग्राम पंचायत, दूसरी जिला परिषद् के बीच पंचायत समिति की जरूरत नहीं। जब तक यह पंचायत समिति संस्था रहेगी कानूनमें जब तक इस बारे में रद्दोबदल नहीं किया जाता, तब तक पंचायत एक मजबूत इकाई नहीं हो सकती। इसकी मजबूती के लिये पंचायत समिति को बीच से हटा देना चाहिये। पंचायतों को पूरे अधिकार हों। पंच सरपंच जिस प्रकार डाइरेक्ट चुनाव से आते हैं इसी प्रकार प्रधान और प्रमुख का चुनाव भी डाइरेक्ट ही साथ ही कर दिया जाय। इसमें न इतना बिगाड़ होगा और न धान्धली। इसका ग्राम पंचायतों पर भी अच्छा असर होगा। आज सब शक्तियां पंचायत समिति में केन्द्रित हो गई हैं, ऐसा करने से विकेन्द्रीकरण होकर सब शक्ति पंचायतों में गांवों तक पहुंच जावेंगी। ग्राम पंचायत और जिला परिषद् के बीच जो यह संस्था है उसको हटा दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही मेरा निवेदन यह है कि आप कानून को जल्दी में पास करने के आदी हो गये हैं, लेकिन कानून को इतनी जल्दी पास मत करिये। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। इसके साथ ही सादिक-अली कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस सब पर विचार करके एक ही बिल लाया जाय और इस अध्यादेश को वापिस लिया जाय, इसको वापिस लेकर आप इस बात का

(श्री नत्थीसिंह)

परिचय दीजिये कि आप राजस्थान में पंचायत राज को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के ऊपर मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें कह दी हैं। मैं तो सिर्फ दो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार भुवनेश्वर अधिवेशन के बाद इस देश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है या नहीं? अगर लाना चाहती है तो जो भी कानून बनते हैं उन कानूनों को बनाने से पहले देखिये कि इसका इम्पेक्ट क्या होने जा रहा है? वह आपके उद्देश्यों के साथ में मेल खावेगा या नहीं? इन चुनावों में डेढ़ दो करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, यह बहुत बड़ा प्रयास है। इतना जन-जागरण के बाद भी कांग्रेस पार्टी और दूसरों को क्या नसीहत नहीं मिली कि जिस उद्देश्य को लेकर आपकी पार्टी चल रही है, उन उद्देश्यों से दूर जा रहे हैं। आज सारी पार्टियों को अपनी अपनी कमेटीज़ और कौन्सिल्स में विचार करने के बाद फैसला करना चाहिये कि इस प्रकार पंचायत के चुनाव में क्या तरीका अपनाया जाय ताकि गड़बड़ी न हो। एक तरफ नारा लगता है को-ऑपरेटिव को राजनीति से दूर रखा जाय, एक तरफ कहा जाता है पंचायतों को राजनीति से दूर रखा जाय। इस मूवमेन्ट को अलग-अलग पोलिसीज़ पर लोग राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस यह कहती है, पंचायत को स्वायत्त शासन की मजबूत इकाई बनाने के लिये राजनीति से दूर रखा जाय। मेरा यह मानना है कि ये सारी बातें केवल धोखा मात्र हैं। सर्वोदय मूवमेन्ट, को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट और पंचायतों के विकास का जहां तक सवाल है सबको एक स्वर से कहना होगा हरेक पार्टी हर लोग शक्ल बदल कर दल बनाकर आते हैं, तो क्यों नहीं यह मान लें कि डेमोक्रेसी में चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण अंग हैं यह हमारी रोजमर्रा जिन्दगी का हिस्सा बन जाय। जिससे न हारने वाले को गम हो और न जीतने वाला आमोद-प्रमोद में डूब जाय। इसलिये चुनाव का सरल तरीका होना चाहिये। एक तरफ आप कहते हैं सर्वोदय समाज दूर रहे दूसरी तरफ एक हजार की आबादी वाले ग्रामदान के नुमायन्दे को लिया जाय, यह मेल नहीं खाता। कोऑप्शन का उसूल, नुमायन्दगी और चुनाव, ये तीनों पंचायत राज में साथ में नहीं चलेंगे। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। हमारे यहां ६ पंचायत समितियों का चुनाव हुआ था एक पंचायत समिति में निर्विरोध चुनाव हुआ। शेष आठ स्थानों में से पांच कांग्रेस ने जीते और तीन अन्य पार्टी ने। इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि जो जीतकर आये हैं वे अपने ही प्रयास से आये हैं। वहां सरकारी मशीनरी की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी के साथ पक्षपात करे या दखल करे। क्योंकि वह मजबूत इलाका है; हम इतने सचेत हैं, जिन्दा हैं कि किसी अफसर की यह हिम्मत नहीं कि वह किसी के साथ पक्षपात कर सके।

इस चुनाव में जैसा कि दृश्य सामने

(श्री केदारनाथ)

आया उससे चाहे कोई भी हो, जिस किसी ने चुनाव देखा है और चुनाव में भाग लिया है उस दृश्य से एक प्रकार की घबराहट पैदा होती है। इस तरह से कार्यकर्त्ताओं को आगे नहीं ला सकते। मैं यह कह सकता हूं, इस चुनाव में जो भी जीतकर आये हैं सिवाय एकाध, रामकिशनजी जैसे व्यक्तियों को छोड़कर, किसी न किसी प्रकार के हथकन्डे अपना कर आये हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने तीन महीने से इस चुनाव के दर्मियान काम किया, सोचता है चाहे इसको कोई पार्टी अपनी जीत माने लेकिन चुनाव का जो तरीका था वह दोषपूर्ण और गलत है। देहातों में जहां ८० फी सदी किसान हैं. भूमिहीन हैं ८० फी सदी आबादी जो गांवों में रहती है उनको नुमाइन्दगी मिले, पंचायतों में उनका कब्जा हो को-ऑपरेटिव में कब्जा हो, पुरानी लीडरशिप को बदल कर नयी पैदा करें, इतनी क्षमता पैदा हो इस डेमोक्रेसी के अन्दर।

अभी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य जो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं उन्होंने कहा कि राजा और राम से कोई नहीं लड़ा करता। लेकिन उनको याद होना चाहिये डेमोक्रसी के लिये इस जनता ने कितने संघर्ष किये, रोमुलु ने अनशन करके आन्ध्र प्रान्त का निर्माण करवाया। केरल में कम्युनिस्ट शासन को प्रेसीडेन्ट के ऑर्डर के बाद कांग्रेस ने उखाड़ फेंका, ऐसी हालत में हमें वे कौनसी फिलॉसोफी पढ़ा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। यह मानी हुई बात है कि कोई भी चीज बिना संघर्ष किये प्राप्त नहीं होती, बिना संघर्ष किये, बिना लड़े समाजवाद में डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती। इसके बिना मैं समझता हूं डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स रहने की हकदार भी हैं या नहीं। सारे लोग पोलिटिक्स में हिस्सा लें, हरेक को वोट देने का हक हो, हरेक को इलेक्शन कन्टेस्ट करने का हक हो, हरेक जगह पर, चाहे ग्रामदान दिया हो या जीवनदान दिया हो, चाहे कोऑपरेटिव में काम करने वाले हों, हरेक को समान हक होने चाहिये। यह जो बैकडोर से किसी को अन्दर डालने की कोशिश करते हैं उससे करप्शन पैदा होता है। चुनाव के जरिये आयेंगे, जिन्दादिली आयगी, मजबूती आयगी, काम करने की उमंग होगी। इसलिये आप ग्रामदानियों को भी सम्मिलित करना चाहते हैं तो चुनाव के जरिये पंचायतों में शामिल कीजिये। हजार, डेढ़ हजार जो पंचायत सर्किल्स हैं उनमें पंचायतों का चुनाव हो। अगर इनमें निर्विरोध चुनाव होकर के वे आते हैं तो यह अन्य पंचायतों और पंचायत समितियों के सामने उदाहरण पेश करेंगे, उसका असर दूसरों पर होगा। अगर आप सर्वोदयी या ग्रामदानी को मनोनीत करने का प्रयास करेंगे तो पंचायतों के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे।

(४.०० म० प०)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, उनका समर्थन करता हूं कि इन चुनावों में चाहे इधर से या उधर से, सब दलों ने कोई न कोई हथकण्डा अपनाया है। मैं इसका

(श्री विजयसिंह झाला)

विरोध नहीं करता। लेकिन इन हथकण्डों को, इन साधनों को जुटाने का जहां तक सम्बन्ध है वे उधर ज्यादा उपलब्ध हो सकते हैं। जो साधन जो हथकण्डे सत्ता में होने के कारण उनको उपलब्ध हैं हमें नहीं हो सकते। और ये नहीं उपलब्ध होने के कारण हम उदयपुर जिले के मोटर मालिकों को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि उदयपुर जिले में तीन साल तक राष्ट्रीयकरण में कोई भी मोटर-मार्ग नहीं लिया जा सकेगा।

हम उस पानरवा काण्ड के सेठ गुलाम अब्बास को ६ महीने के लिये नाजायज़ तरीके से पानरवा के जंगलों से लकड़ी काटने का लाइसेन्स फिर से नहीं दे सकते थे! ये हो सौदे कारण हैं जिनसे चुनावों में यह सरकार जीत कर आई है। उदयपुर जिले में दो प्रकार के सौदे हुए, उपाध्यक्ष महोदय, और इस प्रकार से साधन कैसे प्राप्त होते हैं यह मैं बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि ज्वालाप्रसाद जी इसका भी विरोध करेंगे।

उदयपुर जिले में सड़क यातायात का आज तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, न आगामी पांच सालों तक होगा। इसी कारण इन्हीं सौदों के कारण, और यह मैं सदन में घोषणा करता हूं और इसका एक ही कारण है...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): जब तक बसन्तकुमारजी की गाड़ी है तब तक नहीं होगा।

श्री विजयसिंह झाला: चाहे किसी भी 'कुमार' की हो। पर यह राष्ट्रीयकरण पांच साल तक और नहीं होगा, यह मैं सदन में घोषणा करता हूं। इसका कारण एक ही है कि पंचायतों के चुनावों के दिनों में सौदे होते हैं और इस बारे में भी सौदे हुए हैं कि तीन-चार साल तक इस प्रकार का कोई भी राष्ट्रीयकरण भीलवाड़ा नाथद्वारा उदयपुर रूट पर या कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रूट पर नहीं होगा। वाया फतहनगर होगा, होगा तो। दूसरा रास्ता निकलेगा, निकलेगा तो।

तो मैं पंचायत मन्त्रीजी, जो वन मन्त्री भी हैं, से पूछना चाहता हूं कि पानरवा जंगल का लाइसेन्स जो तीस तारीख को समाप्त होने वाला था, क्या आपने उसकी छः महीने के लिये और अवधि नहीं बढ़ाई? कितना पैसा लिया इस अवधि बढ़ाने के लिये और क्या सौदा किया चुनावों में मदद लेने के लिये यह भी मैं बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समझता हूं इसकी डिटेल में न जावें, यह संकेत ही काफी है।

श्री विजयसिंह झाला: उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ हो सकेगा कि इनके हथकन्डे कैसे कैसे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

श्री विजयसिंह झाला: वे सुनना पसन्द नहीं करेंगे। पानरवा के सेठ को इन्होंने छः महीनों के लिये और खुली छूट दी है कि वह जो लकड़ी कटी हुई है वह ले जा सकता है और इसकी आड़ में और भी जितनी चाहे काट सकता है और वह आज भी लकड़ा इसकी आड़ में काट रहा है। उपाध्यक्ष

(श्री विजयसिंह झाला)

महोदय, अगर आप स्वयं चलें तो मैं आपको भी बता दूं। अब किन हथकण्डों को उन्होंने अपनाया, आपकी आज्ञा नहीं है तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा।

मैं, इसके बाद यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुनाव प्रणाली मौजूद है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जो अध्ययन दल इसके लिएआपने बिठाया और उसने पांच सौ पेज की जो रिपोर्ट दी उसके अन्दर उसने जो सुझाव दिये हैं आप उनको कार्य-रूप में परिणत करने के लिये अध्यादेश लाते तो अच्छा होता। आप अपने घर के काम बनाने के लिये अध्यादेश निकाल सकते हैं और उसको हम, भीखाभाई अध्यादेश भी कहते तो अच्छा होता, पर आप इसकी दूसरी अच्छी रिकमन्डेशन को इन्ट्रोड्यूस करने के लिये अध्यादेश लाने की बात नहीं सोच सकते।

श्री भीखाभाई (पंचायत एवं वन मंत्री): Just I am going to explain it.

श्री विजयसिंह झाला : मैं समझता हूं कि हमारे पंचायत मंत्री सम्भवतः काम तो बहुत करना चाहते हैं, पर ये अधिकारियों के हाथ में खिलौना हैं। इनकी चलती कुछ नहीं। बड़े बड़े कानूनदां होने की डींग मारते हैं पर इनके सब अरमान दबे रह जाते हैं। मुझे इन पर दया भी आती है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कि जो परिवर्तन आप इस अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार अगर लाना चाहते थे तो लाये क्यों नहीं? अध्यादेश के जरिये ला सकते थे।

इस अध्ययन दल ने १४ प्रकार की खामियां बताई हैं जिनका दूर होना बहुत आवश्यक है। इनको पारित करना था अध्यादेश से।

जहां तक पंचायतों के आर्थिक अभाव का प्रश्न है उसके रहते आपका विकेन्द्रीकरण ही असफल रहा है। पर इसके लिये आपने कोई अध्यादेश नहीं निकाला।

आज ये आबादी की भूमि बेच कर पैसा प्राप्त कर सकते हैं, पर इसकी सारी की सारी एप्लीकेशनें तहसीलदार और कलेक्टर के यहां पेन्डिंग में पड़ी हैं। चरागाह के जरिये ये कुछ साधन जुटा सकते थे पर वे हिस्से इनको सुपुर्द नहीं किये गये आज इनको १५ बीघा जमीन दी गई है। इस अध्ययन दल ने २५ बीघा देने को सिफारिश की है। वन लगाने की सुविधा देने की बात कही है जो अधिक दी जावे। पर इनके बारे में भी आपने अध्यादेश नहीं निकाला।

जितनी ज़िम्मेदारी धन की सरपंचों पर है सारी की सारी पंचायत के सचिव को सौंपी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज गुजरात में पटवारी सचिव है, महाराष्ट्र में एक ही व्यक्ति सचिव पटवारी और ग्राम सेवकका काम करता है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था के लिये अध्यादेश आप यहां नहीं निकाल सकते ?

जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध राजस्व शाखा से है, पुलिस विभाग से है, इन विभागों से उसे कोई सहयोग नहीं मिलता। दर्ख्वास्तें लिखकरस्तेंइन विभागों में देते हैं तब भी

(श्री विजयसिंह झाला)

कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बारे में आप क्या प्रबन्ध और सुधार करना चाहते हैं ?

आप सरपंचों को हथकड़ी डलवा सकते हैं। चुनावों के समय हथकड़ी लगाकर बाजारों में घुमा सकते हैं। जन प्रतिनिधियों के साथ में जो बर्ताव आप इस तरह से करते हैं तो अगर मिनिस्टरों को भी इसी तरह से हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया जावे तो उनको पता लग सकता है कि हथकड़ी लगाना क्या होता है ? इसके बारे में आपका ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दलबन्दी का सवाल है मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस नेयह घोषणा की हो भले ही कि राजनैतिक आधार पर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे पर इस तरह से राजनैतिक तौर से दूर नहीं रहा जा सकता चाहते हुए भी। पार्टियों के आधार पर लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। पर प्रश्न यह है चुनाव हो जाने के बाद यह दलबन्दी और इससे पैदा हुई कटुता जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई है वह कैसे मिटे ताकि इस कटुता से जो विकास का कार्य रुका हुआ पड़ा है, वह प्रभावित होता है, वह प्रभावित न हो सके और रुके नहीं। इसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और मैं यह समझता हूं कि यह कटुता जो पैदा होकर फैल गई है उसको जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारे विकास के कार्य देहाती क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और यही कारण है कि ५६-५७ में जो जन सहयोग इन विकास कार्यों के लिये हमें वहां मिला था, वह सन् ६१ के बाद में कम हो गया और इन पंचायत चुनावों के बाद तो और भी इस पर असर पड़ा है। यह आपका अध्ययन दल बताता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समय का निर्धारण पहले कर दिया जाता तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष : समय का विभाजन तो किया ही नहीं। पर मैं आशा रखता हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी आप समाप्त कर देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : इसके बाद मैं उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत समितियों का प्रश्न है और इसके अन्दर जो बजट है उसके बारे में भी मैं माननीय पंचायत मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की व्यवस्था के लिये कि बजट उनको जल्दी मिल जावे, कोई अध्यादेश नहीं ला सकते थे, कोई प्रावधान नहीं करा सकते थे ? आज एक पंचायत समिति ४० हजार की आबादी के पीछे है और एक की आबादी १ लाख २५ हजार भी है। इस प्रकार का जो आबादी में भेद है उसको आपको मिटाना होगा। और पंचायत समिति और तहसील का क्षेत्र एक करना पड़ेगा यह अध्यादेश इसके लिये जारी करना जरूरी था। पर आपने यह नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायत समितियों का बजट समय पर प्राप्त नहीं होता

(श्री विजयसिंह झाला)

और प्रकार की शिकायत एक नहीं, कई हैं। इस अध्ययन दल ने जो कुछ व्यक्तियों से पूछा वे आंकड़े इस प्रकार से हैं कि दल ने ८ प्रमुखों से पूछा कि आपको बजट समय पर मिलता है या नहीं तो उन ८ प्रमुखों में से १ ने कहा कि 'हां, समय पर मिल जाता है, और ७ ने 'ना' कहां। यही प्रश्न ८ जिलाधीशों को पूछा तो ८ जिलाधीशों में से ३ ने 'हां' कहा और ५ ने 'ना' कहा। १६ उप-जिलाधीशों में से ६ ने 'हां' कहा और १३ ने 'ना' कहा, ६० प्रधानों में से १० ने 'हां' कहा और ५० ने 'ना' कहा, ६७ विकास अधिकारियों से पूछा गया तो उनमें से १२ ने 'हां' कहा और ८५ ने 'ना' कहा। इस प्रकार से जो पंचायत समितियों का बजट है वह बिल्कुल साल के आखिर में जाता है और नतीजा यह होता है कि फर्जी हिसाब बनाने पड़ते हैं और रेकॉर्ड में बताना पड़ता है कि सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। इस बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्ययन दल के अनुसार केवल १५ पर्सेन्ट पंचायत समितियों का ठीक तरह से काम है उन्होंने ठीक तरह से काम किया है और ८५ पर-सेन्ट पंचायतें अपने कामों में फेल रही हैं। उनके सही तरीके से काम नहीं करने का कारण बताया है, विकास अधिकारियों का योग्य नहीं होना और दूसरा कारण बताया है कि जो बजट होता है वह पूरे समय पर और पूरा नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां आपके प्रथम चरण में ब्लॉक्स आते हैं उनको आप १२ लाख रुपये देते हैं और दूसरे चरण में ५ लाख रुपया देते हैं और दूसरे चरण में आने के बाद में जो पैसा खर्च होता है वह विकास के ऊपर ३ रु० ५ पै० होता है ५ साल में। इससे हम पंचायत समितियों के बजट इतना कम मिलने पर विकास के काम सफलतापूर्वक नहीं चला सकते और यह सारा का सारा पैसा कर्मचारियों पर खर्च होता है, विकास का काम तो हो ही नहीं पाता। इसलिए इसको विकास सामुदायिक योजना कर्मचारियों की मानी है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सारी बातों के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं हमारे पंचायत मंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वे इस बात को मानेंगे भी कि जो हमारी सीमा के गांव पाकिस्तान से जुड़े हुए गांव हैं और जो लोग इन पंचायतों के चुनाव में आये हैं उनमें से कुछ लोगों का पाकिस्तान से संबंध है। इस बात का मैं पहले भी सदन में जिक्र कर चुका हूं कि गत चुनावों में जो उप-प्रधान थे वे पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आये हैं। वह पाकिस्तान की सीमा पर हैं और उनका संबंध पाकिस्तान से बराबर है और हमारी सरकार की जितनी भी सीक्रेसी है वह उन सरपंचों के जरिये पाकिस्तान जाती है। यह सरपंच इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि यहां किस प्रकार से आंतक फैले इसके लिए भी हमारी सरकार को जागरूक रहने की

(श्री विजयसिंह झाला)

आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो अध्यादेश सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामकिशन से) मैं समझता हूं कि आपको बहुत संक्षेप में कहने की आदत है इसलिए जो कुछ कहना है वह बहुत संक्षेप में कहें।

श्री भीखाभाई : गवर्नमेन्ट रिप्लाई कब शुरू होगा ? At what time the Government reply will commence ?

श्री उपाध्यक्ष : We shall make it as early as possible.

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस पंचायत समिति और जिला परिषद् संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा है मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषणों उपरान्त भी इस पर विचार हुआ होगा। मैं सदन में कई दिनों से उपस्थित नहीं था और मैं नहीं चाहता कि जो चुनावों में अनियमिततायें हुई हैं और जो गलत तरीका सरकारी पक्ष ने अपनाया है उनका जिक्र किया जाये क्योंकि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा था मैं चाहता हूं कि उसको आप गम्भीरता से लें। उन्होंने जो भी बातें और विचार सदन के सम्मुख रखे वे शत-प्रतिशत सत्य हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब वे कहते हैं तो सदन के मन्त्रीगण समझते हैं कि सब बातें,उलूल-जलूल हैं और उनमें गम्भीरता नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारी भावनाओं को इस प्रकार से नहीं लिया जाये और जो कुछ हम कहते हैं उसको बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिये और उन पर विचार करना चाहिए। हां, यह हो सकता है कि हमारे कहने में फर्क हो सकता है, हो सकता है हमारे कहने के ढंग से आप सहमत न हों या हमारी बातों को समझ न पाते हों लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह परम सत्य है। ठीक है आप चुनावों में जीत गये और हम हार गये।

हम तो एक खिलाड़ी की स्पिरिट से चलना चाहते हैं। हर खेल में एक दल जीतता है और दूसरा हारता है। इस बार आप जीत गये और हम हारे। इसमें हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव जीत कर खुश हैं, पर आपको तसल्ली है कि जिस तरह से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के यही तरीके हैं तो ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इसका नहीं है कि कांग्रेस के लोग चुनाव जीत गये और हम हार गये। कांग्रेस का आदमी जीते हमें खुशी होती है लेकिन आपने देखा कि एक एक चुनाव में २०-२० और ३०-३० हजार रुपये खर्च होते हैं। आपने इस प्रकार की चुनाव पद्धति कायम कर दी है कि लोगों का काफी धन का अपव्यय हुआ है। धीरे धीरे यह लोकतन्त्र गरीबों का न रहकर टाटा, बिड़ला और डालमिया का हो जायेगा। उस दिन भीखाभाई और परस-

(श्री रामकिशन)

राम भी रोयेंगे और सेढूराम भी रोयेंगे और सांवलियाराम भी रोयेंगे।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मेरा यह है कि यह अध्यादेश लाने से पहले इसमें एक संशोधन करना चाहिए था और जब बिल सिलेक्ट कमेटी को गया उस समय भी एतराज किया था और मेरे दल के लोगों ने तीन-चार बातें रखी थीं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग इस बात को मानेंगे कि जो भी चुनाव हों सीधे और प्रत्यक्ष होने चाहिए, कुछ सीटें रिज़र्व होनी चाहिए। आपने इन चुनावों में देखा कि कोई भी महिला या हरिजन जिला प्रमुख नहीं बन सकी। केवल २३२ पंचायत समितियों में से २ महिलायें प्रधान बन सकी हैं और ६-४ हरिजन प्रधान बन सके हैं। अगर चुनाव की यही प्रणाली रही तो जो बड़े लोग हैं, जो सम्पन्न लोग हैं वही राजकाज के मालिक बनते चले जायेंगे। तो मेरा सबसे पहला निवेदन सरकार से यही है कि जो कुछ हम कहते हैं उस पर गम्भीरता से विचार करें। आप लोग जीत गये और हम हार गए, इसलिए आप खुश हैं। मैं निवेदन कर दूं कि दुनिया में हिन्दुस्तान और जो दूसरे पिछड़े देश हैं जहां सीमित मतदान होते हैं वहां इसी प्रकार से भी चुनाव का नतीजा देखने में आता है कि सहरार को सुकार्णो ने हरा दिया और नेविन जैसे ने यू नू को हरा दिया है। जनरल अयूब जैसे ने मिस फातिमा जिन्ना को हरा दिया है। आप सभी जानते हैं कि मिस्टर जिन्ना ने अपने देश के लिए क्या किया। आपकी चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण है इसलिए आप जीत गए। अगर ये चुनाव सीधे और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होते तो उसमें अभाव की बात नहीं होती, महंगाई और अकाल की बात नहीं होती और नीति की बात होती। आप उस समय जीतते तो हम आपको सही माने में बधाई देते। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि हम हार कर खुश नहीं हैं और आप जीतकर भी खुश नहीं हो रहे हैं। कारण इसका यह है कि दोनों तरफ से दीवालिये हो गये हैं। सब का चरित्र और पैसे की दृष्टि से पतन हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ये चुनाव क्या हैं ?

आपने सुना भरतपुर में कैसे चुनाव हुए। भरतपुर से मथुरा नजदीक है। पंच जो भी जीतते थे वे सारे के सारे मथुरा में रखे जाते हैं। हम पंचों से मिलने मथुरा जाते तो उनको किश्तियों में बैठाकर जमुना में उतार देते। हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। फिर सुखाड़िया साहब कहते हैं कि हम चुनाव जीत गए। अगर कोई भी आदमी जो थोड़ा भी संयमशील होगा उसके मन में विचार जरूर आयेंगे कि यह क्या जीतने की शुरुआत है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की हार की यह शुरुआत है। आपने गांधीजी की परम्परा नहीं रखी, आपने नेहरूजी की परम्परा नहीं रखी। इनका तो एक ही लक्ष्य था कि चुनाव जीतना चाहिए, चाहे उसमें कलेक्टर से मदद लें या विकास विकास अधिकारी से मदद लें। जो कुछ चुनावों में हुआ, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

(श्री रामकिशन)

हमारे यहां की पंचायत समितियों के चुनावों में सरकारी जीपें घूमीं। गांव वालों ने उसे तोड़ दिया, उसके लिए कलेक्टर को बताया गया कि देखिये जनता ने चुनावों में लगी सरकार की जीपों का क्या हाल कर दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। आप जीत सकते हैं इस तरीके से लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जब सरकार जनता की आवाज को सुनना बन्द कर देती है तो क्रान्ति के लिए भूमिका की शुरूआत होती है। सरकार अपने ऊटपटांग तरीकों से, पैसों के बल पर या दूसरे तरीकों से चुनाव जीत गई तो वह जीत नहीं हो सकती, हार की शुरुआत है और मैं पंचायत मंत्रीजी से कहूंगा कि वे जिस वर्ग से आए हैं उनकी स्थिति देखें। मंत्रीजी कह रहे थे कि हम जीत गए लेकिन मैं कह दूं कि आपकी जो पहले स्थिति थी वही है, बल्कि उससे नीचे ही गिरी है। पहले २६ में से विरोधी पार्टी के पास दो सीटें थी और अब ४ हो गई। परन्तु आप जीत गए हम स्वीकार करते हैं लेकिन आप इस प्रणाली पर जो कि दोषपूर्ण है उस पर दुबारा विचार करो जनतत्र के निर्माण के लिए।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो इससे विरोध है। भूदान वाले गांवों के लिये विशेष व्यवस्था की गई है इसका मेरा पूरी तरह से विरोध है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के लोगों की ग्रामदान, भारत सेवक समाज, गांधी सेवा सदन, गांधीट्रस्ट की तरह के संगठनों से सार्वजनिक भीखमंगों की जिन्दगी बनाई जा रही है। यह इस देश के लिए नितान्त हीन प्रणाली है। ऐसे आन्दोलनों की जो समाजवादी सरकार होगी वह मान्यता नहीं दे सकती। वह तो सड़ी-गली कन्जर्वेटिव और कैपिटलिस्ट सरकार यूरोप में अच्छी कन्जर्वेटिव और कैपिटलिस्ट सरकारें हैं वे ऐसे आन्दोलनों पर विचार नहीं करती हैं, इसको मान्यता दे सकती हैं। मैं बतादूं जो ग्राम दान में मिले हैं वे विनोबाजी और जयप्रकाशजी के भाषणों से नहीं मिले हैं। सच तो यह है कि जनता में जमीन के बंटवारे का आन्दोलन तीव्रतर होता जा रहा था तो विनोबाजी सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करने आए हैं। उन्होंने गांव गांव में जाकर जनता के उत्साह को समाप्त कर दिया। आज हमारी वर्तमान सरकार इस तरह के आन्दोलनों को मान्यता दे देती है और उनके लिए विशेष व्यवस्था करती है, तो मेरा तो पक्का विश्वास हो गया है कि मौजूदा सरकार समाजवादी सरकार नहीं है, मौजूदा सरकार एक निकम्मी सरकार है, वह ऐसी सरकार है जो ऐसे आन्दोलनों के लिए एक विशेष व्यवस्था करती है जो कि लोकतंत्र के मूल पर कुठाराघात करता है।

बहुत से नारे दिए जाते हैं कि ग्राम पंचायतों को राजनीति से अलग रखो, भूदान को राजनीति से अलग रखो। उपाध्यक्ष महोदय, आप यूरोप में घूम कर आए हैं, आपने देखा होगा कि राजनीति से दुनिया की कोई चीज अलग नहीं हो सकती है। जब तक राज्य है तब तक राजनीति रहेगी। जब तक मनूष्य है तब तक राज्य रहेगा। आज यूरोप में दूसरा ही ट्रेन्ड है राजनीति के लिए। आप घूमकर आए हैं पूर्वी यूरोप में। पूर्वी

Page No 109

(श्री रामकिशन)

यूरोप की महिलाओं से आप बात करेंगे कि आप कैसे आदमी को पसन्द करती हैं तो वे कहती हैं कि कन्ज़र्वेटिव थिंकिंग का आदमी होगा उसको पसन्द करेंगी। वहां जीवन के हर पहलू में राजनीति है। हिन्दुस्तान के लोगों से कहा जाता है कि इसमें राजनीति नहीं आए, नहीं तो गांवों में विवाद होगा। उनको सोचने दें कि समाजवाद क्या है, कांग्रेसवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, कम्यूनिस्टवाद क्या है, जनसंघवाद क्या है? उनको ट्रेनिंग लेने दें। आज उनकी ट्रेनिंग होगी तो देश के निर्माण के लिए बहुत स्वस्थ व्यवस्था होगी। तो मेरा निवेदन है कि ग्रामदान वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। पिछले सत्र में बिल का अंग बनाने के लिए उसको पारित किया जाय और वह इसलिए किया जाय कि एक विशेष वर्ग सार्वजनिक भिखमंगों को पैदा किया जा रहा है। एक तरफ तो हम भिखमंगी को मिटाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी भिखमंगी को रिकॉग्नाइज़ करते जाते हैं। इसका अन्त किया जाना चाहिए। यह अध्यादेश इस सार्वजनिक भिखमंगी का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं है इस बात पर विचार करने के लिए कि इस चुनाव प्रणाली को कैसे दुरुस्त किया जाय। हमारी सरकार के पास अच्छे इसके लिए सुयोग्य अधिकारी हैं वे अपनी सूझबूझ से इसको करेंगे। जीत गए कांग्रेस वाले तो मैं उनको धर्मराज की श्रेणी में नहीं रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने महाभारत पढ़ी है, क्योंकि उसके मैंने आपसे दो–चार श्लोक सुने हैं। उसमें जब पांडव लोग जीत गए उनको प्रतिक्रिया क्या थी ? वे हमारे सुखाड़ियाजी की तरह से छाती चौड़ी करके नहीं चले थे, लेकिन अपने दो कुत्ते लेकर हिमालय में चले गये थे, क्योंकि वेदना थी इतनी उनके मन में। विजेता के लिए आनन्द क्या रहा ? आपने हमको नेस्तनाबूद कर दिया। मैं मानता हूं कि आप धर्मराज नहीं हैं। अगर धर्मराज होते तो हिमालय में चले गए होते। हिटलर ने जब लेनिनग्राड पर हमला किया तो नाटिन था वहां का जनरल। वह लेलिनग्राड चला गया तो मैं आपको नाटिन के समक्ष नहीं रखता हूं, तो वह लेनिनग्राड चला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भीखाभाई आज उनके पंचायत प्रशासन में और उनके विभाग के अंतर्गत जो अनियमिततायें हुई हैं, जो गलत काम हुए हैं जिनसे कांग्रेस जीती है, अगर वे धर्मराज की परम्परा के आदमी हैं, नाटिन की परम्परा के आदमी हैं, या यूरोपियन जनरल्स की परम्परा के आदमी हैं तो आज त्यागपत्र देकर सुखाड़ियाजी से कह दीजिए कि ये ये अनियमिततायें हुई हैं; यह पाप है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो आपका नाम उज्ज्वल होगा। वे हंसते रहे कि वे जीत गए लेकिन मैं कहता हूं कि यह उनके पतन की शुरुआत है, लेकिन मुझे भीखाभाई के साथ सहानुभूति है क्योंकि वे गरीब वर्ग के भील आदिवासी लोगों में से आए हुए हैं और आप लोगों के साथ मेरा हमेशा मोहब्बत और प्यार रहा है.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : कल ही कह रहे थे कि एस. एस. पी. का फॉर्म भर रहे हैं ।

श्री रामकिशन : जो अनाचारपूर्ण कार्य किए गये हैं उनके विरोध में श्री भीखाभाई त्यागपत्र दें और उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पंचों और सरपंचों की चोरियां हुई हैं । दुनिया में कभी ऐसी बात सुनी है ? राजस्थान में और हिन्दुस्तान में औरतों की चोरियां जरूर होती थीं । मेरी ग्राम पंचायत के पास में एक पंचायत थी उसमें एक पति ने रिपोर्ट की जिसकी कि पत्नि पंच थी, कि उसकी औरत को ले गए । उसके घर एक आदमी गया और उससे कहा कि उसका पति फलां जगह बुला रहा है और वहां से उसको ले गए वोट दिलाने के लिए, मैं उसके आचरण के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । ४-५ दिन के बाद पता चला कि उसको बन्द रखा गया और वोट दिलाकर उसको छुट्टी दी । मैं समझता हूं कि भीखाभाई के लिए लज्जा की चीज है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विशेष रूप से हनुमान-भक्त भीखाभाई के लिए बड़ी लज्जा की चीज है ।

श्री रामकिशन : अगर कानून का राज होता तो पूरी की पूरी सरकार का इस बात के लिए चालान कर दिया जाता कि उन्होंने पचासों, सैंकड़ों पंचों और महिलाओं को भगाया है । यह एक तरह से अनलॉफुली है जिसे रोकना है । वह एक गम्भीर अपराध है और उन पर मुकदमा चलना चाहिए । यह जीत की बात नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि उनके लिए सेन्ट्रल जेल के कमरे खाली कर देने चाहिए, नहीं तो वे इस देश को अनाचार और अत्याचार के गर्त में मिला देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री भीखाभाई के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर) जय बजरंग बली की ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । मैं इस सदन की मन्शा जानना चाहूंगा कि इसमें और भी कुछ संशोधन हैं, लेकिन हैं करीब-करीब एक ही प्रकार के और वे लगभग बातें आ चुकी हैं । यदि सदन की इजाजत हो तो मंत्री महोदय को जवाब देने की आज्ञा दी जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि १५-२० मिनिट के लिए आखिर में हाउस प्रोलोंग करने की जरूरत पड़े तो विशेष बात नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से मैं यह समझ पाया और सदन की मन्शा के अनुसार मैं पौने पांच बजे तक का समय वाद-विवाद के लिए रखूंगा और उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे ।

श्री भीखाभाई : क्लॉज बाई क्लॉज का होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : This is no amendment. ४-४५ बजे के बाद ५-३० बजे तक माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दें और उसके बाद सारा प्रश्न रख दिया जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनकी प्रवंचना तो आधे घण्टे में हो सकती है। वह काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी पौन घण्टे में सारा भाषण समाप्त कर देंगे। तो अब वाद-विवाद केवल ४-४५ बजे तक चलेगा। उसके बाद सारे प्रश्न रख दिए जायेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव ऐसा रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, क्योंकि टुकड़े टुकड़े बिल पास करना ठीक नहीं है। अच्छा तो यह होता कि सारी पंचायत की रिपोर्ट सादिक अली की पास की जाती। पंचायतों के चुनाव आये तो पहले राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश जारी किया और उसके अन्तर्गत चुनाव करा दिए और उसके अन्तर्गत ग्रामदान वालों को वोट देने का अधिकार दिया और इस प्रकार का यह बिल पास किया जा रहा है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि सरकार करना क्या चाहती है और करती क्या है? उसकी कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। जब से पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जब से सरकार ने पंचायती राज्य घोषित किया है तब से ग्रामों में फूट बढ़ी है और एकता कम हुई है और ग्रामवासी दुखी हैं। ये समझते होंगे कि सुखी होंगे। नगरवासी यह सोचते थे कि राम-राज्य आयेगा तो गांधीराज भी चला गया, समाजवाद और कामराज भी चला गया और पंचायतों के चुनावों को देखने से पता चलता है कि यमराज आयेगा। उसको यदि यमराज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब से पंचायतों के चुनाव हुए हैं तब से साफ जाहिर है कि राजाओं के राज्य नष्ट हुए थे और जनता ने सोचा था कि जनता का राज्य आयेगा मगर ये भुक्कड़ कांग्रेसी गद्दी पर बैठे हैं जो कि कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं इसलिए चुनाव मुकर्रर किए हैं। आज जब चुनावों में पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो एक एक पंचायत में एक-एक लाख से कम खर्चा नहीं हुआ होगा। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार गरीब किसान का बच्चा या गरीब जनता का बच्चा चुनाव जीत कर राज्य सरकार में आ सकता है या सरपंच बन सकता है या बड़ा मिनिस्टर बन सकता है। मैं समझता हूं ये सारी की सारी बातें पंचायत चुनाव को देखते हुए, सामान्य आदमी या गरीब किसान या ऐसा ही व्यक्ति मिनिस्टर मुश्किल से ही बन सकता है। जितने मिनिस्टर हैं वे अपनी कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को कायम रखना चाहते हैं। इसी आधार पर इन्होंने यह सारा चुनाव मंहगा कर रखा है। यही नहीं, बल्कि पुलिस के अत्याचार और सरकारी अधिकारियों के अत्याचार और बढ़ अधिक गये हैं।

गोगुन्दा पंचायत समिति के रावुन्डा गांव में पंच हैं, जब वोट का समय आया तो किस प्रकार उगमसिंह, नाहरसिंह और दूसरे लोग थे उनको किस प्रकार तंग किया गया। अंबा व नंदा जो कांग्रेस के पंच थे वे सरकारी ऑफिसरों को लाये और उनके

(श्री जोधसिंह चौहान)

खेत में १०–२० फुट का गड्ढा खोदा गया और मिट्टी के कई सेम्पल लिये गये और उनसे कहा गया कि यहां से नहर निकलेगी; खड्डे जांच के लिए खोदे हैं। जाते समय उन पंचों ने उनसे कहा, 'याद रखना पंचायत चुनाव में हमारा सरपंच जो जिला प्रमुख रोशनलाल जी का खास आदमी है उसको अगर तुमने वोट नहीं दिया तो यह जो खेत का सेम्पल लिया है यह चला जायगा, तुम इस खेत से महरूम रह जावोगे।'

यही नहीं गोगुन्डा पंचायत के चुनाव होने जा रहे थे, वहां जो रावला है उसके जनानखाने में........

श्री उपाध्यक्ष : ये बातें कही जा चुकी हैं। आप चुनाव-पद्धति के दोष पर कहें।

श्री जोधसिंह चौहान : सारे दोष ही बता रहा हूं। किस तरह से इन लोगों ने जनता को परेशान किया है। जब तक इनकी नीयत साफ नहीं हो.......

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन आवश्यक हैं उन पर प्रकाश डालें।

श्री जोधसिंह चौहान : उनके बारेमें ही बोल रहा हूं। एक जगह जहां चुनाव होना था वहां पर जिला प्रमुख रात भर रहा, चुनाव एरिया में रहा, सरकारी अधिकारियों ने उसको बाहर नहीं हटाया। गोगुन्दा के रावले में जिला प्रमुख ने बैठ कर सारा प्रचार किया। यही नहीं हमारे मंत्री डींग हांकते हैं कि उन लोगों ने चुनाव–प्रचार नहीं किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि निरंजननाथ जी आचार्य ने इस बात का प्रचार किया कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुमको तकलीफ उठानी पड़ेगी। मुख्य मंत्री जी भी एक स्थान पर गए, रात को उन्होंने प्रचार किया, सरपंच और पंचों को बुलाया उनको धमकाया कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। जागीरदारों को उन्होंने कहा कि याद रखो अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो जो नेहरू एवार्ड मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। और भी कई तरह की धमकियां दी गई।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ख्याल रखें।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सारी प्रणाली में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। यदि इस प्रणाली को इस प्रकार रखा गया तो आने वाली जनता बड़े बड़े आसनों पर नहीं आ सकेगी। मैं एक उदाहरण आपके सामने और देना चाहता हूं कि भीखाभाई जो गरीब आदिवासियों के बल पर आये है वे उन्हीं आदिवासियों पर सहकारिता थोपना चाहते हैं। उन्होंने २००० आदिवासियों को लकड़ी लाने से रोक दिया है........

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर न करें।

श्री जोधसिंह चौहान : वे कहते हैं कि तुमको लकड़ी नहीं लाने देंगे। वहां पर चार चार सौ व्यक्तियों ने आन्दोलन किया, जेल में गये, एम०एल०ए० भी जेल गया पर उन्होंने उन लोगों को लकड़ी नहीं लाने दी और इसके बजाय कांगेस के जो गुर्गे हैं उनको

(श्री जोधसिंह चौहान)

सहकारी समिति बना दी पर आज तक उनको जंगल का ठेका नहीं दिया फिर भी वे लोग लकड़ी ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह विषयान्तर है। केवल विधेयक पर बात करें। इस समय कोऑपरेटिव और लकड़ी का सवाल नहीं है। ये बातें कहने का अवसर आपको बजट पर होने वाले वाद-विवाद के समय मिलेगा। कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनका भी ख्याल रखें और जल्दी हीं समाप्त करें।

श्री जोधसिंह चौहान: यह सरकार गरीब जनता को जलील करना चाहती है। यह सरकार पुलिस के द्वारा, अफसरों के द्वारा और मिनिस्टरों के द्वारा गरीब लोगों को आतंकित करना चाहते हैं और कहती है कि कांग्रेस का राज्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। यही नहीं उन्होंने चुनावों में ग्राम पंचायतों में जाकर सरपंचों को कहा कि यदि आप निर्विरोध पंचों-सरपंचों को लायेंगे तो सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं एक गांव में गया और वहां पर दूसरा सरपंच खड़ा करने का प्रयास किया। वहां के लोग कहते हैं कि आप हमारे यहां आकर फूट डालना चाहते हैं। वहां पर दूसरा सरपंच खड़ा होने लगा तो उससे कहा कि तुम १०००) धर दो, हार गये तो हजार रुपये गांव को चले जायेंगे। वह एक हजार रुपये कहां से लाता। न नव मण तेल हो और न राधा नाचे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पंचायत-राज्य फेल होगा, जनता दुहाई देती है। हमारे यहां क्रान्ति होगी उसके अन्तर्गत भगवान जाने ये लोग कहां बैठेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रावण राज्य और पंचायत राज्य हर्गिज नहीं चलने वाला है इसको बदलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं समझता हूं, कांग्रेस की तरफ से माननीय मन्त्री भीखाभाई, उत्तर देंगे ही इसलिये मैं सीधा यदि माननीय श्री मानिकचन्दजी सुराणा के नाम पर जाऊं तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : कांग्रेस के एक भी आदमी को बोलने का मौका नहीं मिला हैं, इसलिये उधर भी मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने १० मिनट का समय है, इसलिये जो बिल माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है उसके सिद्धान्तों पर चर्चा करना चाहूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस बिल के जरिये जो ग्रामदान के गावों को कुछ विशेष अधिकार देने का प्रयास किया है वह प्रयास सादिकअली कमेटी की सारी रिपोर्ट के विरुद्ध है। इस नये संशोधन के लागू होने से पहले माननीय पंचायत मन्त्रीजी को ध्यान होगा कि प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद् में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स या प्रशास-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

निक योग्यता के नाम पर दो दो व्यक्तियों का चुनाव होता था और उनके अनुभव के आधार पर जिनका चुनाव होता था उनको समाप्त किया गया, क्योंकि यह समझा गया कि प्रशासनिक अनुभव के नाम पर सिर्फ एक राजनीतिक दलबन्दी पंचायत समितियों और जिला परिषद में प्रवेश करती है। कोऑप्शन का जो प्रावधान बनाये रखा गया महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिये वह बराबर कायम रखा गया। लेकिन आप अब राजनीतिक दलबन्दी को नये प्रकार से, भद्दे तरीके से पंचायत एक्ट में इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज ग्रामदानी गांवों में पंचायतें भी हैं उनके सरपंच होंगे वे पंचायत समिति के सदस्य होंगे यह प्रावधान है। दूसरी तरफ यह कहना चाहते हैं कि जो ग्रामदान का प्रेसिडेन्ट है वह भी पंचायत समिति का सदस्य होगा और १००० जन संख्या पर १ सदस्य आयेगा। यदि ५००० की जनसंख्या ग्रामों की है तो उनमें से ५ आदमियों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं पंचायत समिति के अन्दर, तो मैं इस प्रिन्सिपल का विरोध करना चाहता हूं। यदि ५ गांवों की जन संख्या ५००० है, जो ग्रामदानी विलेजेज़ हैं तो उनके ५ आदमी पहुंचते हैं और उन पांचों आदमियों को बराबर अधिकार मिलता है तो यह डुप्लीकेसी है। उसको आपने अधिकार दिया सामान्य नागरिक के नाते और दूसरा आप विशेष अधिकार देना चाहते है ग्रामदानी के नाते।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उनको वह अधिकार देना चाहते हैं ग्रामदान विलेजेज़ को तो आप कमेटी के चेअरमैन को सरपंच बना दें और कह दें कि उस गांव में पंचायत नहीं होगी और ग्रामदान की विलेज कमेटी है उसका जो प्रेसीडेंट है वह सरपंच डीम्ड होगा, कानून की निगाह से उसे सरपंच मानेंगे और वह पंचायत समिति का सदस्य माना जायगा। यह प्रावधान आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का प्रावधान न करके डुप्लीकेट अधिकार दिया है, वह अधिकार जनतन्त्र के मूल सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मैं इन सिद्धान्तों का विरोध करना चाहता हूं।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने एक ऑर्डिनेन्स के जरिये यह ग्रामदान के विलेजेज़ को अधिकार दिया इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या एमर्जेन्सी आ गई थी जिसके कारण आपको ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा? ऑर्डिनेन्स, यह सरकार मान चुकी है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विशेष परिस्थितियों में लाया जायगा। जब कि यह विधान सभा उस दिन साढ़े ग्यारह, बारह बजे तक बैठी थी और पंचायत समिति के संशोधनों को पास किया था। यदि उस समय सरकार के दिमाग में यह ग्रामदान विलेजेज़ को अधिकार देने के लिए कोई बात थी तो वह बात उस दिन लाई जा सकती थी। और मैं समझता हूं कि उस दिन यह बात लाई जाती तो कांग्रेस के सदस्य भी इस बात को स्वीकार नहीं करते और ये जो क्लॉज़ेज नये इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं-ये अस्वीकार कर दिये जाते। आज प्रश्न इस बात का है कि सरकार ने ऑर्डिनेन्स पास कर दिया, उस ऑर्डिनेन्स को लागू कर दिया और बिल के

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जरिये उसे यहां लाया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के लोगों के दिमाग में है कि यदि यह बिल पास नहीं हो और वापिस सरकार को इसे लेना पड़े तो कॉम्प्लीकेसी पैदा हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कॉम्प्लीकेसी पैदा नहीं होगी। क्योंकि जो हो चुका है वह तो हो चुका है और उस पर सदन की मोहर आप लगवा लीजिये। लेकिन जो गलत सिद्धान्त हैं उनको इस पंचायत समिति के मूल एक्ट में शामिल मत कीजिये क्योंकि एक आदमी को आप दो वोट देने का अधिकार देते हैं, वह गलत है।

सर्वोदय के सिद्धान्त के आधार पर ग्रामदान होता है और सर्वोदय के लोग और विनोबाजी यह कहते हैं कि हमें इस चुनाव प्रणाली में भरोसा नहीं है, हम इस चुनाव प्रणाली में भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन भीखाभाईजी आप उनको करप्ट करना चाहते हैं वह कोई आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि उनके सिद्धान्तों की पवित्रता को आप खत्म करना चाहते हैं और सर्वोदय का जो सिद्धान्त बिनोबा जी ने प्रतिपादित किया है उसको कांग्रेस की सरकार और बिनोबा और गांधी की प्रेमी सरकार चलने नहीं देना चाहती है और उनको जबरदस्ती राजनीती में घुसाना चाहते हैं। आप और हम वोटिंग प्रणाली को ठीक मानते हैं लेकिन सर्वोदयी नहीं मानते हैं। उनको डुप्लीकेट राइट देकर क्यों घुसाना चाहते हैं पंचायत राज की राजनीति में? उनकी जो गांव की पंचायत है उसके सरपंच बन कर वे आ सकते हैं। इसलिए इसमें यह जो प्रावधान है इसका मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

माननीय पंचायत मंत्री, भीखाभाई के सामने चूंकि बहुत देर तक इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं है और उचित नहीं है, इसलिए इस पंचायत राज्य के जो सात चमत्कार मेरी नजर में आये हैं, सेवन वन्डर्स ऑफ पंचायत राज-उनको मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डिनेन्स तो बनाया लेकिन ऑर्डिनेन्स के अन्दर इस तरह का प्रावधान या उल्लेख नहीं किया कि रिटर्निंग ऑफिसर की गड़बड़ी हो जाय, वह भ्रष्टाचार करे, वह नियमों की अवहेलना करे और साफ तौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध निर्णय दे दे तो राज्य सरकार उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है, किस तरह उसे दंडित कर सकती है।

पहला चमत्कार बीकानेर जिला परिषद् का है। और वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि १७ फरवरी को वहां पर केन्डीडेट्स के विथड्रॉअल की तारीख मुकर्रर की गई, १६ फरवरी जांच की तारीख मुकर्रर की गई और १७ फरवरी नोमीनेशन पत्र वापिस लिये जाने की तारीख मुकर्रर की गई। १६ तारीख को स्क्रुटिनी हो गई, उसके बाद ६ आदमियों के पत्र जिला परिषद् में आये। क्लेक्टर, बीकानेर वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे। उसने लिस्ट शाया कर दी कि नौ के नौ पत्र स्वीकार

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कर लिये हैं। १६ को स्क्रुटिनी कर दी और १७ फरवरी को विथड्रॉअल के वास्ते नौ में से छ: आदमियों ने पत्र विथड्रॉ कर लिये और कहा कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब तीन नाम रह गये। तीन बजे दो रह गये। सवा तीन बजे कलेक्टर, जो रिटर्निंग अधिकारी थे, उन्होंने एक केन्डीडेट के ऊपर एतराज ले लिया और एतराज लेकर उस पत्र पर, जब कि २१ तारीख को चुनाव होने को थे, १७ तारीख को १८ तारीख रखी गई कि कल सुनवाई करेंगे। १८ तारीख को बहस सुनी और फिर १६ तारीख रखी गई कि कल मैं सुनवाई करूंगा। १६ तारीख को चार घंटे तक बहस हुई और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि २० तारीख को फैसला करूंगा। किस बात का फैसला? आया कि जिस उम्मीदवार पर एतराज हुआ है वह चुनाव लड़ने के काबिल है या नहीं। चुनाव २१ तारीख को है और २० को यह फैसला होगा कि यह केन्डीडेट चुनाव लड़ सकता है या नहीं नतीजा यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, सारे वोटर ढो ढो कर लाये जा रहे थे बीकानेर और कलेक्टर, गोरधनसिंह चौधरी, को जब यह मालूम हुआ कि कांग्रेस का उम्मीदवार हारेगा, उसके ६० वोट हैं, तो उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के उम्मीदवार थे स्वतन्त्र पार्टी के, उनका पत्र खारिज कर दिया

श्री भीखाभाई : काफी टाइम हो गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २० तारीख को पत्र खारिज कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सामने रूलिंग पास की गई कि स्क्रुटिनी के बाद आप फैक्ट्री ऑफिसर हो गये, आपको अधिकार नहीं है कि आप जांच कर सकें। लेकिन कलेक्टर ने उस पर फैसला कर दिया। इसे मैं चमत्कार मानता हूं भीखाभाई के पंचायत राज्य का।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत संक्षेप में अर्ज कर रहा हूं। आपके लिए आवश्यक बातें कह रहा हूं। आप सुनिये और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिये।

श्री भीखाभाई : इससे मेरे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरा चमत्कार हुआ गांव गुड़नाथ के अन्दर। आप नोट करिये, भीखा भाई इसके अन्दर जो पर्चियां गई पंचायत के चुनाव की उनके अन्दर आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, वह जब कि सुबह आठ बजे वोट पड़ने को थे, वे लिखते हैं कि यह जो उम्मीदवार राजपूत है उसका नाम लिख कर उन्होंने दिया, यह सौ रुपये घूंस देने के लिए आया इसलिए इस उम्मीदवार का पर्चा खारिज करता हूं। भीखाभाई जी, यह आपके रिटर्निंग अधिकारी का दूसरा चमत्कार है। उसके हथकड़ी लग गई चूंकि उसके लिए रिटर्निंग ऑफीसर ने लिख दिया था कि यह मुझे सौ रुपये घूंस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

देना चाहता है, इसलिए इसका पत्र खारिज कर दिया।

तीसरा चमत्कार यह है कि गंगापुर पंचायत समिति सहारा के अन्दर प्रधान कौन बना ? जो म्यूनिसिपैलिटी गंगापुर का मेम्बर है वह प्रधान बन गया। एक तरफ तो वह शहर का मेम्बर है दूसरी ओर उसने गांव की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। गांव की वोटर्स लिस्ट पर एतराज होता है

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

कि यह शहर का भी मेम्बर है। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी उसके पर्चे को खारिज नहीं करते। उनके सामने वोटर्स लिस्ट पेश होती है शहर की, वोटर्स लिस्ट में नाम है और इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी में भाग ले रहा है लेकिन फिर भी उसको चुनाव लड़ने की इजाजत है और उसका पर्चा खारिज नहीं होता और वह पंचायत समिति का प्रधान बन गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट का समय और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट आपको हो चुके हैं। मंत्री महोदय को अभी जवाब देना है इसलिए आप संक्षेप में दो मिनट में कह दें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : भीखाभाई को सुन रखा है हमने।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौथा-राजापुरा का चमत्कार है। एक किसी केन्डीडेट को आपके रिटर्निंग अधिकारी ने जीता घोषित किया और दूसरे को हारा हुआ। उसके बीस दिन नहीं हुए कि अदालत ने दुबारा टोटल करके कह दिया कि इनका रिटर्निंग अधिकारी ने गलत टोटल किया है और इस तरह हारे हुए को जीता हुआ घोषित कर दिया।

पांचवां चमत्कार हुआ कुड़िया गांव, बनेड़ा तहसील बीकानेर में। एक पर्चे को खारिज कर दिया था। उसमें क्या हुआ कि जिस पर्चे को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था, तो जब कलेक्टर आया, उन्होंने कहा कि यह पर्चा कैसे खारिज कर दिया। चार जनवरी को चुनाव होने को हैं और तीन जनवरी को कलेक्टर आकर कहता है कि जिसका पर्चा खारिज किया गया है उसको बहाल कर दिया है और ४ जनवरी को चुनाव करवा दिया गया। अफसोस यह है कि जिसको बहाल किया था वह चुनाव में हार गया।

छठा चमत्कार हुआ भोजपुरा गांव के अन्दर। वह यह हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा खारिज कर दिया। कलेक्टर ने दबाया....

श्री भीखाभाई : इन सब की अपील हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अपील हो सकती है। अपील के अलावा माननीय

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मंत्री जी कुछ सोच नहीं सकते, इसका मुझे अफसोस है।

उस कलेक्टर के द्वारा रिटनिंग ऑफिसर दबाने के बाद भी रिटनिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया लिखित कि यह जो पर्चा खारिज किया है इसको बहाल नहीं करूंगा। अब अगर कलेक्टर करना चाहते हैं तो करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की मनमानी हुई है पंचायत चुनावों में और कानून को ताक में रख दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं पंचायत मंत्री को कि केवल यही नहीं सोचना है कि इलेक्शन पिटीशन हो सकती है। मैं समझता हूं कि कानून के अन्दर परिवर्तन करके राज्य सरकार इसका इन्तजाम कर सकती है और वह इन्तजाम उनको करना चाहिए।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो नई पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बनी है, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने पंचायतें और पंचायत समितियां बनाई, आपने पंचायतें १५ जनवरी को बनाई, और पंचायत समितियां ८ फरवरी को बनाई, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब पंचायतें १४ जनवरी को कायम हो गई तो आपके पंचायत विभाग की कौनसी सूझबूझ है कि पुराना सरपंच है उसका अस्तित्व ८ फरवरी तक कायम है। आप कहते हैं कि सरपंच का चुनाव होता है, तो सरपंच का चुनाव तो १५ जनवरी को खत्म हो गया। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रावधानों को ठीक करने के लिये अध्यादेश आना चाहिये था। जब आपका नया सरपंच १५ जनवरी को मुकर्रर हो जाता है तो फिर पुराने सरपंच को ८ फरवरी तक कायम क्यों रखा गया?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जिला परिषद् में पुराने प्रावधान थे, उनका अस्तित्व २७ फरवरी तक कायम रहेगा जब कि आपकी पंचायत समिति ८ फरवरी को चुनाव कर लेती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई ऑर्डिनेन्स आना चाहिये था तो इसके बारे में आना चाहिये। मगर यह गलत ऑर्डिनेन्स निकाला गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बिल को विथड्रॉ, कर लें।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डिनेन्स को किस प्रकार से विधेयक के रूप में लाया गया है और किस प्रकार की आपत्तियां उठाई गई हैं, माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में बताया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे ध्यान मेंऐसी बातें लाई कि जिससे मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ आगे भी कर सकूं। मुझे यह बात कहते हुए बहुत खेद होता है कि हम अध्यादेश क्यों जारी करते हैं औरक्यों इसको जारी करने की जरूरत पड़ती है? हमारी सरकार कभी भी अध्यादेश जारी करने के पक्ष में नहीं है लेकिन सरकार के सामने मजबूरी होती है और। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अध्यादेश

(श्री भीखाभाई)

जारी करना जरूरी होता है तो सरकार अध्यादेश जारी करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ऑर्डिनेन्स को लेकर ये बातें कही गई कि हमने राजनैतिक दृष्टि से इस ऑर्डिनेन्स को जारी किया है। यह भी बात कही गई ग्रामदान वाले गांवों में.......

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री भीखाभाई : इस प्रकार यह अध्यादेश जारी करके वहां पर राजनैतिक फायदा उठाया गया है। इस प्रकार की बातें कही गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों के इन कथनों का खंडन करना चाहता हूं और उनके दिमाग में यह बात उतारना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को क्यों जारी किया गया ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मंत्रीजी की सीट पर क्या मंत्राणीजी विराज मान हैं ?

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पहले इस सम्बन्ध में उप-नियम आदि पास कर दिये थे मगर उनमें कुछ डिस्क्रीपेन्सीज रह गई थी और उनको रीमूव करने के लिए यह आवश्यकता थी कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जाय। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार ने ब्रोड बेस्ड इलेक्टोरेट को स्वीकार किया तो उसके साथ साथ ग्रामदान एक्ट में हमने कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया और हमारे पास भू-दान यज्ञ के कुछ माननीय सदस्य आये और उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि आप इन गांव वालों को गांव के प्रतिनिधित्व से वंचित रखना चाहते हैं। पंचायत समिति के प्रधानों के चुनावों में दो सौ या २५० आदमियों को चुनावों में अधिकार दिलाये। यह विचार मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि इस कारण से हमने यह अध्यादेश जारी किया। क्या माननीय सदस्य अभी भी चाहते हैं कि इसको विथड्रा कर दिया जाए तो मैं इसको विथड्रा करने के लिये तैयार हूं।

(व्यवधान)

मैं यह पूछना चाहता हूं, कि एक पंचायत राजस्थान में होती है उसमें कितने पंच होते हैं, यह सब आप लोगों को मालूम है। उनमें किस प्रकार की व्यवस्था लेती है, यह भी आपको मालूम है। पंचायतों में सरपंच और ८ से लेकर १५ तक पंच होते हैं जो गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ तो यह, और दूसरी तरफ यह कि ग्रामदानों को इलेक्शन से वंचित रहना चाहिये। यह ठीक है उन्होंने इन्कार किया मगर यह तो नहीं हो कि उनका कोई प्रतिनिधि पंचायतों में नहीं हो और आपको यह बात बताना चाहता हूं कि अगर आप उनको इस प्रतिनिधित्व के हक से महरूम रखते हैं तो उनके साथ बड़ा अन्याय है। इस बात को लेकर भूदान यज्ञ के लोगों ने लिख कर भेजा।

एक माननीय सदस्य : आपको पत्र प्राप्त हुआ है क्या ? ऐसे पत्र आये हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : आये हैं ठहरिये I would satisfy every hon. Member.

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : आप पेश कर रहे है ।

श्री भीखाभाई : आप मुझे डिस्टर्ब न करें, मुझे बोलने दें। मैं आध घन्टे बोलूंगा। सबको सेटिस्फाई करूंगा।

श्री अब्दुलजब्बार खां : मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ही अर्ज कर रहा हूं. मेरे सेटिस्फेक्शन के लिये भी। ग्रामदान वालों को किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। क्या वे भाग ले रहे हैं ? क्या इस प्रकार का प्रावधान कानून में लाकर भू-दान वाले गांवों में रहने वाले व्यक्तियों की दिनचर्या और लाइफ को इस तरफ लाने की ताकत रखते हैं ?

(घंटी)

श्री भीखाभाई : राजस्थान के मंत्रीमंडल के सामने एक डेप्युटेशन आया और उन्होंने पत्र में मंडल लिखा है। वह मेरे पास मौजूद है। उसके बाद गोकुल भाई का एक पत्र आया। जब उन्होंने लिखा कि एक वार्ड मेम्बर को मत-दाता आपने माना है तो क्या कारण है कि ६८६ की आबादी के गांवों को आप वोटिंग अधिकार नहीं देते जब कि २०० या २५० के वार्ड बनाए हैं ? आप बतावें कि आया यह जस्टिफाइड है ? अगर आप इस पर भी कहें तो मैं इसको अभी वापिस ले लेता हूं। अगर आप यह बतावें कि यह उनके साथ अन्याय होगा तो मैं वापिस ले लेता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जरा सुनिये। आपने ग्रामदान के गावों को वैसे क्यों बना रखा है ? हम तो कहते हैं कि आप उनको ग्राम पंचायत में दे दीजिये। हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री भीखाभाई : आप सारी बात यह कहना चाहते हैं कि यह राजनैतिक दृष्टि-कोण से अध्यादेश बनाया और जारी किया गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आपने यह ऑर्डिनेन्स विनोबाजी की सलाह से निकाला है ?

श्री भीखाभाई : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप विनोबाजी को इन्फोर्म कर दें।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से बीच-बीचमें डिस्टर्ब किया गया तो मैं ६ बजे तक बोलता रहूंगा। जब तक मैं एवरी इन्डीविजुअल सदस्य को सेटिस्फाई नहीं करूंगा मैं अपना भाषण बन्द नहीं करूंगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री भीखाभाई : डूंगरपुर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य और विरोधी दल के नेता जो अभी यहां पर मौजूद नहीं हैं,......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने फिर डूंगरपुर का सिर ऊंचा कर दिया।

श्री भीखाभाई : अगर वे मौजूद होते तो मुझे और भी खुशी होती

(५. ०० म.प.)

उन्होंने कहा कि अध्यादेश २६ तारीख को जारी किया गया और इस अध्यादेश से पंचायतों के इलेक्शन को इफेक्ट करने का मकसद था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पंचायतों के इलेक्शन का सम्बन्ध है, इस ऑर्डिनेन्स का पंचायतों से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसके होने न होने से पंचायतों के इलेक्शन बदस्तूर किये जा सकते थे और जो इलेक्शन्स हुए उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पंचायतों के इलेक्शन बदस्तूर हुए। केवल ग्रामदानी गांवों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का सवाल था, इसलिए इस ऑर्डिनेन्स को जारी किया गया।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि डूंगरपुर में ग्रामदानी गांव बहुत हैं और पंचायत मिनिस्टर वहां के हैं इसलिए उन्होंने अपने हित में ऐसा ऑर्डिनेन्स जारी करवाया। रायसिंहनगर और बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बारे में विशेष रूप से कहा। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। मेरे पास रेकॉर्ड है, उससे मैं यह साबित करना चाहूंगा कि इस ऑर्डिनेन्स का कोई सम्बन्ध इससे नहीं था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वोटर्स कितने थे ?

श्री भीखाभाई : मैं सब बता दूंगा, एक घंटा लगेगा। मैं बताना चाहता था कि १७ पंचायत समितियां हैं जहां अलग अलग ग्राम सभाएं उनकी सीमा में आती हैं।

अब इस ऑर्डिनेन्स को जारी करने का इम्पेक्ट क्या हुआ, इसको साफ नहीं करूंगा तो माननीय सदस्यों को भ्रम बना रहेगा और जन्म जन्मान्तर तक यह भ्रम बना रहेगा। जो मौजूदा कानून है उसके अनुसार ६६६ आदमियों को वोट देने का अधिकार मिला।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री के आसन पर बैठने के कारण)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय हरिभाऊजी उपाध्याय की जगह क्या महिला सदस्य ने ग्रहण की है ?

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : हरिभाऊजी का आसन खाली है।

श्री भैरोंसिंह : खाली है तो खाली आसन पर कोई दूसरा बैठ जाय, ट्रेज़री बेंचेज़ पर...

श्री मथुरादास माथुर : वे तो भीखाभाईजी से बात करने के लिये आई हुई थीं, आप बात बात को मत पकड़िये, महिलाओं की तरफ ख्याल रखिये ।

श्री भैरोंसिंह : महिलाओं के लिये हमें ख्याल है; आपसे बात करने आई हों, चाहे भीखाभाई से बात करने आई हों, हम सब के सब बैठ जायं......

श्री मथुरादास माथुर : आप भी आइये ।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष, इस बात की व्यवस्था दीजिये कि ट्रेज़री बेंचेज़ पर कोई भी माननीय सदस्य आकर बैठ सकते हैं क्या ? मैं समझता हूं, यह हाउस के डेकोरेम के और प्रतिष्ठा के खिलाफ है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आप भी आकर बैठिये ।

श्री मथुरादास माथुर : आप भीखाभाई के बायें अंग में आकर बैठिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई माननीय सदस्य ट्रेज़री बेंचेज़ पर आकर बैठ सकते हैं या नहीं ? पार्लियामेंट में इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू हुए हैं कि ट्रेज़री बेंचेज़ की चेअर्स को कोई दूसरे माननीय सदस्य ओक्युपाई नहीं करें ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठने के आशय कई प्रकार के होते हैं । एक तो बैठ जायं पर्मनिन्टली पद के हिसाब से, और एक बैठ जायं बातचीत करने के लिये । बातचीत करने के लिये बैठ कर चले जायं तो कोई एतराज नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो बातचीत भी नहीं कर रही हैं; न माथुर साहब से न भीखाभाई से ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे से बात कर रही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह सदन बातचीत करने के लिये नहीं है, भीखाभाई गम्भीर भाषण दे रहे हैं उसको सुनने के लिये है ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे चिन्ता इस बात की है कि मन्त्री महोदय धमकी दे रहे हैं कि वे एक घंटा बोलेंगे, आपको चाहिये कि आधा घंटा करवा दें ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप ही की ताकत है कि एक घंटे का आधा घंटा करा दें ।

श्री भीखाभाई : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १७ में से १३ पंचायत समितियां ऐसी है, कि वहां के ग्रामदानी गांवों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है ।

(श्री भीखाभाई)

एक तरफ एक वार्ड से एक मतदाता बनाते है दूसरी तरफ १७ में से १३ पंचायत समितियां ऐसी हों जिनका जिक्र किया गया, उनको कोई ,प्रतिनिधित्व नहीं मिले। This is a question of principle, question of justice.

यह प्रिन्सिपल का सवाल है। सवाल यह नहीं है कि वहां की कितनी जनसंख्या है, कितने गांव हैं, कितने लोग हैं। यह सिद्धान्त का सवाल है। आप एक तरफ तो न्याय यह करें कि २०० की जनसंख्या की ढाणी से एक वार्ड पंच चुना जाता है...

श्री जयनारायण पालोदिया (निवाई) : उनको पंचायत क्यो नहीं दे देते ?

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूं कि अभी जो प्रावधान है, कानून है, उसके अनुसार १००० से ऊपर की जनसंख्या के लिये हम एक सदस्य-एक वार्ड पंच बना सकते हैं, एक हजार से २९९९ तक भी एक ही सदस्य रहेगा। अब दूसरी तरफ देखिये दो हजार की जनसंख्या पर १५. १५ आदमी आते हैं, वहां १ हजार से २९९९ तक दो आदमियों का प्रतिनिधित्व हो तो यह कहां तक न्याय है ? इन कारणों को लेकर विचार किया गया कि किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आठ आठ हजार की पंचायतों में एक सरपंच दिया है।

श्री भीखाभाई : ये भी बातें कही गई कि डूंगरपुर को फायदा पहुँचाने के लिये यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राश्मी में एक मेम्बर है, चाकसू में १, दूदू में एक, जोबनेर में १ नागौर में १, मूंडवा में १, डीडवाना में १, लाडनूं में १, गुड़ा में १, बींजिया में १, मांडल में १, नीम का थाना में १।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किन गांवों में ज्यादा हुए जैसा कि माननीय सदस्यों का खयाल है कि कोई प्रलय हो गया हो, वह मैं बताना चाहता हूं जिससे आपका दिमाग साफ हो जाय....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हांडाजी की नकल कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, इनकी नकल करिये।

श्री भीखाभाई : जोबनेर में २९३२ जनसंख्या है वहां १ आदमी बढ़ा है, १ आदमी सागवाड़ा में बढ़ा है, डूंगरपुर में दो आदमी बढ़े हैं, आसपुर में एक था और १ बढ़ गया। सीमलवाड़ा में कोई बढ़ा नहीं, दूसरी पंचायत समितियों में बढ़े हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : १३ में से ७ तो डूंगरपुर में होगये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो बातें हमने कही थीं, वह सब आपने अपने भाषण से साबित कर दीं, १३ में से ७ आपको मिले, आपको कोटि कोटि धन्यवाद।

श्री भीखाभाई : यह मैंने कहां कहा है ? मैंने कहा कि १३ पंचायत समितियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था वहां प्रतिनिधित्व मिला ।

आगे आइये ।

डूंगरपुर जिले के अन्दर ५ पंचायत समितियां हैं वहां लगभग २१०० मतदाता हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर । मैं एक प्रस्ताव मूव करता हूं I want to raise a substantive motion कि इस बिल को पास कर दिया जाय । हम सारे के सारे विरोधी दल वाले इससे सहमत हैं । हम आभारी हुए हैं भीखाभाई को सुनकर ।

(शोरगुल-घंटी)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमने कहा राजनैतिक आधार पर लिए गए हैं । जहां १३ आदमियों को वोटिंग राइट्स हैं उसमें से ७ इनके जिले के मिलेंगे । इसलिए इसे रोक लिया जाय और पास करवा दिया जाय ।

श्री भीखाभाई : ७ नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि मेरी व्यू पॉइंट को समझाने का मौका दिया जाय; नहीं तो यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा । मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यदि श्री महोदय चाहें तो इसके भाषण के लिए फीस रखी जाय; वे बिना फीस के सुनाते कैसे हैं ।

(शोरगुल)

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने कहा कि ३ बढ़े, चार बढ़े...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I take a very serious note, यहां एक माननीय सदस्य ने भीखाभाई के भाषण सुनने के लिए फीज़ का जिक्र किया, क्या भीखाभाई कोई चिड़ियाघर के प्राणी हैं ? I take a very serious note of it.

श्री भीखाभाई : तो मैं कह रहा था कि २१०० मतदाता थे । सारे मिलाकर, पुरानों को मिलाकर, लगभग २०-२१ हैं । आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पर्सेन्टेज होता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : सबसे कम पर्सेन्टेज हुआ तभी ऑर्डिनेन्स लाया गया ।

श्री भीखाभाई : डूंगरपुर की पंचायतों के बारे में कहा गया कि मैंने गाड़ियों का उपयोग किया । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने पंचायत मिनिस्टर की हैसियत से और दूसरी तरह से गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया ।

(शोरगुल- कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : हम चैलेंज कर रहे हैं.......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : खाओ बच्चे की सौगंध...

(शोरगुल)

श्री भीखाभाई : यहां पर उसी बात को लेकर और एक बात बढ़ा-चढ़ाकर कही गई। वह यह कि डूंगरपुर जिले के अन्दर ग्रामदानी वोटर्स ज्यादा होने के कारण उनको लाभ हुआ। मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि दरअसल में जहां तक डूंगरपुर जिले की पंचायत समितियों के रिज़ल्ट्स का सवाल है आसपुर जैसी पंचायत समिति, जहां के हमारे विरोधी दल के माननीय नेता हैं उनकी कॉन्स्टीट्यूएसी की बात कर रहा हूं, दूसरी की नहीं, वहां जो हमारा उम्मीदवार था वह लगभग १०४ वोटों से जीता है।

(शोरगुल)

दूसरी है सीमलवाड़ा। वहां ४११ वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले और स्वतंत्र पार्टी वाले को ८७ मिले, कोई ग्रामदानी का मतदाता नहीं था। सागवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार को ३१६ वोट और स्वतंत्र पार्टी वाले को ८६ वोट मिले।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हम आपसे पूछते हैं कि मजदूरों का पेट चीर कर कितनी जीपें दीं ?

श्री भीखाभाई : अमृतलाल को २४७ वोट मिले, इस प्रकार से कई चीजें मैं कहना चाहता था ग्रामदानी वोटर्स के कारण डूंगरपुर में...

(शोरगुल)

इसके साथ में जो पंचायतें हैं उनके अंदर भी किसी जगह दो पंचायतें आई हैं, किसी जगह तीन और पांच आई हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था यहां पर कुछ माननीय सदस्य...

(शोरगुल–अश्रव्य)

मैं चैलेंज करता हूं।

श्री ए० जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंत्री महोदय यह बताना चाहते हैं कि यह जो हमने अध्यादेश निकाला था उसकी क्या लीगैलिटी थी या उसकी स्टेंडिंग क्या थी मैं निवेदन करूं कि चुनाव संबंधी जो बात है, उसका हम नतीजा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा समय बहुत कीमती है........

(शोरगुल-घंटी)

आपसे निवेदन है कि बताया जाय कि पंचायत समितियों की तिथि जिला परिषदों के चुनाव की तिथि आपने इलेक्टोरल कॉलेज को कहां तक और कितनी सुविधा के साथ पहुंचाई और क्या जायज़ तरह से चुनाव कराए ?

श्री भैरोंसिंह : आपने डूंगरपुर के माननीय सदस्य विरोधी दल के नेता की जो कॉन्स्टीट्यूएसी है वहां के पंचायत समितियों के रिज़ल्ट बताए। मैं निवेदन

(श्री भैंरोंसिंह)

करता हूं कि एक एक पंचायत-का रिज़ल्ट और बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई आवश्यक नहीं है ।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ खडे हुए)

आॅडर्र प्लीज़ !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जानना चाहूंगा कि पंच कितने थे ?

श्री भीखाभाई : सरपंचों में काफी निर्विरोध आए ।

रायसिहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि निर्विरोध चुनाव क्यों नहीं कराते हैं ? जितने निर्विरोध चुनाव हमारी जगह हुए उतने कहीं नहीं हुए । अगर विरोधी दल के सदस्य प्रेशर नहीं लगाते तो ५० प्रतिशत निर्विरोध आए होते । अभी भी ४० प्रतिशत से कम नहीं हैं । इस प्रकार की स्थिति अगर आप पैदा करेंगे, जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं कि निर्विरोध चुनाव हों तो बड़ी खुशी की बात है । मैं राजस्थान के रिजल्ट्स बताना चाहता था कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के रिज़ल्ट्स रहे वे बहुत एनकरेजिंग हैं । वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आगे कृषक लोग नहीं आएंगे । मैं उनको बता दूं कि सरपंचों के रूप में ज्यादा कृषक आए हैं । उन्होंने कहा आदिवासी लोग इस पद्धति से नहीं आएंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : हरिजन गरीब लोग नहीं आ सकते ।

श्री भीखाभाई : हमारे पास में यह पुस्तक है । विधान सभा के सदस्यों को भी यह पुस्तक भेज दी है । पंचायतों के विकास के बारे में, आपने उसके रिज़ल्ट्स देखे होंगे,... ये रिजल्ट्स यह थोड़े ही बोलते हैं कि हमने सरकारी वाहनों का उपयोग किया, किसी प्रकार का षडयन्त्र किया । यह आई-ओपनर है । प्रत्येक सदस्य इन रिजल्ट्स को पढ़े कि पंचायत राज का ब्रोड बेस क्या है ? मैं यह नहीं कहता हमारी पार्टी की जीत हुई, अच्छी बात है, आपकी जीत न हो । पंचायती राज में सब लोग आते हैं, आने चाहिए चाहे अल्पमत में या बहुमत में । वरना एक तरफा हो जावेगा तो पंचायती राज नहीं होगा । सब पार्टियों का रिप्रेज़ेन्टेशन हो चुनावों के जरिए । मैं इस बात के लिए संवेदना प्रकट कर सकता हूं कि आपकी हार हुई । आयन्दा और मेहनत करें लेकिन यह बात कहना अवश्य चाहूंगा कि जो रिज़ल्ट्स रहे हैं उनसे आप यह कहें कि भ्रष्ट तरीके अपनाये हैं हमने या अनियमिततायें की हैं, वह गलत है ये चुनाव तो आई ओपनर हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपकी कांग्रेस पार्टी ने तो घोषणा की थी दिल्ली से कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : (अपना भाषण जारी रखते हुए) तो इस प्रकार से ये बातें कहना कि अनियमिततायें हुई हैं यह उचित नहीं है । हमारी हमदर्दी से यदि आपकी कुछ सहायता हो सकती है तो हम करने के लिए तैयार हैं । ट्रेज़री बेन्चेज तो हर तरह से यह चाहती है कि आपकी हमदर्दी करे । आपने तो यह देखा कि कांग्रेस वाले जुड़े हुए नहीं

(श्री भीखाभाई)

हैं और उनमें विभेद हो जायगा । आपने चुनावों का रिजल्ट् देखा । एक परम्परा बन गई है, एक धारा बन गई है कांग्रेस संगठन में, उससे निश्चित रूप से आपको हानि होने वाली है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें सरकार के सम्बन्ध में कही गई हैं, उनके बारे में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे चुनाव मंत्रीजी ने अपने भाषण में, काफी लम्बी चौड़ी बहस में यह बताया था कि चुनाव निष्पक्षता से, शान्ति से और तटस्थता से हुए हैं और कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं आयी है। अपने चुनाव करने के आदी हो गए हैं। आपकी भी दाद देता हूं। हम लोगों ने एक विशेष प्रकार का ट्रेडिशन और कन्वेंशन बनाया है । जहां पर गड़बड़ियां होती हैं वह अलग बात है । लेकिन चुनाव बहुत ही शान्तिपूर्ण ढ़ंग से हुए हैं। शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने मे राजस्थान की जनता को भी क्रेडिट है। चुनावों में जनता ने भाग लेकर फ्रीली अपने वोट को एक्सर्साइज किया है। हम सब लोगों ने मिलकर जो तरीका अपनाया है वह लोकतन्त्रीय हैं।

माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं उन सबका जवाब न देकर, क्योंकि आप भी छुट्टी चाहते हैं, यहीं इसको वाइण्ड अप करता हूं। इस पुस्तक के अंदर पृष्ठ ७ पर चुनाव के आंकड़े दिए गए हैं। वह यह प्रकट करते हैं कि चुनाव निष्पक्षता और शान्ति पूर्ण ढंग से हुए हैं।

कई माननीय सदस्य : वह किताब तो हमने पढ़ ली है।

श्री भीखाभाई : मैं आशा करता हूं कि आपने जो प्रस्ताव भेजे हैं प्रवर समिति में भेजने के लिए और पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट करने के लिए उनको वापिस लेंगे। मैं नवनिर्वाचित पंच और सरपंच, प्रधान और प्रमुख को भी बधाई देना चाहता हूं इस सदन के द्वारा। वे अच्छे ढंग से काम करें, यह शुभ कामना है । सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में और संशोधन होंगे तो हम उन पर भी विचार करेंगे। राजस्थान में पंचायत राज का अध्ययन करने के लिए बाहर से आते हैं वे भी आते रहेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, सम्माननीय मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपने वादा किया था कि एक एक को अपने उत्तर से को सेटिस्फाई करूंगा । वे सब संतुष्ट हैं। मेरा एक पॉइन्ट है, और आप उसका क्लेरिफिकेशन कर दें, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा । मामला यह है कि ७२–७४ सरपंच चुने हैं । पुरानों से चार्ज ले रहे हैं उसके लिए यह व्यवस्था कर दीजिए कि सेक्रेटरी या जो भी डिक्लेयर करें वह ही चार्ज लें। नयों पर महरबानी करो। वे उनके हाथों में फंस न जांय।

श्री भीखाभाई : यह बिल से संबंधित नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद : तीन दफा समझाते हो गए। चोर सोने का बहाना कर रहा हो और जगा पड़ा हो उसको कोई जगा नहीं सकता। तीन दफा बात कही, दिल खोल कर कहूंगा, आपकी गवर्नमेन्ट मानेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि परिनियत संकल्प जो सदन में प्रस्तुत किए गये हैं उनको पारित किया जाय ।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ।

(अस्वीकृत)

जनमत जानने के लिए जो संशोधन रखे गये वे गिर गए ।

श्री रामकिशन : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर; आपने तो कहा, कि 'हां' या 'ना' करेंगे । उधर का पक्ष 'नो' कर रहा है। अंग्रेजी का प्रचलन २६ जनवरी से बन्द हो गया है । फिर क्यों ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पॉइन्ट ऑफ ओर्डर क्या है साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : मैं क्षमा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए रखे गये वे स्वीकार किये जायें ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : ना पक्ष जीता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक लाइन कही है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पंचायत के चुनावों में धींगाधांगी की उनको स्वर्ण पदक नहीं तो चांदी का पदक दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : "हां" पक्ष जीता ।

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री भीखाभाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही, कल दिनांक ५ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिये)

सूची उन व्यक्तियों की जिन्हें टाउन इम्प्रूवमेन्ट एरिया गंगापुर में जमीन अलॉट हुई :

	बीघा	बिस्वा
१. हरिजन कोलोनी	१२	६
२. मन्डी	२२	५
३. मार्केटिंग सोसाइटी	०	८
४. स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड	१०	१५
५. रिफ्यूजी कोलोनी	५	१६
६. आदिवासी छात्रावास	३	१५
७. प्राइमरी हैल्थ सेन्टर	१	१०
८. पुलिस स्टेशन	४	२
९. गवर्नमेन्ट ग्रेन गोडाउन	१	५
१०. सैशन्स जज कोर्ट एन्ड मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट एरिया	५	१८
११. पंचायत समिति कोलोनी	४	८
१२. गर्ल्स स्कूल	२	१३
१३. राजस्थान वेयर हाऊसिंग कोऑ-विभाग	०	१४
१४. रेस्ट हाउस	१	१८
१५. राजकीय हाई स्कूल	२	८
१६. मेडिकल ऑफिसर्स क्वार्टर	०	१२
१७. श्री सैयद अली एडवोकेट	१	४
१८. श्री हरिचरण एड़वोकेट	०	७

परिशिष्ट '२

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नोहर तहसील में भूमि का आवंटन

१६६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि नोहर तहसील में आरजी काशत अलॉटमेंट संबंधित नियमों के विरुद्ध ५ साल की बजाय १ साल के किये जा रहे हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

"हेल्थ एड पोस्ट" का स्थानान्तरण

१६७. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि भवातड़ा ग्राम, तहसील सांचोर में हेल्थ एड पोस्ट काफी अर्से से है ? क्या यह भी सच है कि भवातड़ा की जनसंख्या बहुत थोड़ी होने से व मकान का प्रबन्ध न होने से उस एड पोस्ट को भवातड़ा से सूराचन्द स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव पंचायत समिति सांचोर एवं जिला परिषद् जालोर ने सरकार के समक्ष काफी अर्से पहले भेज दिया है ? अगर हां, तो उसको अभी तक स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह भी सच है कि सूराचन्द में एड पोस्ट के लिए पंचायत ने मकान भी काफी अर्से पहिले बना दिया है ? अगर हां, तो उसका स्थानान्तरण अब कब तक कर दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) जी हां। मगर स्थान बदलने का प्रस्ताव पंचायत से अभी तक नहीं आया है।

(२) इस बारे में सरपंच पंचायत सूराचन्द की तरफ से एडपोस्ट के लिये मकान बनाने की कोई सूचना नहीं है।

मानपुर हैल्थ सैन्टर में स्टॉफ व सामान की कमी

१६८. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय सु.) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मानपुर हैल्थ सेण्टर (जिला जयपुर) में पूरा स्टाफ व आवश्यक सामान नहीं है ? यदि हां, तो वहां इनकी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि स्वीकृति अमले में से केवल एक थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर की ही कमी है बाकी का स्टाफ कार्य कर रहा है इसके अलावा नियमानुसार दवाई का स्टॉक व बैड्स मौजूद हैं।

Page No 131

घाट केनाल (रूपा रेल नदी) की मेजर व माइनर नहर

१६६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि घाट केनाल (रूपारेल नदी) अलवर की मेजर व माइनर दोनों तरह की नहरें खराब हैं और उनमें पानी नहीं चलता और इधर उधर फैल जाता है ? अगर हां तो क्यों ?

(२) क्या सरकार इन कैनाल्स का रीमोडलिंग कराना चाहती है और क्या इनका एस्टीमेट भी तैयार किया है ? अगर हां, तो यह एस्टीमेट कितने रुपये का है और यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(३) क्या यह भी सही है कि केनाल की बड़ी और छोटी नहरों पर आम रास्तों पर पुल नहीं बने हुए हैं और लोगों को आने–जाने में बड़ी परेशानी होती है ? अगर हां, तो सरकार पुल बनाने का विचार करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां, यह एस्टीमेट २५,०००) रुपए का मंजूर हो चुका है। कुछ कार्य हो चुका है और शेष शीघ्र पूरा होने की आशा है।

(३) जी नहीं।

(३) नहरों के आम रास्तों पर पहिले ही से पुल बने हुए हैं, फिर भी जनता द्वारा नये पुलों की मांग आने पर उस पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

निम्बाहेड़ा नगरपालिका द्वारा दिये जाने वाला मकान भत्ता

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने स्वायत्त शासन के अन्तर्गत समस्त नगरपालिकाओं के ई० ओ० तथा सेक्रेट्रीज़ को हाउस अलाउन्स देना स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो फिर निम्बाहेड़ा जैसी छोटी नगरपालिका का ई० ओ० कैसे हाउस अलाउन्स पा रहा है और वह कब बन्द होगा ?

(२) क्या यह सही है कि ऑडिट पार्टी ने इस सम्बन्ध में आपत्ति की है ? यदि हां, तो ६२–६३ की ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) निम्बाहेड़ा नगरपालिका द्वारा ई० ओ० के निवास हेतु मकान का नवनिर्माण करने में कितना रुपया खर्च किया गया तथा उसका किराया क्या तय किया ?

उत्तर

(१) यही सही नहीं है।

निम्बाहेड़ा नगरपालिका द्वारा अपने एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को फ्री आवास की सुविधा दी गई थी।

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

(२) जी हां ।

(३) १,५००) रुपये के लगभग खर्च हुआ है । मकान किराया वेतन का ७।। प्रतिशत से किराया लिया जा रहा है ।

"रूंध खोहरा" में भूमि का अलॉटमेन्ट

१७१. श्री गोकुलचन्द (कठूमर सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़ (जिला अलवर) में स्थित "रूंध खोहरा" में कितनी भूमि अलॉट की गई ?

(२) अब कितनी भूमि उक्त रूंध (खोहरा) में बाकी है और उसे कब तक एलॉट किया जायेगा ?

(३) क्या उक्त तहसील लक्ष्मणगढ़ के रूंध "सैंदका" में भी भूमि अलॉट करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ३२० बीघा रकबा एलॉट किया गया है ।

(२) अब केवल ७१ बीघा ४ बिस्वा रकबा शेष है । चूंकि अभी तहसील लक्ष्मणगढ़ में सेटलमेन्ट कार्य चालू है अतः इस कार्य की समाप्ति तक आंवटन का काम नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

(३) रूंध "सैंदका" वन विभाग के अधिकार में है और उसमें आसपास के गांवों की मवेशी चरती है । इसलिये अभी सरकार का इसे अलॉट करने का विचार नहीं हैं ।

फालना स्टेशन स्थित पुलिस चौकी

१७२. श्री मोहनराज (बाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फालना स्टेशन (जिला पाली) स्थित पुलिस चौकी एक स्थानीय धर्मशाला के भवन में अपना कार्यालय चला रही है और समूचा भवन उसी काम में आ रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि मौजूदा समय में फालना पर अधिक मुसाफिरों के आने जाने से ठहरने के सुभीते के लिए धर्मशाला का यह भवन खाली करवाया जाना निहायत जरूरी है ?

(३) यह धर्मशाला भवन कब तक खाली करवा लिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, यह भवन (दो कमरे) पी० डब्ल्यू० डी० का है और समूचा भवन चौकी के काम में आ रहा है ।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी के भाव निश्चित किये जाने के परिणामस्वरूप एकत्रित हुई धनराशि

१७३. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बीकानेर में चीनी एवं कण्ट्रोल की वस्तुओं पर राउण्ड फिगर में प्राइस निश्चित करने से अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हो चुकी है ?

(२) क्या ऐसी धनराशि अन्य जिलों में भी है ? अगर हां, तो कुल कितनी राशि है तथा उसका किस काम में उपयोग किया जायेगा ?

उत्तर

(१) जिला बीकानेर में अब तक कुल २, २६, ६५६. ६७ रु० जमा हो चुके हैं।

(२) जी हां। कुल लगभग ७. ६१. ७६४. ३८ रु० जमा हो चुके हैं। इस धन का सार्वजनिक कार्य में उपयोग किया जायगा।

पिछड़ी जातियों के लोगों को सुविधायें

१७४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका कामां (भरतपुर) ने किन्हीं लोगों के पंचायती फैसले की मुनादी कराई है कि पिछड़ी जातियों के लोग जंगलों में से लकड़ी, गोबर आदि बीन कर नहीं ला सकते ?

(२) क्या यह सही है कि पिछड़ी जातियों में इस तरह की मुनादियों से असंतोष है ? यदि हां, तो क्या सरकार असंतोष फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और इस मुनादी को वापिस लेकर पिछड़ी जातियों में फैले असंतोष को दूर करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) नगरपालिका, कामां के कार्यालय की ओर से कोई अधिकृत मुनादी नहीं करवाई गई, अपितु हरे पेड़ काट कर व खेतों में से गोबर उठा कर घर लाने सम्बन्धी देवी दरवाजा, आमेरी दरवाजा, मोहल्ला मन्दिर श्री गोपीनाथ गंज, मोहल्ला खटीक, बालाय कोट भूमियाली बुर्ज के नीचे पंचान आदि व समस्त जनता से प्राप्त प्रस्ताव की मुनादी उनकी ओर से करवाई गई थी। मुनादी समस्त कामां निवासियों के सूचनार्थ थी, उसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं थी।

(२) मुनादी नगरपालिका या सरकार की ओर से नहीं थी, स्थानीय लोगों के प्रस्ताव की थी, अतः उसकी पालना हेतु नगरपालिका या राज्य सरकार की ओर से कोई पाबन्दी नहीं की गई। अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पाई ग्राम में सिंचाई के बांध का सर्वे

१७५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 134

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील के पाई ग्राम के पश्चिम में मालिया माताजी के दर्रे पर सिंचाई के प्रयोजन के लिये पहले कभी सर्वे की गई थी और तालाब बनाने के लिये दो बार रकम भी मंजूर हुई थी ?

(२) यदि हां तो क्या सरकार इस कार्य को पूरा करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) अतः प्रश्न नहीं उठता।

———

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ४ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२६०	१६	मन्त्रि जन-स्वास्थ्य	जन स्वास्थ्य मंत्री
१२६१	४	जांना	जानी
१२६७	१३	भुमिहीन	भूमिहीन
१२६९	अन्तिम से ३	हैं वे	वे हैं
१२७७	२	(कुम्भाराम आचार्य)	(श्री कुम्भाराम आर्य)
१२८१	शीर्षक	४ माच	४ मार्च
१२८२	२४-२५	कार्यन्वित	कार्यान्वित
१२८३	८	स्कीस	स्कीम
१२८६	२	बोडिज	बोडीज
१२८७	११	कैंसिल	कैंसिल
१२९०	१८	श्री मथुरेश बिहा ी	श्री मथुरेशबिहारी
,,	अन्तिम से २	आँर्गनाइजेशन	आँर्गनाइजेशन
१२९१	२	ग्रमेंड	अमेंड
१२९८	७	तो बता	तो नहीं बता
,,	२२	श्री दिनेसराय	श्री दिनेशराय
१३००	१५	दी गई।	दी गई ?
१३०३	शीर्षक	प्रश्नोत्तत -४ यार्च	प्रश्नोत्तर -४ मार्च
१३०४	अन्तिम पंक्ति	इम	इस
१३०५	२२	धामिक	धार्मिक
१३०७	शीर्षक	४ मार्च, ५५	४ मार्च, ६५
१३१०	१	नेजो	ने जो
१३२२	शीर्षक	तारोकित	तारांकित
१३२३	अन्तिम से ३-२	स्थागन-प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव
१३२४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन-प्रस्ताव
१३२७	१४	मिटिंग्स	मीटिंग्ज
१३३७	७	मिर्लेगे	मिलेंगे
१३४१	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों	स्थगन-प्रस्ताव
,,	१३	ार्य	कार्य

१	२	३	४
१३४१	१४	उपास्थापन	उपस्थापन
१३४६	२६	गय ।और	गया और
१३५०	स्कम्भ	१६५०	१३५०
१३५१	शीर्षक	४ मा ि	४ मार्च
१३५३	१६	खात्तों	खातों
१३५६	८, ९	एडमिनिस्ट्रेटिब	एडमिनिस्ट्रेटिव
,,	१०	कोआप्शन	कौआंप्शन
,,	१२	ब्यवस्था	व्यवस्था
१३५८	५	व्वक्ति	व्यक्ति
१३५९	६	जौ	जो
१३६३	अन्तिम से ४	बरेलिशन	लिबरेशन
१३६५	५	वंध ी गये	बंध गये
,,	७	नही	नहीं
१३६७	२	परिलड़े है	पर लड़े हैं
१३६८	स्कम्भ	१६६८	१३६८
,,	११	उदधाटन	उद्घाटन
१३७५	१७	मगाई	मंगाई
१३७७	२४	व्तांस	व्यास
१३७९	शीर्षक	४ माचं, ३५	४ मार्च, ६५
,,	२२	मे	में
१३८०	८	जावेगा	जावेगा
,,	२३	कॉन्स्टीस्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
१३८६	१९	मोजोरिटी	मेजोरिटी
१३९१	शीर्ष	श्री परसेराभ	श्री परसराम
,,	१८	रहे है।	रहे हैं ?
,,	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
१३९३	१	चुनावों	चुनावों
१३९६	२८	एक्सपेन्मेज़	एक्सपेन्सेज़
१३९७	शीर्षक	जिल	जिला
१३९९	२१	बम	बर्मा
,,	२६	रहती ।	रहती है ।
१४००	शीर्षक	विधेकय	विधेयक

१	२	३	४
१४०३	८	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
१४०४	शीर्षक	परिसद्	परिषद्
१४०६	,,	४ सार्च, ६५- परिषद् संशोधय	४ मार्च, ६५- परिषद् संशोधन
१४०८	१४	१५० २००	१५०—२००
१४०९	शीर्षक	पंचायत ममिति	पंचायत समिति
,,	१५	दे खने	देखने
१४१२	शीर्षक	संशोघम	संशोधन
,,	२४	आपने	अपने
,,	२७	वर्ग पीठ	वर्ग की पीठ
१४१३	शीर्षक	४ मार्उ	४ मार्च
,,	शीर्ष	(श्री मुकूट विहारीलाल गोयल)	(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)
,,	३	रहे ।	रहे ।
,,	१४	श्री ज्धालाप्रसाद,	श्री ज्वालाप्रसाद ।
,,	२५	बठ	बैठ
१४१४	२५	कर्यो	क्यों
,,	२५	या ।	था ।
१४१५	शीर्षक	नथा	तथा
१४१७	१४	गई जो थी	गई थी जो
१४१८	२०	किसीं	किसी
१४२२	१२	भेंरू	भेंस
,,	१३	रिस	सिर;
,,	१४	मैंस	भेंस
,,	२८	ओर	और
१४२३	८	कि ये लोग	कि ये ये लोग
१४२८	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
,,	२६	दह	यह
१४२९	६	को-ऑप्ट	को-ऑप्ट
१४३४	अन्तिम से २	रनतलाल	रतनलाल
१४३७	१३	घटी	घंटी
१४३८	२२	यहां तारीख	यहां १ तारीख
१४४१	१	हांडा मैं :	हांडा : मैं
१४४२	१४	गाथाएं	गाथाए
१४४३	२७	को हार	की हार

१	२	३	४
१४४३	अन्तिम से २	रिप्रेन्जेंटेशन	रिप्रेजेन्टेशन
१४५०	१८	समितियां	समितियों
[illegible]	२६	इलेक्ट्रोरल	इलेक्टोरल
,,	२७	ईकाइयों	इकाइयों
,,	अन्तिम से ३	इलेक्ट्रोरल	इलेक्टोरल
१४५२	२१	अधिकार	अधिकारी
१४५६	२०	कगेरें	करेंगे
१४६२	अन्तिम से १	लिखकरस्तेंइन	लिख कर इन
१४६८	१	उलू-जलूल	ऊल-जलूल
१४७०	२	इशलिए	इसलिए
१४७२	अन्तिम से १	पूवी	पूर्वी
१४७४	१	घर्मराज	धर्मराज
१४७६	२४	ढेंगे	देंगे
१४७८	२८	वढ़ अधिक	अधिक बढ़
१४७६-८०	शीर्षक	माच	मार्च
१४७६	१६	जोवसिंह	जोधसिंह
१४८१	,,	आतंवित	आतंकित
१४८७	२५	हआ	हुआ
१४६१	अन्तिम से ५	कीं	की
१४६२	१७	विथड्रॉ,	विथ्ड्रॉ
१४६३	शीर्षक	४१६३	१४६३
१४६४	१	इलेक्गेरेट	इलेक्टोरेट
,,	६	स्री	सौ
१४६६	४	घे	वे
,,	१७	आननीय	माननीय
१५०१	१३	रालोदिया	सालोदिया
१५०३	अन्तिम से ६	समझा ने	समझाने
१५०४	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
,,	१८	ज्बालाप्रसाद	ज्वालाप्रसाद
१५०७	शीर्षक	पचायत	पंचायत
,,	५	खडे	खड़े
,,	२१	रिजल्ट्स	रिजल्ट्स

(५)

१	२	३	४
१५०६–१५१०	शीर्षक	माच	मार्च
१५१०	५	भीवाभाई	भीखाभाई
१५१३	१६	हाऊंसिग	हाउंसिग
,,	अन्तिम से १	एड़वोकेट	एडवोकेट
१५१७	१०	राज़स्थान	राजस्थान
१५२०	२	हई	हुई
,,	अन्तिम से ७	पछड़ी	पिछड़ी
१५२१	अन्तिम से ४	सव	सर्व